खण्ड-449, अंक-9
मंगलवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1926
(3 अगस्त, 2004 ई0)

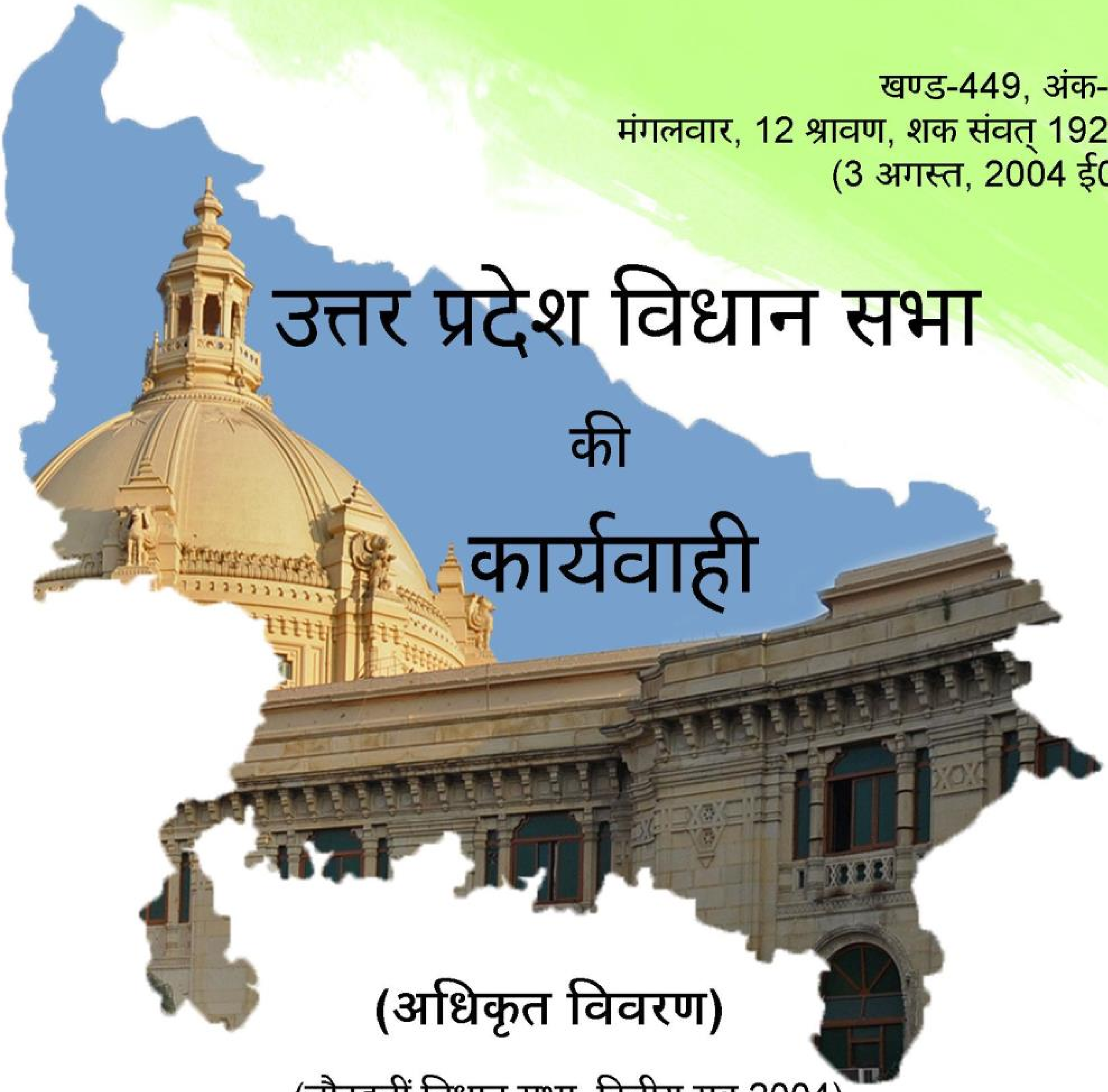

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2004)

खण्ड 449 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
जनपद मैनपुरी के थाना किसनी में दिन दहाड़े हुई हत्या के संबंध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रदेश में गोकशी प्रकरण पर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	1-28
आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न सं0-4 का गलत उत्तर दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	28-29
माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रश्न संख्या-5 पर परिवहन मंत्री को उत्तर दिये जाने का अवसर न प्राप्त होने की तरफ श्री अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट किया जाना...	29-30
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	30-31
जनपद शाहजहांपुर के 94 ग्रामों को जनपद पीलीभीत में जोड़े जाने पर पुलिस विभाग के कार्यों के लिए पुलिस विभाग की अधिसूचना जारी किये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद-हरदोई की तहसील सण्डीला की ग्राम सभा महरोनिया के ग्राम प्रधान द्वारा नियम विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार संबंधी की जा रही कार्यवाही पर नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	31-32
प्रदेश में बी0एड0 में प्रवेश के समय प्रबन्ध तंत्र के कोटे पर भी आरक्षण लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	32
श्री अरविन्द सिंह राज्य शैक्षिक टी0वी0 संस्थान, निशातगंज लखनऊ में स्क्रिप्ट लेखकों के अवशेष पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	32-33
जनपद-जौनपुर के देवकली संस्थान के बीच निर्मित पुल के दोनों तरफ पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	33
मेरठ महानगर में शासन की घोषणा के अनुरूप विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश व्यवस्था लागू किये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	33-34
लखीमपुर खीरी के पलिया दुधवा नेशनल पार्क रोड पर हवाई पट्टी तक अधूरे सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	34
अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को नियमित प्रश्न के रूप में निर्धारित कराने की बढ़ती प्रवृत्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	34-35

विषय	पृष्ठ-संख्या
सत्रकाल में प्रातः नौ बजे विभिन्न नियमों के अन्तर्गत ली जाने वाली सूचनाओं को फैक्स के माध्यम से प्राप्त कराने की सुविधा प्रदान किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	35-36
प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा सदन के अन्दर और बाहर की गयी घोषणा में परस्पर विरोधाभास होने पर औचित्य का प्रश्न (जारी)	36-37
औचित्य के प्रश्न की शेष सूचनाएं	37
प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा सदन के अन्दर और बाहर की गई घोषणा में परस्पर विरोधाभास होने पर औचित्य का प्रश्न	37-40
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	40
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे वर्ष 2002-2003 उत्तर प्रदेश सरकार एवं विनियोग लेखे वर्ष 2002-2003 उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	40
उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	40
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	40
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	41
उ0 प्र0 विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) का तेरहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	41
उ0 प्र0 विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) का चौदहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	41
उ0 प्र0 विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	41-42
उ0 प्र0 विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	42
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	42-43
उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 (पुरःस्थापित) ...	43

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 (पुरःस्थापित)	43
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 (पुरःस्थापित) ...	44
वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण (प्रस्तुत किया गया)	44
वित्तीय वर्ष 1983-84 से 1989-90 के अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों का प्रस्तुतीकरण (प्रस्तुत किया गया)	44
नियम-311 एवं नियम-300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	44-55
भारतीय संविधान के भाग-1 के अनुच्छेद-1 (नेम एण्ड टेरीटोरी आफ यूनियन) में 'इण्डिया दैट इज भारत' के स्थान पर 'भारत दैट इज इण्डिया' करने हेतु संविधान में आवश्यक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव (जारी) ...	55-57
किंग जार्ज मेडिकल कालेज का नाम पुनः शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय किये जाने विषयक प्रस्ताव को पुनः लाये जाने की मांग	57
नियम-311 एवं नियम-300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	57-59
नियम-56 की सूचनाओं की ग्राह्यता पर व्यवस्था का प्रश्न	59-61
नियम-311 एवं नियम-300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	61-63
भारतीय संविधान के भाग-1 के अनुच्छेद-1 (नेम एण्ड टेरीटोरी आफ यूनियन) में 'इण्डिया दैट इज भारत' के स्थान पर 'भारत दैट इज इण्डिया' करने हेतु संविधान में आवश्यक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	63-66
नियम-311 एवं नियम-300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	66-67
उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित जनपद हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर को जन आकांक्षाओं के दृष्टिगत उत्तरांचल राज्य से पृथक करके उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ववत् सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव (जारी)	67-68
जनपद हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर को पुनः उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर व्यवस्था का प्रश्न	68-73
उत्तर प्रदेश राज्य राज मार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 (पारित) ...	73-91
उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित जनपद हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर को जन आकांक्षाओं के दृष्टिगत उत्तरांचल राज्य से पृथक करके उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ववत् सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	91-92

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी) ...	92-105
प्रदेश में सूखे से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि की नियम-52 की सूचना पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ...	105
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी) ...	105-109
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	109-111
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में नदियों पर पुलों का निर्माण करने के सम्बन्ध में श्री आलमबदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	111-112
प्रदेश के अशासकीय मान्यता एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	112
जनपद गाजियाबाद के खोडा कालोनी में पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	112-113
जनपद वाराणसी के अन्तर्गत नगरपालिका, रामनगर में स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	113-114
जनपद कुशीनगर के ब्लाक सुकरौली की ग्राम सभा द्वारा इन्दिरा आवास पात्र व्यक्तियों को न देकर अपात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य	114
जनपद प्रतापगढ़ में सूडा में विकास कार्यों के लिए नामित सदस्यों को गलत तरीके से नामित किये जाने के सम्बन्ध में श्री हरि प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	114-115
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत सूखे क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को स्वीकृत किये जाने की घोषणा के उपरान्त भी पूरा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य का स्थगन ...	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में तदर्थ रूप में नियुक्त आयुर्वेद/यूनानी चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक मंत्री का वक्तव्य	115
जनपद सुल्तानपुर में सांसद निधि द्वारा स्वीकृत सड़कों के निर्माण में कार्यदायी संस्था तथा डी0आर0डी0ए0 की मिली भगत से किये गये घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश (श्री ओ0पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	116-117
जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम में विद्युत आपूर्ति हरदोई के किसी भी विद्युत उपकेन्द्र से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	117
जनपद आगरा में उफनाते नाले एवं सीवर लाइनों की सफाई न होने से फैली गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	117-118
जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2003-04 के स्वीकृत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य प्रारम्भ न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुंशी लाल गौतम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	118-119
प्रदेश में मानदेय डिग्री शिक्षकों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	119-120
जनपद बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत शेष गांवों को लेपन सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	120-121
जनपद संतकबीर नगर में कुआनों नदी के कटान से चिवरा गांव को बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	121
आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग उ0 प्र0 में दैनिक लिपिकों का समायोजन कराये जाने के सम्बन्ध में ठाकुर मूल चन्द चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक मंत्री का वक्तव्य ...	122
राज्य सम्पत्ति विभाग की टिकैतराय राजकीय कालोनी, लखनऊ के अध्यासियों के आवासों में कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	122-123

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बरेली में डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	123-124
नगर पालिका परिषद् फैजाबाद के शिव नगर कालोनी के जल निकासी हेतु नाला निर्माण के लिए अवशेष धनराशि को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लल्लू सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	124-125
जनपद आजमगढ़ में नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा रामेपुर धनहेरी में पशु चिकित्सा अस्पताल निर्माण हेतु धन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन मंत्री का वक्तव्य	125
माननीय डिग्री शिक्षकों का विनियमितीकरण कराये जाने सम्बन्धी मद संख्या-41 के उत्तर वितरण पर व्यवस्था का प्रश्न	125-126
जनपद मेरठ के सरधना में लगे बूढ़ा मेले में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा की गयी मार काट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	126-127
जनपद चित्रकूट में दस्यु गिरोहों के बढ़ते आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	127-128
जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया एवं निघासन के सरकारी अस्पतालों में वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत भेजे गये डाक्टरों द्वारा ज्वाइन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री आर0 एस0 कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	129-130
जनपद लखीमपुर खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत चयनित कतिपय समग्र ग्रामों में विकास कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	130-131
प्रदेश में हो रही लूट, अपहरण एवं हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	131-134
जनपद बलिया में चिलकहर क्षेत्र के पकड़ी नगरा और कुरैजी में जल निगम द्वारा पानी की टंकी बनवाए जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य	134-135

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद चन्दौली के चकिया क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सहाबगंज के विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव तपस्या पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	136
शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 के 16 प्रतिशत पदों एवं पदधारकों का उतरांचल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	136-137
शाहजहांपुर नगर में नालों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	137
जनपद मथुरा के गोर्वधन क्षेत्र में नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय पाडल के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्याम सिंह अहेरिया द्वारा नियम-51 के अंन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	138
जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में आसाम बस्ती मार्ग के तिराहे से ग्राम खमरिया के मार्ग को चौड़ा कराते हुए हाटमिक्स से बनवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	139
जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्र में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	139
ललितपुर कस्बे में प्राचीन जलाशय सुरेमा तालाब में सीवर लाइन के पाइप को खोले जाने से हुए जल प्रदूषण के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	140-141
नगर पालिका परिषद्, सुल्तानपुर में की जा रही घोर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	141-142
जनपद फर्रुखाबाद में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी विभाग में वरिष्ठता के आधार पर शासन की नीति के अनुसार चार्ज न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक मंत्री का केवल वक्तव्य	142-143

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गौतमबुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में कतिपय गांवों को विद्युत आपूर्ति उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन नोएडा से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	143
बुन्देलखण्ड सेवा मण्डल, झांसी प्रधान कार्यालय शिवगंज मऊ-रानीपुर को रिवेट क्लेम भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रागी लाल अहिवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खादी ग्रामोद्योग मंत्री का केवल वक्तव्य	143-144
प्रदेश में चल रहे निजी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में मरीजों से लिया जाने वाला शुल्क राजकीय चिकित्सालयों के अनुरूप निर्धारित किये जाने विषयक दिनांक 28 जुलाई, 2004 के तारांकित प्रश्न संख्या-12 नत्थी ख के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	145
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापाकों के लिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिकं केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक दिनांक 27 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या-96 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	145
नत्थी	146

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 3 अगस्त, 2004

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-348

अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0 — बागपत
अजय राय, श्री — वाराणसी
अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री — बरेली
अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री — बाराबंकी
अमरमणि, श्री — महराजगंज
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह(बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
आलम बदी, श्री — आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
आशीष यादव, श्री — बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0 — बिजनौर
इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं
ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री — मऊ
कमलेश कुमार, श्री — गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री — कानपुर देहात

कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरनं गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनू बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मूल चन्द्र चौहान, ठाकुर,	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव,श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा"	ललितपुर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सियाराम सागर, डा0	बरेली	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव	हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0	बांदा	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	"हरीश जी", श्री	वाराणसी
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- श्री राम प्यारे सिंह (पर्यावरण राज्य मंत्री),
श्री राम आसरे विश्वकर्मा (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) तथा
श्री अजीत कुमार राजू (बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद मैनपुरी के थाना किसनी में दिन दहाड़े हुई हत्या के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैनपुरी में थाना किसनी के अन्तर्गत दिनदहाड़े हत्या हुई है इसे मैंने नियम-311 में लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

जीरो आवर में बात होगी पहले प्रश्न प्रहर हो जाय।

प्रदेश में गोकशी प्रकरण पर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से कुछ समय मैं आपका लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर आपका हो जाय।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इस पर वक्तव्य दिला दें। बड़े पैमाने पर प्रदेश में गोकशी हो रही है। कल लखनऊ के कैन्ट थाने में एक ट्रक जिसमें 38 गायें और बैल भरे हुए थे और उसमें दम घुटने से 19 की मृत्यु हो गयी। गोरखपुर से यह कहा जाता है कि वह ट्रक आ रहा है, उसमें बदबू आ रही थी। उसका ट्रक ड्राइवर और क्लीनर भाग गया तो किसी ने पुलिस को खबर दी। 19 पशु तो मरने के रास्ते पर थे इतने ज्यादा बीमार हो गये थे कि 19 पशु उसमें मरे हुए निकले। इसके पहले भी उसी थाने में 20 पकड़े गये थे। इसी तरह से औरैया में भी एक केस हुआ जहां दो हजार गायें काटी जा रही थी, 50 टन से ज्यादा गोमांस बरामद हुआ, कटे हुए सिर और अंग पड़े हुए थे। लोगों में उत्तेजना पैदा हुई। मान्यवर, इस सदन में कानून पास किया गया है कि प्रदेश में गोवंश की हत्या अपराध है।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल, आपका विशेषाधिकार है, किसी भी समय इंटर करने का। आपके सदस्यों ने नोटिस दी है और नियमों के अन्तर्गत उसकी जीरो आवर्स में बात होगी लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है जो आप कह रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस पर आप वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

यह जीरो आवर्स में लगा हुआ है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इसको आगे किसी नियम में स्वीकार कर लें। आज वक्तव्य दिला दें।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रतिमाह प्रति संवासी भरण पोषण हेतु दी जाने वाली दरों का पुनरीक्षण

*1-श्रीमती विमला राकेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रतिमाह प्रति संवासी को किस दर से कितनी धनराशि अवमुक्त की जाती है ? क्या यह सही है कि दी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जाने वाली धनराशि महंगाई को देखते हुए कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार धनराशि बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रतिमाह प्रति संवासी भरण-पोषण हेतु दी जाने वाली दरों का पुनरीक्षण शासनादेश दिनांक 27-05-04 द्वारा किया गया है, जो निम्नवत् है :-

(क) अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं हेतु रु0 650/-

(ख) गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को विशेष आहार हेतु रु0 316/-

(ग) 0-8 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु रु0 550/-

(घ) 8 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिकाओं हेतु रु0 600/-

मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए ही धनराशि पुनरीक्षित की गई है।

भरण-पोषण की धनराशि में वृद्धि कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि माननीय मंत्री जी विधान परिषद् में है इसलिए इसको बाद में लिया जायेगा।

उ0 प्र0 में भू-गर्भ जल स्तर में गिरावट तथा उसको रोकने हेतु योजनाएं

*2-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में भूगर्भ जल कितने से0 मी0 प्रतिवर्ष नीचे खिसक रहा है ? क्या सरकार इसे रोकने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

प्रदेश के 802 विकास खण्डों में से 260 विकास खण्डों में गत 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर 10 से0मी0 से 70 से0मी0 तक प्रतिवर्ष भूजल स्तर में गिरावट का आंकलन किया गया है।

प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा भू-जलस्तर गिरने से रोकने हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज हेतु योजनायें चलायी जा रही है जिनमें मुख्य रूप से निम्न कार्य किए जा रहे हैं :-

(1) भू-जल संग्रहण के महत्व तथा इस सम्बन्ध में सरल एवं सस्ती तकनीक अपनाये जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा है।

(2) शहरी क्षेत्रों में भू-जल संरक्षण एवं रिचार्ज हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(3) प्रदेश में परम्परागत जल स्रोतों के संवर्धन एवं जीर्णोद्धार की योजना चलाई जा रही है।

(4) प्रदेश के बुन्देलखण्ड तथा अन्य स्थानों पर भी वर्षा जल संचयी योजना के अन्तर्गत चेकडैमों का निर्माण कराया जा रहा है।

(5) ग्रामीण पेयजल योजना की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का 25 प्रतिशत भू-जलरिचार्ज हेतु मात्राकृत किया जा रहा है। त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों में स्वीकृत धनराशि का 5 प्रतिशत स्रोतों के स्थायित्व पर व्यय किया जा रहा है।

(6) सम्बन्धित विभागों द्वारा कराये जा रहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज से सम्बन्धित कार्यों का अनुश्रवण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों की "कार्यकारी समिति" द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम इकबाल सिंह-

अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। जैसाकि उत्तर में कहा गया कि 10 सेमी0 से 70 सेमी0 तक प्रतिवर्ष भू-जलस्तर में गिरावट आ रही है, इसको रोकने के लिये सरकार ने उपाय भी गिनाये हैं। उसके बावजूद भी जलस्तर 10 से 70 सेमी0 नीचे गिर रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिये कितना समय तय किया गया है और इन प्रोग्रामों के लिये कितने मद की व्यवस्था की गई है। यह जो इतना जलस्तर नीचे जा रहा है, यह कब तक रुक जायेगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बलिया जनपद में प्रतिवर्ष कितना भू-गर्भ जलस्तर नीचे जा रहा है ? पेयजल संकट के निवारण हेतु लगाये गये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प भी पानी छोड़ देते हैं तो पानी के वाटर लेबिल को ऊपर करने के लिये कौन सी व्यवस्था की गयी है और उसके लिए कितना धन आवंटित है। यह भी बता दें कि बलिया जनपद के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री शाकिर अली-

हमने प्रश्न के उत्तर में बता दिया है कि चेकडैम के माध्यम से सिंचाई के माध्यम से जल स्तर ऊपर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मान्यवर, इस काम में 7-8 विभाग इन्वाल्व हैं जिसमें मुख्य रूप से नगर विकास, नगर निगम, जल निगम, आवास एवं शहरी विकास, लघु सिंचाई, सिंचाई विभाग, वन विभाग, मत्स्य विभाग, पर्यावरण विभाग हैं। यह सारे विभाग नीचे गिर रहे जल स्तर को रोकने के लिए प्रयास करते हैं। इसके अलावा भूमि जल संसाधन विकास विभाग भी आती है जो चेकडैम बनाते हैं और तालाब बनाकर जलस्तर बनाये रखने का काम करते हैं। इसके अलावा नाले होते हैं उस पर चेकडैम बनाते हैं और नहरों की सिंचाई के माध्यम से जल स्तर बना रहता है। यह तमाम विभाग हमने बता दिया है जहां तक बजट का सवाल है, अलग-अलग विभागों में अलग-अलग बजट होते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक मैं इस्पेसफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सरकार के द्वारा भू-गर्भ जलस्तर को बनाये रखने के लिए जो व्यवस्था की गयी है उससे हम कितने प्रतिशत जलस्तर को रोक पा रहे हैं, रिचार्ज करा पा रहे हैं ?

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, हमारा जलस्तर कहीं-कहीं 7 मीटर तक नीचे गिर चुका है। बहुत सारे विभाग हैं जो भू-गर्भ जलस्तर को बनाये रखने का काम कर रहे हैं। भू-गर्भ जल, आवास एवं नगर विकास

विभाग में रूफटाप योजना के अन्तर्गत 24,118,79 घनमीटर पानी संचित किया गया है। फिर भी हम जलस्तर को बनाये रखने में नाकामयाब है क्योंकि लोगों की मानसिकता है कि जमीन के अन्दर बहुत पानी है जो कि खत्म नहीं हो सकता है, सबसे पहले इस मानसिकता को बदलना होगा और इसके लिए एक जनान्दोलन की आवश्यकता है उसके बिना इसका रुकना सम्भव नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि पानी के भू-गर्भ का गिरता हुआ जलस्तर प्रदेश और पूरे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कहा गया है कि अगला विश्वयुद्ध पानी के लिए होगा। ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री जी के द्वारा यह बताया गया कि 10 से 70 सेमी0 जलस्तर प्रतिवर्ष गिर रहा है और उसे रोकने के लिए शासन के द्वारा प्रयास भी किये जा रहे हैं। इसमें मेरा प्रश्न है कि इन सारे प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 10 से 70 सेमी0 होने वाली गिरावट का कितना प्रतिशत हम रोक पा रहे हैं और मेरा दूसरा प्रश्न है कि ...

श्री अध्यक्ष-

एक-एक सवाल का जवाब आने दीजिए दूसरा प्रश्न फिर पूछ लीजिएगा। माननीय मंत्री जी बतायें कि कितने प्रतिशत आप रोक पाये हैं ?

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, प्रतिशत में जवाब मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है इसे मैं घन मी0 में बता दे रहा हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है और सरकार के प्रयास भी गम्भीर हैं। उन्होंने कितना जलस्तर गिर रहा है उसे प्रतिशत में बताया है और उत्तर घन मीटर में बता रहे हैं। अच्छा होगा कि यह जलस्तर की गिरावट को भी घनमीटर में बता दें। माननीय मंत्री जी ने बताया कि बुन्देलखण्ड में चेकडैमों का निर्माण किया जा रहा है तो कितने चेकडैमों के निर्माण का आपका टारगेट था और कितने बनाये गये हैं ? आपने आगे बताया है कि ग्रामीण पेयजल योजना की समस्या के निराकरण हेतु प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का 25 प्रतिशत भू-जलरिचार्ज हेतु मात्राकृत किया जा रहा है। त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों में स्वीकृत धनराशि का 5 प्रतिशत स्रोतों के स्थायित्व पर व्यय किया जा रहा है। इसमें मैं पूछना चाहता हूं कि इस 25 प्रतिशत धनराशि से क्या-क्या काम किये जा रहे हैं ? इसके आगे आपने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसका अन्वेषण हो रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अन्तिम बैठक कब हुई थी और बैठक के क्या-क्या निष्कर्ष सामने आये थे और भविष्य के लिए क्या टारगेट रखा गया ?

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, आपने प्रतिशत में पूछा है इसें मैं बाद में बता दूंगा अभी मैं घनमीटर में बता दूंगा। बुन्देलखण्ड में 802 चेकडैम बनाये जा चुके हैं और 1019 प्रस्तावित हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृपापूर्वक संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब खड़े हो गये हैं, कृपया उनको कहने दीजिए।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह विषय और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे प्रदेश के अन्दर हर जगह भू-गर्भ जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं ? मैं केवल दो बिन्दुओं के बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि योजना उत्तर प्रदेश के अन्दर किस वर्ष से चालू है और इसके अन्दर कितने धनराशि की व्यवस्था की गयी है तथा कितने जनपदों में यह योजना लागू है तथा इसका कितना लाभ दिखायी दे रहा है ?

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया कि यह सात-आठ विभागों से संबंधित है और हर विभाग के अलग-अलग बजट हैं तो हमें हर विभाग को अलग-अलग देखना होगा। जैसा कि आपने कहा कि कब से लागू है तो यह शायद 1980 से लागू है। हम रूफ टॉप रेन वाटर से भी जल संग्रह कर भू-गर्भ जल स्तर को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करिये। पहले मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए जब आप संतुष्ट न हों, तब मुझ से कहिये।

मंत्री जी, डा0 गौर साहब ने पूछा है कि आपने तमाम योजनायें बनायी हैं, इसके लिए कितना धन आवंटित हुआ है तथा कितने जनपदों में यह योजना लागू है तथा कब से यह योजना बनी ?

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, ये 7-8 विभागों से संबंधित है। हम आपको यह सूचना दे देंगे कि इसके लिए किन-किन विभागों में कितना धन आवंटित है ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मंत्री जी यह कहकर तथ्यों की अनदेखी कर रहे हैं कि यह विभिन्न विभागों से संबंधित है। जब यह प्रश्न लगा था तो मंत्री जी को सारी जानकारी एकत्र करके आना चाहिए।

श्री शाकिर अली-

हर विभाग में कितना बजट इस मद में रखा गया है, मैं माननीय सदस्यों को जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानकारी करना चाहता हूं और जानकारी करने से पहले मैं उनको थोड़ी सी जानकारी देना भी चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि भू-गर्भ जलस्तर को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा योजना चलायी जा रही है। केवल एक जानकारी दे करके प्रश्न करूंगा। पश्चिम में एक बहुत महत्वपूर्ण नदी कृष्णा नदी है। इस कृष्णा नदी पर चेक डैम बनाने की योजना पहले सरकार ने बनायी थी, योजना स्वीकृत हो गयी थी और केन्द्र से 8 करोड़ रुपया स्वीकार हो गया था तथा 8 चेकडैम बनने थे। उनमें से एक बनकर तैयार हो गया था। 29 अगस्त, 03 को इस सरकार की शपथ हुई है और जुलाई महीने में वह बनकर तैयार हो गयी थी 7 चेकडैम और बनने थे, सारी योजना बन करके सरकार में आ गयी। कितनी अच्छी सरकार की

संवेदनशीलता है कि जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए 29 अगस्त, 03 के बाद एक भी चेकडैम पर आज तक काम नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभिन्न योजनाओं का जिक्र मंत्री जी ने किया ये योजनायें चल रही है और मंत्री जी लघु सिंचाई मंत्री होने के नाते सारी योजनाओं का समन्वय करते हैं तो क्या मेरी जानकारी को सही मान करके क्या आप उस योजना को तुरन्त चालू करने का काम करेंगे ?

श्री शाकिर अली-

इसको मैं दिखवा लूंगा। बुन्देलखण्ड में दो तैयार हो गये हैं, एक प्रस्तावित है। झांसी मण्डल में 417 और चित्रकूट मण्डल में ....

श्री हुकुम सिंह-

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मैंने यह नहीं पूछा है। मैंने आपको नाम और स्थान बताया है।

श्री शाकिर अली-

मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, यह राजनीति से अलग हटकर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसको जरूरत नहीं है वह भी पानी जमीन से निकाल रहा है। जमीन में पानी वापस जाने के रास्ते बन्द हो चुके हैं। पोखर, तालाब पट्टे पर दे दिये गये हैं और शहरों में ऐसे तालाबों, पोखरों पर आलीशान मकान बन गये हैं इसलिये कुछ हो नहीं पा रहा है। एक योजना मैंने शुरू की थी जिसमें 10 हजार वर्गफुट से बड़े मकान बनने पर वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी अनिवार्य की गयी थी। उनके नक्शे पास करने में यह शर्त रखी गयी थी वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान्ट लगायेंगे। तभी उनको एन0ओ0सी0 मिलेगी। क्या मैं यह जानने का हक रखता हूं कि वह योजना चल रही है और नक्शों की चेकिंग हो रही है तथा कितने लोग इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आपने जो कहा है उसका संबंध इस प्रश्न से कैसे है ?

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, 1 हजार वर्गमीटर की वह योजना अभी चल रही है। अब 300 वर्गमीटर का यदि कोई मकान बनायेगा तो छत पर रूफ टापरेन वाटर हार्वेस्टिंग करा रहे हैं। 10 हजार वर्गफुट से अधिक के 209 भवनों में यह काम हो चुका है। 177 निजी भवनों में यह काम हो चुका है [illegible] लोगों के नक्शे पास न होने के आधार पर उन्होंने मकान नहीं बनाया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, भूमिगत पानी का जल स्तर गिर रहा है। इनके विभाग द्वारा फ्री बोरिंग स्कीम चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे ब्लाक हैं जो जल स्तर के हिसाब से ब्लैक लिस्टेड किये गये हैं ?

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, 22 ब्लाक ऐसे हैं जो अति दोहित माने गये हैं। इनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। यहां पर बोरिंग नहीं होगी।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि बलिया जनपद में जो 3 तरफ से नदियों से घिरा है उसका जल स्तर गर्मी में काफी नीचे चला जाता है और 200 फिट तक लगे हैण्ड पम्प पानी नहीं पकड़ते हैं। बलिया जनपद के जल स्तर को बढ़ाने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है उसको बता दें ?

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, बलिया में विकास खण्ड बेरिया में 10-20 से0मी0 पानी के जल स्तर की गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी तरह से विकास खण्ड गरवारा में 20-30 से0 मी0 जल स्तर की गिरावट दर्ज की जा रही है। इसको रोकने के लिये जैसे मैंने बताया है कि भारत सरकार द्वारा परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करते हैं। नये जलाशय बनाते हैं। आवासीय कालोनी यदि 20 एकड़ की बनायी जाती है तो एक एकड़ का तालाब बनाते हैं। उसके नीचे यदि कोई आवासीय कालोनी बनाते हैं तो ग्रीन बेल्ट और तालाब बनाते हैं।

शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि किये जाने की मांग

*3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति विचार किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय मंत्री जी पश्चिम के रहने वाले हैं मंत्री जी ने जो जवाब दिया उनसे यह अपेक्षा नहीं थी क्योंकि आप विद्वान भी हैं और दिलवाले भी। मैं आपके माध्यम से दो बातें पूछना चाहता हूं। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 2250 रुपये प्रति माह दिया जाता है। 2250 रुपये में एक शिक्षा मित्र के परिवार की गुजर बसर कैसे हो सकती है। हमसे लगा हुआ प्रदेश उत्तरांचल है जो हमारे प्रदेश को काटकर बनाया गया है वहां पर शिक्षा मित्रों को प्रतिमाह 3250 रुपये मिलते हैं। मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि वेतन बढ़ाने पर विचार नहीं हो रहा है। अभी पिछले मंगलवार को शिक्षा मित्रों द्वारा एक ज्ञापन आपको दिया गया था जिस पर आपने कहा था कि सीमित संसाधनों को देखते हुए विचार हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2250 रुपये बहुत कम है जिस प्रकार उत्तरांचल के शिक्षा मंत्री ने वहां के सीमित संसाधनों के बावजूद 3250 रुपया प्रति माह कर दिया तो उसी प्रकार इसको यहां भी बढ़ाने पर विचार करेंगे ? अभी राहत मंत्री नहीं हैं वह रोज कहते हैं कि संसाधनों की कमी नहीं है। आप कहते हैं कि संसाधनों की कमी है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से दिया जाता है तो इस व्यवस्था में परिवर्तन करने पर विचार करेंगे ?

श्री किरन पाल सिंह-

अध्यक्ष जी खन्ना जी ने कहा कि एक पत्र शिक्षा मित्रों द्वारा दिया जाता है उसके बारे में कहा कि उस पर विचार करेंगे। उस पर विचार किया गया और औचित्य नहीं पाया गया। दूसरा सवाल यह कि बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। प्रक्रिया जो अच्छी से अच्छी हो सकती है वह है ग्राम शिक्षा

समिति मेरिट के आधार पर चयन करती है। जो रिजर्वेशन के नियम हैं वह लागू होते हैं। जिला स्तर पर परीक्षण किया जाता है तब उनको कांट्रेक्ट पर रखा जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वर्तमान प्रक्रिया से समय से वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है जिस प्रकार से शिक्षकों का वेतन खातों में चला जाता है उसी प्रकार की प्रक्रिया शिक्षा मित्रों के बारे में अपनायेंगे ?

श्री किरन पाल सिंह-

अध्यक्ष जी खन्ना जी को जानंकारी होगी कि यह हमारे रेगुलर इम्प्लाई नहीं हैं। इनको कांट्रेक्ट पर रखा जाता है। अतः इनके किस प्रकार रेगुलर इम्प्लाई की तरह से खाते खुलवाए जा सकते हैं ? वर्तमान में जो प्रक्रिया है वह सही है। यह कांट्रेक्ट बेसिस पर रखे जाते हैं। हमारे इम्प्लाई नहीं हैं। ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से मानदेय मिलता है। जहां कहीं शिकायत आती है उसका निराकरण करवा लेते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

समय से वेतन मिल जाए इतना करवा दीजिए।

श्री किरन पाल सिंह-

समय से दिलवाया जाएगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश या प्रदेश के अन्दर शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय होता है। शिक्षा मित्र बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं और उनको जो वेतन या मानदेय मिल रहा है वह एक चपरासी से भी कम मिल रहा है तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि शिक्षा मित्र बच्चों को सही शिक्षा देंगे। इतने कम वेतन में उनके परिवार और बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से नहीं चलेगा मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस बात को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मित्रों को जो मानदेय मिल रहा है उसमें वृद्धि करेंगे जिससे कि बच्चों को सही शिक्षा मिल सके ?

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, 4 महीने से 900 शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां रुकी हुई हैं जिससे शिक्षण के कार्य में व्यवधान हो रहा है। शैक्षिक सत्र शुरू हो गया है लेकिन नियुक्तियां न होने के कारण से अध्यापन का कार्य प्रभावित हो रहा है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर एकल टीचर हैं। मैं अपने जनपद पीलीभीत के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति होनी है। क्या माननीय मंत्री जी एक सप्ताह के अन्दर वहां पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करने की घोषणा करेंगे ?

श्री किरन पाल सिंह-

माननीय सदस्य ने जो संख्या बताई है, वह गलत है उन्हें संख्या की ठीक जानकारी नहीं है। शिक्षा मित्रों के चयन की प्रक्रिया गतिमान है।

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, मैं लखीमपुर खीरी की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड ...

श्री अध्यक्ष-

यह इससे संबंधित नहीं है अगर आप चाहें तो लिखकर दे दें।

हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं की पवित्रता बनाये रखने हेतु योजना

*4-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल का परीक्षाफल का अधिक प्रतिशत होने का कारण स्वकेन्द्र परीक्षा पद्धति का होना है ? यदि हां, तो क्या सरकार परीक्षाओं की पवित्रता बनाये रखने हेतु कोई स्पष्ट योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मान पाल सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान नीति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता न होने के कारण।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल का परीक्षाफल का अधिक प्रतिशत होने का कारण स्वकेन्द्र परीक्षा पद्धति का होना है ? मंत्री जी ने उत्तर दिया जी नहीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर शिक्षा में क्या सुधार हुआ है या अच्छे छात्र आने लगे या शिक्षा मित्र अच्छा पढ़ाने लगे ? यह होता तो निश्चित रूप से परीक्षाफल अच्छा होगा लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स0 पा0 की सरकार के आते ही समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह का एफेक्ट हो जाता है और शिक्षा का स्तर गिर जाता है। परीक्षाफल प्रभावित हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष का कितना प्रतिशत रहा है और पिछले दो वर्षों में हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट का कितना प्रतिशत रहा है। प्रतिशत ज्यादा होने के कारण से या किसी भी कारण से प्रवेश की समस्या के समाधान के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री मान पाल सिंह-

हाई स्कूल का संस्थागत का 72.32 प्रतिशत और व्यक्तिगत का 57.29 प्रतिशत कुल औसत 70.61 प्रतिशत रहा है और इण्टरमीडिएट का श्रीमान् 89.50 प्रतिशत रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने पिछले दो वर्षों का कितना प्रतिशत रहा है यह भी जानना चाहा है।

श्री मान पाल सिंह-

2003 में हाई स्कूल का संस्थागत का 42.40 प्रतिशत और इण्टरमीडिएट का 73.70 प्रतिशत रहा है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, पूरा उत्तर नहीं आया है। मैंने इसके साथ-साथ यह भी प्रश्न पूछा था कि इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल 90 प्रतिशत आया तो प्रवेश के सम्बन्ध में सवाल किया है। नियम-56 के

अन्तर्गत भी प्रवेश समस्या के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। उस समय मंत्री जी ने कहा था कि 25 परसेन्ट सीट यूनिवर्सिटी डिग्री कालेज में बढ़ाने की बात कही थी, सायंकालीन कक्षायें चलाने की बात कही थी स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रवेश की बात कही थी, मुझे निश्चित जानकारी है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर महाविद्यालयों के अन्दर 10 प्रतिशत सीटें बढ़ाने की बात कही जा रही हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में प्रवेश के बारे में यूनिवर्सिटी, डिग्री कालेज में प्रवेश की क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष-

वह नहीं बता सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा के हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य-

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल में क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

इण्टरमीडिएट के बाद तो स्नातक में जाएगा दोनों मंत्री बैठे हैं मंत्रि-मण्डल का सामूहिक दायित्व होता है भ्रमित करने का प्रयास नहीं होना चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

संयुक्त उत्तरदायित्व के नाते उत्तर दे रहे हैं इसलिए माननीय सदस्य को अधिकार है कि वह उत्तर मांग सकें मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मंत्री जी ने रिजल्ट का प्रतिशत पिछले सालों का बताया पिछले सालों का 42 प्रतिशत था इस बार 70 प्रतिशत है तो इस अच्छे रिजल्ट के आने का क्या कारण है सरकार स्पष्ट रूप से बताने की स्थिति में है ?

एक सदस्य-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

शिक्षा में पवित्रता बनाये रखने के लिए कोई योजना बनाई गई है ? शिक्षा में पवित्रता की बात है, गंगाजल सी पवित्रता की बात नहीं है। मैं इतना जानना चाहता हूं वर्तमान में जो शिक्षा की व्यवस्थायें हैं वह पूर्णतया मानक के अनुरूप हो गई हैं या उसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है ? शिक्षकों की कमी है, उपकरणों की कमी है ? स्थान की कमी है किताबों की कमी है प्रश्न के उत्तर में यह क्यों लिखा है कि प्रश्न नहीं उठता है। (व्यवधान) ऐसा परीक्षाफल आने का क्या कारण है ? पवित्रता की जो बात कही गई वह गंगाजल पवित्र करने की बात नहीं है पढ़ाई और अध्यापकों के स्तर में सुधार करने की बात है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छे रिजल्ट के क्या कारण हैं बता दें पढ़ाई ठीक चल रही है ? (व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है लेकिन प्राम्टिंग नहीं होनी चाहिए।

श्री मानपाल सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न अपने अनुपूरक में पूछे हैं। पहले प्रश्न में उन्होंने यह पूछा है कि अच्छे परिणाम के क्या कारण हैं, इसके बारे में बताना चाहता हूं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, परीक्षण और पर्यवेक्षण में सुधार किया है और तनावमुक्त वातावरण में बच्चों ने परीक्षा दी है। इसके अलावा जो बड़ा कारण है, बी0 जे0 पी0 की जो मूल्यांकन पद्धति है, उसमें सुधार किया गया है, मार्किंग के बारे में बताया गया, इससे भी असर पड़ा है। जो हमारे टापर्स लड़के हैं, इसके कारण उनके अंकों में भी 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी ने अच्छे परिणाम के कारण तो बता दिए। हाई स्कूल का प्रतिशत बताया, मैं जानना चाहता हूं कि हाई स्कूल में कुल कितने छात्र पास हुए, उनकी संख्या कितनी है और उनके प्रवेश के लिए कितनी सीटें आपके पास इण्टरमीडिएट में उपलब्ध हैं, 11वीं कक्षा में कितनी सीटें उपलब्ध हैं और इसी प्रकार इण्टरमीडिएट में कितने छात्र पास हुए तथा डिग्री में आपके पास कितनी सीटें उपलब्ध हैं ?

श्री मानपाल सिंह-

मान्यवर, बच्चों को प्रवेश में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर, यह सही है कि हमारे पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं हैं कि हम एक साथ इतने स्कूल खोल देंगे लेकिन हमने एक सितम्बर, 2003 से अब तक जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, ऐसे 685 विद्यालयों को मान्यताएं दी हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने मान्यता दी है, आपने सारी व्यवस्था कर दी, आपने स्वच्छ परीक्षा करा दी, सब ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि कितनी संख्या हाई स्कूल में पास होने वाले छात्रों की है और 11वीं कक्षा में कितनी सीटें उपलब्ध हैं और कितने परीक्षार्थी इण्टरमीडिएट में पास हुए और कितनी सीटें बी0 ए0, बी0 एस0 सी0, बी0 काम0 में प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं ?

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल के खड़े होने पर कई सदस्यों ने जोर-जोर से बोलना शुरू कर दिया। (व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

ये जवाब चाहते हैं, हम जवाब दे रहे हैं, इन्हें आपत्ति क्यों है ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल जी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं या आप अपनी बात कहना चाहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा कहना है कि मेरे सवाल का उत्तर विभागीय मंत्री जी दे दें। जब परिवहन विभाग से संबंधित प्रश्न पूछा जाये तो माननीय अग्रवाल जी उत्तर दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अगर वह प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो यह तो मंत्रि-मण्डल के सामूहिक दायित्व के तहत है। लेकिन माननीय हुकुम सिंह जी का कहना है कि अगर विभागीय मंत्री जी यहीं उपस्थित हैं और वह प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री मुंशी लाल गौतम सहित कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह सदन आपके निर्देश पर चलेगा माननीय सदस्यों के निर्देशों पर नहीं चलेगा। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद-164 की धारा-2 में ...

श्री अध्यक्ष-

देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के सवालों का उत्तर देने के लिए हमारे पास जो सूची है उसमें माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री मानपाल सिंह जी को उत्तर देने का निर्देश दिया है तो आप उनको उत्तर दे लेने दीजिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं। यह बात सही है कि विभाग का उत्तर देने का दायित्व संबंधित मंत्री का या माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा नियुक्त मंत्री का होता है यदि सदन में संबंधित मंत्री न आये और अगर प्रश्न का जवाब कोई अन्य मंत्री दे तो वह सरकार का जवाब माना जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

जब भारसाधक मंत्री जी उपस्थित हैं और समूचा जवाब दे रहे हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? माननीय मानपाल सिंह जी को उत्तर देने दीजिए।

(सदस्यगण अपने स्थान पर बैठ गये)

श्री मानपाल सिंह-

माननीय हुकुम सिंह जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं उन्होंने पूछा था कि छात्रों के प्रवेश की समस्या आ रही है ? तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रवेश की कोई प्राब्लम नहीं है। हमने नए स्कूलों को मान्यताएं दी हैं और आगे भी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा बहुत ही सूक्ष्म सवाल है और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाई स्कूल में कुल कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और उनके अनुपात में इण्टरमीडिएट में कितनी सीटें प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं ? दूसरा मैंने पूछा कि इण्टरमीडिएट में उत्तर प्रदेश में कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और उसके अनुपात में ग्रेन्यूएशन में कितनी सीटें उपलब्ध हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले जवाब तो आ जाने दें। माननीय हुकुम सिंह जी का सवाल है कि कितने हाई स्कूल में और कितने इण्टरमीडिएट में लड़के पास हुए और कितनी सीटें अगली कक्षा में उपलब्ध हैं। यदि जितने पास हैं उतनी सीटें हैं तो हां कह दीजिए अगर नहीं हैं तो नहीं कह दीजिए।

श्री मानपाल सिंह-

मान्यवर, हाई स्कूल में लगभग 25 लाख परीक्षार्थी बैठे थे उसमें जो पास हुए हैं उनका प्रतिशत 70.61 था। अगर इनकी कहीं कोई समस्या है तो बता दें हम व्यवस्था करा देंगे। हमने बड़े पैमाने पर व्यवस्था कर रखी है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, हमारा स्पष्ट सवाल है कि कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए और कुल कितनी सीटें उपलब्ध हैं ? यह बताने में इन्हें क्या दिक्कत है। मान्यवर, अगर यह नहीं बता पा रहे हैं तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री मानपाल सिंह-

मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया कि कोई प्रवेश की समस्या नहीं है, नयी मान्यताएं दी गयी हैं। अगर कोई विशेष उल्लेख है तो बता दें हम दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप इसे नियम-49 में दे दीजिए, इस पर आधे घण्टे की चर्चा हो जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसे स्थगित कर दें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इससे सुस्पष्ट और कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। यह पूछा गया कि कुल कितने लड़के हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट में पास हुए और कुल कितनी सीटें इनके लिए उपलब्ध हैं। अगर यह इतनी सी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसे स्थगित कर दें। यह अगली बार तैयार होकर आयें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग जो एक साथ बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें। प्रश्न प्रहर में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को चलाने की अकेली हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सत्ता पक्ष के मंत्री बीच-बीच में खड़े होकर हस्तक्षेप करने लगते हैं। जितने खड़े हुए, सब मंत्री खड़े हुए तो क्या यह सदन मंत्रियों द्वारा संचालित होगा ? क्या हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर कोई दूसरे विभाग के मंत्री देंगे, इस तरीके की व्यवस्था यहां पर रहेगी तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें, नहीं तो हम इसके विरोध में वाकआउट करते हैं।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मेरी एक आपत्ति है, उसे सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इस पर अभी जब "काम रोको प्रस्ताव" आया था तो माननीय राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा ने अपनी बात बता दी थी, अब यह प्रश्न आते-आते प्रवेश पर आ गया, अब माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सब प्रवेश की बात करेंगे और हमारा प्रयास है कि सभी छात्रों का प्रवेश समय से हो जाए, अब अगर आप उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो हम इस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, प्रवेश का समय निकला जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रवेश नहीं हो पाए हैं। आखिर उनका प्रवेश कब होगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों की जिज्ञासा यह है कि प्रवेश का समय तो निर्धारित है और वह समय चला जा रहा है आपका कहना है कि बहुत से छात्र घूम रहे हैं, उनको प्रवेश मिलने की समस्या है, इनके प्रवेश की कोई व्यवस्था आप कर सकेंगे।

श्री मानपाल सिंह-

मान्यवर, हम प्रयास करेंगे कि कोई भी बच्चा बगैर प्रवेश के न रहे, अगर माननीय सदस्य का कोई स्पैसिफिक मामला हो तो वह हमें बता दें हम उसकी जानकारी करके बता देंगे।

(व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अब यह सदन की सम्पत्ति हो गई है, इसलिए मेरा निवेदन है कि अब आप कृपापूर्वक इसे स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हम प्रवेश की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं तो आप काहे को परेशान हैं।

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, जैसे पूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी ने, नेता विपक्षी दल ने और जो सम्मानित नेता हैं, उन्होंने कहा कि दूसरे मंत्री उत्तर कैसे दे सकते हैं तो श्रीमन्, इसी तरह से दूसरे सदस्य के प्रश्न पर कोई दूसरा सदस्य कैसे प्रश्न कर सकता है ?

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि कितने बालक पास हुए और अगली कक्षा में कितनी सीटें उपलब्ध हैं, इतने से आंकड़े नहीं हैं, इसका उत्तर नहीं है तो यह व्यवस्था क्या करेंगे ? हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, प्रवेश का प्रश्न यहां पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आपके उत्तर के अनुसार विपक्ष के लोग गणित नहीं लगा पा रहे हैं, अगर आपके पास सूचना हो तो आप बता दें कि हाई स्कूल-इण्टरमीडिएट में कितनी सीटें थीं और कितनी सीटों पर प्रवेश करने की व्यवस्था है आप बता दें।

श्री मानपाल सिंह-

मान्यवर, 25 लाख के करीब छात्र बैठे थे और 70.61 प्रतिशत पास हुए अब यह हिसाब लगा लें, कहीं पर ऐसी समस्या नहीं है कि प्रवेश की कोई दिक्कत हो।

श्री अध्यक्ष-

यह आंकड़े आपके पास नहीं हैं ?

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, यह हमारे छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम सब इसके विरोध में इस सदन से वाक आउट कर रहे हैं।

(नेता विरोधी दल ने शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रवेश की जो तिथि है उसको कृपया आगे बढ़वा दें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन करते समय "छात्र विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी" के नारे लगाते रहे।)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नारद राय)-

मान्यवर, यह जो सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं, इनमें से किसी का भी बच्चा हाई स्कूल और इण्टर बोर्ड का नहीं है, यह सब शिशु मन्दिर वाले हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आज आपने जो यह निर्णय दे दिया है कि किसी मंत्री के प्रश्न का उत्तर दूसरा मंत्री नहीं दे सकता है, इस निर्णय पर कृपया पुनर्विचार कर लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें भारसाधक मंत्री की बात है, प्रश्नों के उत्तर और बजट चर्चा के सम्बन्ध में लिखकर दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग का कौन उत्तर देगा, माननीय मुख्य मंत्री जी का निर्देश चलेगा कि आपका चलेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं सत्ता पक्ष से सम्बन्धित हूं इसलिए औचित्य का प्रश्न नहीं उठा सकता, लेकिन संविधान में आप देखें सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लेख है। इसलिए यह उचित नहीं लग रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अगला प्रश्न श्रीमती विमला राकेश का है। वे उपस्थित नहीं हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, प्रश्न संख्या-6 ले लें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, अभी प्रवेश के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप लोग बहिर्गमन करके चले गये थे फिर लौटकर आ गये। अभी यह प्रश्न संख्या-6 खत्म हो जाय तभी उठाइयेगा।

*5-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

वर्ष 2003-2004 में समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को निर्धारित मानक के अनुसार संतृप्त किये जाने की जानकारी

*6-श्री सुखदेव राजभर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में किन-किन विकास कार्यों को कराये जाने की योजना है ? क्या वर्ष 2003-2004 में चयनित ग्रामों को निर्धारित मानक के अनुसार संतृप्त करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

जी हां। समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में 15 विकास कार्य कराये जाते हैं यथा 1-स्वच्छ पेयजल, 2-इन्दिरा आवास योजना, 3-स्वच्छ शौचालय निर्माण, 4-सम्पर्क मार्ग निर्माण, 5-नाली/खड़न्जे का निर्माण, 6-प्राइमरी पाठशाला की स्थापना/भवन निर्माण, 7-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, 8-निःशुल्क बोरिंग, 9-वृद्धावस्था पेंशन, 10-विधवा पेंशन, 11-उच्च प्राथमिक पाठशाला की स्थापना/भवन निर्माण, 12-(क) कृषि भूमि आवंटन, (ख) सीलिंग से सरप्लस भूमि आवास स्थल आवंटन, (ग) मछली पालन स्थल आवंटन, (घ) कुम्हारी कला हेतु स्थल का आवंटन, (च) पट्टे पर दी गयी भूमि के कब्जे का सत्यापन, 13-(क) विकलांग पेंशन (ख) उपकरण सहायता योजना, 14-परिवार कल्याण तथा 15-टीकाकरण।

जी नहीं। सभी चयनित गांव सभी 15 सूत्रों से संतृप्त नहीं हो सके हैं।

समग्र ग्राम्य विकास योजना 9 दिसम्बर, 2003 से लागू की गयी है। संतृप्तीकरण का समय साध्य है जैसे सड़क या स्कूल बनने में स्थलीय स्थिति के अनुसार पर्याप्त समय लगता है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने समग्र गांवों के विकास के लिए 16 बिन्दुओं से संतृप्तीकरण करने की घोषणा की थी। अब उसमें से एक बिन्दु विद्युतीकरण का हटा दिया गया है। विद्युतीकरण समग्र गांवों में आप करवा रहे हैं। आपने पेयजल की बात कही है, जो 100-100 हैण्डपम्प प्रत्येक विधायक को देने की बात हुई, उसमें शासनादेश भेज दिया गया है कि उसमें से 50 हैण्डपम्प समग्र गांवों को केवल दिया जायेगा। इस तरह से 100 में से आपने 50 हैण्डपम्प घटाकर 50 हैण्डपम्प समग्र गांवों के लिए कर दिया है बिजली आप लगवा नहीं रहे हैं, सड़कें बनवा नहीं रहे हैं, समग्र गांवों के नाम पर सदन को गुमराह किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 16 बिन्दुओं से संतृप्तीकरण करने की जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की थी और जिसमें से एक विद्युतीकरण का बिन्दु हटा दिया गया है तो यह बताने का कष्ट करें कि जो उसमें सड़क बनाने की योजना है तो वह सड़कें कब तक समग्र गांवों में बनवा देंगे ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है तो यह योजना 15 सूत्रों की है, सड़क बनाने में समय लगता है स्कूल भवन निर्माण में समय लगता है। 9 दिसम्बर, 2003 को यह योजना लागू हुई

उसके बाद चुनाव आ गये तो उसमें समय लगता है। हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं, हम समग्र गांव को संतृप्त करेंगे।

श्री अशोक सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल की बात कही गयी है तो क्या सरकार इसके लिए अलग से धन की व्यवस्था करेगी और नहीं करेगी तो शिक्षा समिति का जनपद में मौजूदा निर्माण का सारा धन सरकार से जाता है उन स्कूलों को संतृप्त करायेंगे ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहता हूं योजना जो हैं वह 15 सूत्री हैं उसका सम्बन्ध 10 विभाग से है उनके द्वारा निर्गत बजट का एकजाई करके किया जाता है अलग से धन आवंटन करने का प्राविधान नहीं है समग्र ग्राम योजना में।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषित किया और गांव में चर्चा चली कि एक अच्छी योजना है। मैं जानना चाहता हूं इन्होंने बताया है प्रश्न के अन्त में जो इनके सामने संतृप्त करने में समस्या आई वह है समग्र ग्राम्य विकास योजना 9 दिसम्बर, 2003 से लागू हो गया है। संतृप्तीकरण समय साध्य है जैसे सड़क या स्कूल बनने में स्थलीय स्थिति के अनुसार पर्याप्त समय लगता है। मान्यवर, 15 प्वाइन्ट हैं संतृप्त करने के जो आधार दिये हैं सड़क और विद्यालय इनके स्थल चयन में समस्या आती है इसलिए संतृप्तीकरण नहीं किया। विद्युतीकरण भी उस गांव में संतृप्तीकरण के लिए मस्ट होगा उसको इन्होंने इंगित नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको जनपद स्तर में लिये हैं 2003-2004 में चयनित किये हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि चलिये आपको एक व्यावहारिक परेशानी है स्थल चयन में सड़क और विद्यालय में दो प्वाइन्ट छोड़िये 13 प्वाइन्ट को संतृप्तीकरण करा देंगे और कब तक करा देंगे जिसमें न जमीन की जरूरत है न स्थल चयन की जरूरत है ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, जो हमारे पास सूचना है उस पर राजभर जी को बताना चाहता हूं ग्राम्य विकास द्वारा जो स्वच्छ पेयजल के लिए चयनित ग्राम 1762 थे जिसमें 693 गांव पूर्ण संतृप्त कर दिये गये हैं, इन्दिरा आवास में 4824 लक्ष्य था जिसमें 2778 कर दिये गये हैं, पंचायती राज में 4420 थे जिसमें 2378 कर दिये गये हैं, लोक निर्माण विभाग में सड़क मार्गों का 3143 का लक्ष्य था जिसमें 137 कर दिये गये हैं इस तरह से 10 विभाग द्वारा किया जाता है।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले, उत्तर तो सुन लें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, पूर्ण संतृप्त तब तक नहीं माना जाता है अगर उसमें एक बिन्दु भी रह जाता है इसीलिए मैंने बता दिया जैसे भवन निर्माण, स्कूल भवन निर्माण और सड़क निर्माण में समय लगता है। जिस समय में योजना लागू हुई उसके बाद चुनाव आ गये। सरकार की प्राथमिकता है इसको पूर्ण संतृप्त करेंगे।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सड़क निर्माण, इन्दिरा आवास और विद्यालय भवन के निर्माण में स्थल चयन की कठिनाई है इसलिए इसमें समय लगता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने समग्र ग्राम विकास के चयनित गांव हैं, जमीन की कोई कठिनाई नहीं है, विद्यालय भवनों आदि के लिए जमीन उपलब्ध है। क्या उन गांवों में जहां पर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, जो 2003-2004 के चयनित गांव हैं वहां पर प्राथमिकता के आधार पर इस वर्ष कार्य प्रारम्भ कराने की कोई योजना है ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग का जो बजट है उसके अनुसार कार्य कराये जाते हैं लेकिन हम इसको 2003-2004 में प्राथमिकता के आधार पर करायेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, 09 दिसम्बर, 2003 को यह योजना लागू हुई मेरा स्पष्ट सवाल है कि सड़क निर्माण, जहां तक मेरी जानकारी है कि खड़ंजा से लेपन तक जो प्रस्तावित था उसे स्वीकार कर लिया गया है और जो जीरे से लेपन तक का कार्य था उस पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा जहां पर विद्यालय और निर्माण कार्य नहीं किये गये हैं उसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करते हुए यह बतायें कि यह कार्य कब तक पूरे कर दिये जायेंगे ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा, आयुक्त द्वारा और शासन स्तर पर मुख्य सचिव के द्वारा और माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस योजना को देख रहे हैं, कार्य कराने की हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे करायेंगे। श्रीमन्, एक भी प्वाइन्ट रह जाता है तो उसको संतृप्त नहीं माना जाता है। तमाम विभागों के द्वारा काम कराया जा रहा है और काफी काम भी हुआ है, इसे हम यथाशीघ्र करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि खड़ंजे से लेपन स्तर तक का कार्य आपने स्वीकार कर लिया है और जो मिट्टी से खड़ंजे को ले करके था क्या उसको लेपन स्तर तक ले जायेंगे ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, 09 दिसम्बर, 2003 को यह योजना लागू हुई थी, 3,143 गांव चिन्हित किये गये थे उसमें से 137 गांवों को संतृप्त किया जा चुका है और निरन्तर हमारा प्रयास जारी है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, यह जवाब कब तक आयेगा ? यह प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि समग्र ग्राम विकास का एक चरणबद्ध कार्यक्रम होता है। उसमें सबसे पहली प्राथमिकता गांवों तक सड़क निर्माण की होनी चाहिए क्योंकि तभी गांवों तक सारी चीजें पहुंच सकेंगी तो क्या सरकार इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करायेगी ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, हमने बताया कि सड़क का निर्माण कई विभागों के द्वारा कराया जाता है, सभी विभाग काम कर रहे हैं और यह विभागों का उत्तरदायित्व भी है और हम इस कार्य को करायेंगे।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप जल्दी से एक सवाल पूछ लीजिए, एक ही सवाल हो पायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत ही लोक महत्व का है और इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि क्या समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में किन-किन विकास कार्यों को कराये जाने की योजना है ? क्या वर्ष 2003-2004 में चयनित ग्रामों को निर्धारित मानक के अनुसार संतृप्त करा दिया गया है ? उत्तर में कहा कि जी नहीं। सभी चयनित गांव सभी 15 सूत्रों से संतृप्त नहीं हो सके हैं। सड़क निर्माण का काम तो हुआ ही नहीं है। एक पत्र गया है कि विधायक निधि के 50 नल इन समग्र ग्राम्य विकास योजना में होंगे। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो विधायक कोटे के 50 नल हैं उसके अतिरिक्त इन समग्र ग्राम्य विकास कार्यक्रम योजना में नल लगवाने की व्यवस्था करेंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि ये जो समग्र ग्राम्य विकास योजना है, यह कितने साल की योजना है। ये तो सन् 2003-2004 के लिए चयनित है। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन्होंने 3145 किलोमीटर के विरुद्ध 137 किलोमीटर सड़क ही बनवायी। मान्यवर, 9-10 महीने में केवल 137 किलोमीटर रोड ही बनवायी। 3145 किलोमीटर पूरी रोड कब तक बनेगी और तीसरा प्रश्न यह है कि समग्र ग्राम्य विकास योजना का विकास कार्य कितने समय सीमा में पूरी करेंगे ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, हमने पहले ही बताया कि समग्र ग्राम्य विकास योजना 9 दिसम्बर, 2003 से लागू की गयी है। माननीय मौर्या जी की जिज्ञासा है कि कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? तो इसमें 10 विभाग हैं उन सबको निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि शीघ्र ही कार्य को पूरा कराया जाये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करिये। समय समाप्त हो रहा है। तारांकित प्रश्न संख्या 1 भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी ले लेने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तीन महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे, एक का भी जवाब नहीं आया। यह सरकार विकास कार्यों के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में कोई कार्य नहीं कराये गये हैं। सरकार की उदासीनता से व्यथित होकर बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये।)

तारांकित प्रश्न संख्या-1

(श्री अम्बिका चौधरी जी के द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

डा0 विनोद तिवारी-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठिये, यह लिखा नहीं जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इलाहाबाद का उच्चीकरण किये जाने का प्रकरण

1-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मछली बाजार, कटरा, इलाहाबाद के उच्चीकरण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका उच्चीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी हां।

प्रकरण में शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

इलाहाबाद स्थित कम्पनी बाग में आयोजित विधान सभा के उत्तरशती समारोह में अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर साहित्य भवन बनाये जाने की घोषणा पर कृत कार्यवाही की जानकारी

2-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्थित कम्पनी बाग में 8 जनवरी, 2003 को आयोजित विधान सभा के उत्तरशती समारोह में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं छत्रपति शाहूजी महाराज के नाम पर एक साहित्य भवन बनाये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उपरोक्त घोषणाओं पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

(1) इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी को उच्चीकृत कर डा0 अम्बेडकर नेशनल लॉ विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित थी, इसी मध्य भारत सरकार के दिशा निर्देश प्रदेश सरकार को प्राप्त हुये कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने का निर्णय केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा लिया जा चुका है। अतः प्रदेश सरकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के

नोट :- तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उपरान्त ता0 प्रश्न सं0-1 लिये जाने तथा राजस्व मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संबंध में कोई नीतिगत निर्णय न ले और न ही उसके स्टेटस में कोई परिवर्तन किया जाय। यहां यह भी ज्ञातव्य है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विधि संकाय परिषद् तथा कार्य परिषद् भी लॉ फैकल्टी को उच्चीकृत कर अम्बेडकर विश्वविद्यालय बनाये जाने के पक्ष में नहीं है।

(2) छत्रपति शाहू जी महाराज साहित्य भवन स्थापित किये जाने हेतु संस्कृति विभाग द्वारा रुपये 2,17,30,000/- (रुपये दो करोड़ सत्तरह लाख तीस हजार मात्र) के प्रशासकीय अनुमोदन के साथ वित्तीय वर्ष 2002-2003 रु0 50,00,000/- (पचास लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। किन्तु इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

3-श्री प्रागी लाल अहिरवार-

[तीसरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में विभाग द्वारा संचालित असेवित/सेवित योजनान्तर्गत विद्यालय की स्थापना पर कार्यवाही की जानकारी

4-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पहाड़पुर विकास खं0-जैतीपुर में कन्या इण्टर कालेज खुलवाने हेतु पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-95421, दि0 14-2-04 प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में विभाग द्वारा संचालित असेवित/सेवित योजनान्तर्गत दो विद्यालयों की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रचलित है। अतः नियमानुसार तीसरे कन्या माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी, जनपद फतेहपुर में सरकारी नलकूपों को ठीक कराने के निर्देश

5-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी जनपद-फतेहपुर में कितने सरकारी नलकूप स्थापित हैं उनमें से कितने कार्यरत हैं तथा कितने खराब हैं ? खराब नलकूपों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)-

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी जनपद फतेहपुर में कुल 65 राजकीय नलकूप स्थापित हैं जिनमें से 47 नलकूप चलित हैं एवं 18 नलकूप स्थाई रूप से बन्द हैं। चलित नलकूपों में से सप्ताहांत दिनांक 29-6-04 को 2 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 3 नलकूप विद्युत दोष से अस्थाई रूप से बन्द/खराब थे।

यांत्रिक दोष से बन्द 2 नलकूपों को दिनांक 29-6-2004 तक ठीक करा दिया गया। विद्युत दोष से बन्द 3 नलकूपों में से एक नलकूप दिनांक 20-7-2004 को ठीक करा दिया गया है। शेष को चालू कराने हेतु अध्यक्ष उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज, के विकास खण्ड धुधली के अन्तर्गत ढेढ़वा नदी पर तटबन्ध बनाने की मांग

6-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड घुघुली जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत ढेढ़वा नदी पर तटबन्ध न होने से ढेढ़वा गांव वर्षा एवं बाढ़ से नदी में विलीन हो जाने का खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार ढेढ़वा नदी का तटबन्ध बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां।

तटबन्ध बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा स्थित डायट अतरसण्ड में कार्यरत श्री राम किशोर वर्मा, कार्यालय अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा स्थित डायट अतरसण्ड में कार्यरत श्री राम किशोर वर्मा, कार्यालय अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य मंत्री जी का आदेश सी0एम0/वि0को0/एम/95026/04 दिनांक 9-2-04 निदेशक, बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्नगत आदेश प्राप्त हुआ है जिसके अनुपालन में श्री राम किशोर वर्मा, कार्यालय अधीक्षक का डायट अतरसण्ड से किया गया स्थानान्तरण बेसिक शिक्षा निदेशालय के आदेश सं0-नियुक्ति-1/296/2003-04, दि0 6-11-2003 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[दूसरे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

9-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

[दूसरे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई निर्माण खण्ड जनपद सिद्धार्थनगर में स्थित बांसी-पनघटिया, बांसी-डुमरियागंज, अशोगवा-नगवा तथा सोनखार-हाटा बंधों के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के मुआवजे का भुगतान

10-श्री जय प्रताप सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थ नगर में स्थित बांसी-पनघटिया, बांसी डुमरियागंज, अशोगवा-नगवा तथा सोनखार-हाटा बंधों के निर्माण हेतु अधिग्रहीत

की गयी भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

बांसी-पनघटिया, बांसी-डुमरियागंज एवं अशोगवा-नगवा बन्धों के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के मुआवजे का आंशिक भुगतान किया गया है। सोनखार-हाटा नाम का कोई बांध नहीं है।

धनाभाव एवं चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण पूर्ण भुगतान नहीं हो सका।

अवशेष कार्यवाही पूर्ण कराकर मुआवजे का भुगतान कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र राजगढ़, जनपद मिर्जापुर में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों की कार्य योजना

11-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-2004 में विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ जनपद-मिर्जापुर में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को क्या निर्धारित मानक के अनुसार संतृप्त करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

जी नहीं।

समग्र ग्राम्य विकास योजना शासनादेश संख्या 1996/66-2003 दिनांक 09 दिसम्बर, 2003 से लागू हुई और तत्पश्चात् मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद् से गांवों की सूची प्राप्त करने तथा चयनित गांवों की कार्य योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ हुआ। वित्तीय वर्ष 2003-04 में लगभग 03 माह की अवधि अवशेष थी और उसी में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2004 की प्रक्रिया भी लागू हो गयी। इन सब अपरिहार्य परिस्थितियों के साथ ही समग्र ग्राम्य विकास योजना की 15 सूत्रीय कार्यक्रमों में कतिपय कार्यक्रम यथा-सम्पर्क मार्ग निर्माण, स्कूल भवन निर्माण, इन्दिरा आवास निर्माण तथा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अत्यंत समय साध्य है।

समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड गाजीपुर सदर में चयनित ग्रामों में इन्दिरा आवास का निर्माण

12-श्री उमा शंकर कुशवाहा-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-04 के समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड गाजीपुर सदर में चयनित ग्रामों में इन्दिरा आवास बनाये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में कितने-कितने आवासों का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ।

प्रथम किश्त जारी हुई है। द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के उपयोगोपरान्त जारी होती है।

इन्दिरा आवास कार्यक्रम में आवास निर्माण का कार्य समय साध्य है।

जनपद फतेहपुर बिन्दकी में स्कूलों में लगे हैण्ड पम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

13-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में स्कूलों में लगे हैण्ड पम्पों में से कितने कार्यरत हैं तथा कितने खराब हैं ? सरकार खराब हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

विधानसभा क्षेत्र बिन्दकी में कुल 275 विद्यालयों में हैण्डपम्प लगे हैं। 234 विद्यालयों में हैण्डपम्प कार्यरत (चालू हालत में) हैं तथा 41 विद्यालयों में हैण्डपम्प खराब हैं।

खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने हेतु ग्राम पंचायतों को सूचित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत गांवों को विकसित किये जाने की योजना

14-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में कुल कितने गांव को विकसित किए जाने की योजना बनायी गयी है ? जनपद चित्रकूट के कर्वी विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन गांव इस योजना में चयनित किए गए हैं ? क्या चयनित गांवों को विकसित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

प्रदेश में समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में प्रत्येक सदस्य, विधान सभा/सदस्य विधान परिषद् की संस्तुति पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में 10-10 गांवों तथा सीमा पर शहीद सैनिकों के गांवों का चयन किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में पांच हजार से भी अधिक गांवों का चयन किया गया है।

जनपद-चित्रकूट के कर्वी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2003-2004 में समग्र ग्राम्य विकास योजना मे चयनित गांवों की सूची संलग्न है।

जी नहीं। प्रदेश में समग्र ग्राम्य विकास योजना शासनादेश संख्या 1996/66-2003, दि0 09 दिसम्बर, 2003 द्वारा लागू की गयी है। समग्र ग्राम्य विकास योजना में कतिपय कार्यक्रमों यथा-सम्पर्क मार्ग, स्कूल भवन निर्माण, इंदिरा आवास निर्माण, स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना आदि कार्यक्रम समय साध्य हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 146 पर)

सीतापुर जनपद के लहरपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम ककराही से लेकर ग्राम लश्करपुर तक शारदा नहर की सीपेज के रोकथाम हेतु योजनायें

15-श्री अनिल कुमार वर्मा-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2003 के पहले मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न सं0-36 के क्रम में क्या सरकार बतायेगी कि सर्वेक्षणोंपरान्त 650 एकड़ भूमि में जल भराव की समस्या पाई गई

है ? यदि हां, तो इस जलभराव को दूर करने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां।

जी हां।

जल भराव की प्रश्नगत समस्या ड्रेनों की जल प्रवाह क्षमता में कमी होने के कारण उत्पन्न हुई है। जल प्रवाह क्षमता बढ़ाने हेतु ड्रेनों की सफाई की कार्य योजना बनायी गयी है। कार्य योजना के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में जल प्लावन करने वाली लोधौरा, अकवापुर, निबौरी एवं अकबरपुर ड्रेनों की सफाई, अनुरक्षण मद से, धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में नहरों के रख-रखाव व सफाई कार्य पर बिना कार्य कराये लाखों रुपये का धन आहरण करने के संबंध में शिकायती-पत्र

16-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में नहरों के रख-रखाव व सफाई कार्य पर बिना कार्य कराये ही लाखों रुपये का धन आहरण करने के सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी, उन्नाव के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री राम नरेश गौतम का शिकायती-पत्र दिनांक 24-12-2003 सिंचाई मंत्री को प्राप्त हुआ है ? क्या इसी शिकायती-पत्र को संलग्न करते हुए प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का पत्र दिनांक 10-01-2004 प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां।

जी हां।

शिकायती पत्र के सम्बन्ध में शीघ्र जांच किये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम भरोसा के मुख्य तालाब में शारदा नहर के माइनर से पानी की आपूर्ति

17-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम भरोसा के मुख्य तालाब में शारदा नहर के माइनर से पानी की आपूर्ति किये जाने हेतु पक्की नाली का निर्माण कराया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त नाली के मध्य में पड़ने वाला लगभग 80 फिट लम्बा छोटा तालाब जिसमें नाली का निर्माण न कराये जाने से मुख्य तालाब में पानी नहीं पहुंचता

है ? यदि हां, तो क्या सरकार रास्ते में पड़ने वाले उक्त छोटे तालाब के अवरोध को दूर करने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

प्रश्नगत नाली का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं अपितु क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति पर विधायक निधि से उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में किया गया है।

नाली की लम्बाई में क्रमशः 14.50 मीटर तथा 48.00 मीटर के दो अदद गैप हैं जिसके कारण मुख्य तालाब में पानी नहीं पहुंचता है।

जी नहीं।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नाली निर्माण की कोई योजना विद्यमान नहीं है।

मथुरा जनपद में दर्जनों महाविद्यालयों को नियमों के विरुद्ध मान्यता देने के बारे में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

18-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा वर्ष 2002-2003 में विश्वविद्यालय के नियमों की अनदेखी कर मथुरा जनपद में दर्जनों महाविद्यालयों को नियमों के विरुद्ध मान्यता देने के बारे में पूर्व विधायक मांट कुशलपाल सिंह ने एक शिकायती-पत्र दिनांक 6-9-03 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 17-9-03 के साथ उच्च स्तरीय जांच कराये जाने हेतु उन्हें दिया था ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री कुशलपाल सिंह, पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 06-09-2003 शासन को प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित श्री कुशलपाल सिंह, पूर्व विधायक का शिकायती-पत्र दिनांक 16-09-2003 शासन को प्राप्त हुआ है। शिकायती-पत्र में इंगित शिकायतों के सम्बन्ध में तथ्यान्वेषण की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के सेवाश्रम इण्टर कालेज ढिढुया पट्टी में आरक्षित पदों के सापेक्ष की गयी अनियमित नियुक्तियों की जांच

19-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के सेवाश्रम इण्टर कालेज ढिढुया पट्टी में आरक्षित पदों के सापेक्ष की गयी अनियमित नियुक्तियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम-97799/04, दिनांक 4-3-04 प्रमुख सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण की जांच के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (मा0) को निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये प्राइमरी एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों की स्वीकृति तथा स्थल चयन की प्रक्रिया

20-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग द्वारा नये प्राइमरी एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों की स्वीकृति तथा उसके स्थल चयन की वर्तमान में क्या प्रक्रिया है ? क्या सरकार वर्तमान प्रक्रिया को बदलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्वीकृति दी जाती है। 300 की आबादी तथा 1.5 कि0मी0 की दूरी के मानक के अनुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 800 की आबादी तथा 03 कि0मी0 की दूरी के मानक के अनुसार नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्रामों का चयन जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात चयनित ग्रामों में विद्यालयों के निर्माण हेतु ग्राम समाज की भूमि ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रदेश को प्राथमिक/उच्च-प्राथमिक विद्यालयों से सेवित/संतृप्त करना शासन की प्राथमिकता है।

जनपद शाहजहांपुर में मीरानगर कटरा में डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

21-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में मीरानगर कटरा में डिग्री कालेज खोले जाने हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा को पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-95411/2004, दिनांक 14-2-04 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जनपद-शाहजहांपुर में पूर्व से ही उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 06 महाविद्यालय संचालित हैं। अतः जनपद-शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा 2001 में की गई अनियमितताओं की जांच

22-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा 2001 में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने हेतु मुख्य मंत्री जी का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-96544/04, दिनांक 24-2-04 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा 2001 में प्राप्त कतिपय शिकायतों पर विभागीय जांच करायी गयी। प्राप्त जांच आख्या का परीक्षण कर प्रकरण में सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

23-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[तीसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के नानक सागर डैम के विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि पर कब्जा

24-डा0 विनोद तिवारी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के नानक सागर डैम के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिये वमनपुरी भगीरथ व राजगढ़ में आवंटित 1653.99 एकड़ भूमि पर विस्थापितों को क्या भूमि का अधिकार प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक भूमि का अधिकार दे दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

प्रश्नगत विस्थापित परिवारों को वन विभाग द्वारा आवंटित भूमि पर काबिज कराया जा चुका है।

प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व, जो अभी तक वन विभाग का है, सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित होने के उपरान्त ही विस्थापितों को आवंटित भूमि का अधिकार दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

25-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[दिनांक 27-7-2004 के अता0 प्र0 सं0 27 द्वारा उत्तरित]

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-4 का गलत उत्तर दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या-4 के सम्बन्ध में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी तथा डिग्री कालेजों में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मेरी जानकारी है कि केवल 10 प्रतिशत सीटें कुछ जगहों पर बढ़ायी गई हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के पृष्ठ संख्या-56 पर कहा गया है कि मंत्री अथवा किसी अन्य सदस्य द्वारा गलत या तथ्यहीन वक्तव्य दिये जाने पर वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखकर उसे उठाया जा सकता है। माननीय मंत्री द्वारा गलत तथ्य दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप इस सम्बन्ध में लिख कर दे दें इसको देख लूंगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं दूसरा बिन्दु यह उठाना चाहता हूं कि कल के लिए मेरा अतारांकित प्रश्न निर्धारित था जिसके सम्बन्ध में अनु सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने एक पत्र लिखा है कि मेरे द्वारा जो प्रश्न भेजा गया है उसमें जनपद का नाम नहीं दिया गया है। मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था "क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 25 जून को रात में सिकन्दरा पुलिस चौकी (इलाहाबाद जनपद) के पास बहरिया मण्डल के भाजपा अध्यक्ष युवा अंजनि कुमार मिश्रा की नृशंस हत्या कर दी गयी है, यदि हां, तो अभी तक पुलिस द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?" तो मैंने जनपद का नाम अपने प्रश्न में दिया था।

श्री अध्यक्ष-

आप यह दोनों बातें लिखकर दे दें, मैं उसे देख लूंगा।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रश्न संख्या-5 पर परिवहन मंत्री को उत्तर दिये जाने का अवसर न प्राप्त होने की तरफ श्री अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट किया जाना

*बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, प्रश्नों के विषय माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री प्रश्न का उत्तर दे रहे थे आपने उस सम्बन्ध में एक व्यवस्था दी है कि जिसको मैं शिरोधार्य करता हूं। सदन के सामने विपक्ष में जो लोग बैठते हैं उन्होंने कभी मंत्री पद सुशोभित किया है और संसदीय कार्य-मंत्री भी रहे हैं अगर उधर से धमकी दी जाय तो यह यहां की मान्य परम्पराओं के विरुद्ध है। यदि कोई माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं उनकी तबियत खराब हो गयी या गला खराब हो गया तो यहां की परम्परा रही है कि दूसरे मंत्री उनकी जगह पर उत्तर दे देते हैं। मैं देख रहा हूं कि जब कोई बोलने खड़ा होता है या उत्तर देता है तो 10-10 आदमी खड़े होकर बोलने लगते हैं। मान्यवर, मैं 1977 से देख रहा हूं कि यदि कोई मंत्री उत्तर दे रहे हैं और विपक्ष उनकी बात नहीं समझ पा रहा है तो दूसरे माननीय मंत्री उत्तर को स्पष्ट कर देते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है ? यह पहले से भी होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। जो प्रश्न होते हैं उसमें जितने लोगों के हस्ताक्षर होते हैं उसमें से कितने लोग प्रश्न पूछें यह पीठ के विवेक पर होता है।

पीठ का अपना निर्णय भी होता है अपना अधिकार होता है। अगर प्रश्नों पर और माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हैं तो पीठ उनको अनुमति दे सकती है। वह आपका विवेक है। यह कहना कि एक मंत्री का उत्तर दूसरा मंत्री कैसे दे सकता है मेरी आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि जब जिस माननीय सदस्य के प्रश्न पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं उसको भी आप अनुमति दे सकते हैं यह आपके विवेक पर है। उसी प्रकार यह भी आपके विवेक पर है कि अगर एक मंत्री के गले में खराश है तो उसका उत्तर दूसरा मंत्री दे सकता है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, वाद विवाद के लिए प्रत्येक बिन्दु पर सबका अपना-अपना तर्क होगा वह इस सदन के हित में नहीं। यहां पर अनेक बिन्दुओं पर सबकी एक राय होती है और अनेक बिन्दु ऐसे हैं जिस पर सबकी अलग-अलग राय हो सकती है। मैं नेता प्रतिपक्ष का ध्यान चाहूंगा। अनेक ऐसे बिन्दु आते हैं जिस पर सदन की परम्पराओं को पुनर्जीवित करने या मजबूत करने या दोनों की आवश्यकता होती है। मुझे इस सदन मे आने का लम्बा अनुभव नहीं है। मैं पिछले कुछ सालों से इस सदन में आता हूं नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य-मंत्री को कई बार का अनुभव है अनेकों बार वह इधर भी रहे हैं। गले में खराश होना जरूरी नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

यह सदन की परम्परा रही है कि मुख्य मंत्री प्रश्नों में हस्तक्षेप करते हैं और संसदीय कार्य-मंत्री भी प्रश्नों पर हस्तक्षेप करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। हमारी यह ज्वाइंट लाइबेलिटी है। मंत्रि-परिषद का कोई भी सदस्य किसी विभाग के प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अनेकों बार ऐसा हुआ भी है आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए अनेकों बार ऐसा हुआ है कि विभागीय मंत्री उपस्थित थे और दूसरे मंत्री ने उत्तर दिया यह सदन की परम्पराओं के अनुसार है इसलिए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

एक बार व्यवस्था हो गई है। आप लिखकर दे दीजिए मैं दिखवा लूंगा।

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

क्योंकि ज्वाइंट रिस्पांसबिलटी होती है। सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है। यह भी आपके संज्ञान में है कि नेता सदन के पास तो बहुत से विभाग है अतः उन्होंने अपने विभागों की जिम्मेदारी दूसरे मंत्रियों को दे रखी है। इसके अलावा मसलन कोई मंत्री बीमार हो जाए या कोई कारण हो जाए और सदन में उसका प्रश्न लगा हो तो उन मंत्रियों को यह अधिकार है कि वह दूसरे से बात कर लें और दूसरा मंत्री उत्तर दे।

श्री अध्यक्ष-

जब भार साधक मंत्री प्रश्न का खड़े होकर उत्तर दे रहे थे उन्हें सारे प्रश्नों की जानकारी थी श्री नरेश अग्रवाल जी बीच में खड़े हो गए। आप जो कह रहे हैं वह आप लिखकर देंगे तो हम इसको दिखवा लेंगे। अब इस पर ज्यादा चर्चा न करिये।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, आज के अतारांकित प्रश्न संख्या-20 पर नजर डालने की कृपा करें जो प्रश्नों के निर्धारण से संबंधित है। मैंने बेसिक शिक्षा मंत्री से निवेदन किया था कि प्रश्नों के निर्धारण में, चूंकि नीतिगत प्रश्न है इसे तारांकित किया जाना था और इसको अतारांकित कर दिया है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा निवेदन है, दो मिनट सुन लें या फिर मद संख्या-11 के बाद मुझको सुन लें, जो औपचारिक काम है, वह हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसके बाद कहियेगा।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 3 अगस्त, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं। पहली सूचना, डा0 विनोद तिवारी (उपस्थित), दूसरी सूचना, श्री राजेश कुमार (अनुपस्थित), तीसरी सूचना, श्री राम पाल वर्मा (उपस्थित), चौथी सूचना,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्यान सिंह दोहरे (उपस्थित), पाचवीं सूचना, श्री राम इकबाल सिंह (उपस्थित), छठवीं सूचना, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह (उपस्थित), सातवीं सूचना, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उपस्थित) की है। एक माननीय सदस्य के अनुपस्थित होने पर प्रतीक्षा सूची में से श्री आर0 एस0 कुशवाहा (उपस्थित) की सूचना लेते हैं। सभी उपस्थित माननीय सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं। प्रतिक्षा सूची में श्री मदन चौहान की सूचना को अस्वीकार करता हूं।

जिन अन्य माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार हुई उनके नाम इस प्रकार हैं श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री चन्द्र किशोर, श्री नवाब सिंह नागर, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री रवीन्द्र पुण्डीर, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, डा0 पूर्णमासी देहाती, श्री जियाउद्दीन रिज़वी, श्री छोटे लाल यादव, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री रमेश चन्द्र बिन्द, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री अशोक सिंह चौहान।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद शाहजहांपुर के 94 ग्रामों को जनपद पीलीभीत में जोड़े जाने पर पुलिस विभाग के कार्यों के लिये पुलिस विभाग की अधिसूचना जारी किये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री डा0 विनोद तिवारी-

[महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं आपका ध्यान अपनी तहसील पूरनपुर के 94 गांवों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। इन 94 गांवों को 05 नवम्बर, 2001 में तहसील पुवायां, जनपद शाहजहांपुर से काट कर तहसील पूरनपुर जनपद पीलीभीत में जोड़ा गया था। इसकी तहसील तत्कालीन सरकार द्वारा 05 नवम्बर, 2001 में जारी कर दी गयी थी तभी से सारा कार्य जनपद पीलीभीत के द्वारा हो रहा है।

किन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस विभाग के कार्य के लिये यहां के नागरिकों को अभी भी जनपद शाहजहांपुर भागना पड़ता है क्योंकि पुलिस विभाग की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गयी है जिसके वजह से वहां के नागरिकों में घोर असंतोष व्याप्त है। अतः आपसे निवेदन है कि पुलिस विभाग की अधिसूचना तत्काल जारी कराई जाये।

अतः कृपया उक्त ज्वलन्त समस्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला की ग्राम सभा महरोनिया के ग्राम प्रधान द्वारा नियम विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार संबंधी की जा रही कार्यवाही पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा-

[महोदय, आपका ध्यान ग्राम सभा महरोनिया, तहसील सण्डीला, जनपद-हरदोई में ग्राम प्रधान द्वारा शासन के नियमों तथा आदेशों के विरुद्ध भ्रष्टाचारपूर्वक की जा रही कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम सभा महरोनिया, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित भूमि प्रबन्ध समिति के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर ग्राम प्रधान द्वारा लेखपाल से मिलकर, बिना किसी सूचना/मुनाफा आदि की औपचारिकता के गाटा संख्या-181, 180, 199, 107 में वर्षों पूर्व निर्मित पक्की डामर सड़क तक का लाभार्थियों से धन लेकर पट्टा कराया गया जो कि शासन की नीति व उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भू0 सु0 नियमावली-1952 के नियम 173 से 176 का खुला उल्लंघन है। जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा उक्त पट्टों की स्थलीय जांच नायब तहसीलदार सण्डीला से कराई गई, जिसमें भी उक्त गाटों में पक्की डामर सड़क पाई गई तथा उनके द्वारा पट्टे निरस्त करने की संस्तुति की गई। परन्तु व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उक्त गाटों में किया गया पट्टा न तो अभी तक निरस्त किया गया है न ही प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही ही की गई है। सड़क का पट्टा हो जाने के कारण आवागमन में बाधा हो जायेगी।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त विषय की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।

महान कृपा होगी।]

प्रदेश में बी0 एड0 में प्रवेश के समय प्रबन्धतंत्र के कोटे पर भी आरक्षण लागू किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कल्यान सिंह दोहरे-

[महोदय, बी0 एड0 के प्रवेश में विभाग के प्रबन्धक 85 प्रतिशत मेरिट के लड़कों का प्रवेश लेते हैं। 15 प्रतिशत सभी विभाग के प्रबन्धक अपने मन से प्रवेश लेते हैं। 15 प्रतिशत छात्रों के लिये विद्यालयों के प्रबन्धकों को छूट मिलती है। 85 प्रतिशत जो मेरिट से कम आते हैं उससे अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण होता है और उसके अनुसार अनुसूचित जाति के छात्र प्रवेश पाते हैं। मगर 15 प्रतिशत छात्रों का जो प्रबन्धतंत्र प्रवेश लेता है, उसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं किया जाता सभी गैर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र प्रवेश पाते हैं। क्योंकि प्रबन्धतंत्र को शासन द्वारा कोई आरक्षण का निर्देशन प्राप्त नहीं होता है। इसलिये मनमानी ढंग से प्रवेश लेते हैं। 15 प्रतिशत के प्रवेश में एक भी अनुसूचित जाति का नहीं होता है। इससे अनुसूचित जाति के छात्रों का हक मारा जाता है। इस 15 प्रतिशत में भी अनुसूचित जाति का आरक्षण होना न्याय संगत है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये सरकार से मांग करता हूं कि 15 प्रतिशत प्रबन्धतंत्र द्वारा किये जा रहे प्रवेश पर भी आरक्षण लागू किया जाये।]

श्री अरविन्द सिंह राज्य शैक्षिक टी0वी0 संस्थान, निशातगंज लखनऊ में स्क्रिप्ट लेखकों के अवशेष पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम इकबाल सिंह-

[महोदय, श्री अरविन्द सिंह राज्य शैक्षिक टी0 वी0 संस्थान (एस0 आई0 ई0 टी0) निशातगंज द्वारा प्राथमिक विद्यालयों एवं कक्षा 6 से आठ तक के छात्रों के लिये बनाने जाने वाले शैक्षिक टी0 वी0 कार्यक्रमों के लिये पिछले वर्षों के दौरान स्क्रिप्ट लेखन का कार्य करते थे इनके द्वारा लिखे गये सभी स्क्रिप्टों को उक्त संस्थान की स्क्रिप्ट कमेटी द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात् उस पर

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शैक्षिक टी0 वी0 कार्यक्रम बनाये जा चुके हैं। ये सभी कार्यक्रम पिछले दो से लेकर तीन वर्ष पूर्व बने। यह सब कार्य संस्थान की अपनी उचित प्रक्रिया के माध्यम से किया गया।

उक्त सम्बन्ध में आपको सूचित करना चाहता हूं कि इसके द्वारा लिखे कुछ ही स्क्रिप्टों के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया जबकि बाकी स्क्रिप्टों के लेखन पारिश्रमिक का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। दूसरी तरफ इन्हीं स्क्रिप्टों पर बने कार्यक्रम निर्माण से जुड़े अन्य कलाकारों को उनके पारिश्रमिक बहुत पहले ही दे दिये गये हैं। इनके भुगतान के संदर्भ में जानबूझ करके देर किया जाता रहा है।

अतः उपरोक्त विषय पर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के देवकली संस्थान के बीच निर्मित पुल के दोनों तरफ पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद जौनपुर के क्षेत्र पंचायत करजां कला अन्तर्गत देवकली-सुल्तानपुर गांव के बीच में लगभग दस वर्ष पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल का निर्माण कराया गया, परन्तु पुल के दोनों तरफ पहुंच मार्ग का निर्माण आज तक नहीं कराया गया है जिसके कारण पुल की उपयोगिता नहीं रह गयी है और इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। दोनों गांवों के बीच आवागमन के अन्य कोई मार्ग न होने से ग्रामवासियों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पहुंच मार्ग न बनने से लाखों की लागत से लोक निर्माण द्वारा बनाया गया पुल बेकार पड़ा है। इससे जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उपरोक्त पुल के दोनों तरफ पहुंच मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराये जाने की माँग करता हूँ।]

मेरठ महानगर में शासन की घोषणा के अनुरूप विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश व्यवस्था लागू किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[महोदय, कक्षा 11, स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्रों एवं छात्राओं के सामने भीषण समस्या है।

शासन ने विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि प्रत्येक इच्छुक छात्र को प्रवेश मिले यह व्यवस्था शासन करेगा। सीट भी बढ़ेगी, सेक्शन भी बढ़ा सकते हैं, द्वितीय पाली आवश्यक होगा तो वह भी चलाई जायेगी, उपरोक्त सभी अतिरिक्त व्यवस्था बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के की जायेगी, इसका व्यय भार शासन द्वारा वहन होगा, छात्रों पर नहीं पड़ेगा।

घोषणा के अनुसार शासन ने अभी व्यवस्था नहीं शुरू की है, छात्र-छात्रायें मारे-मारे फिर रहे हैं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आर0 जी0 महिला महाविद्यालय अपने यहां अंग्रेजी तथा गृह विज्ञान में बी0 ए0 में अतिरिक्त सेक्शन खोलने की अनुमति चाहता है, शासन द्वारा अपनी घोषणा के अनुरूप अतिरिक्त व्यय भार स्वयं वहन करते हुये तत्काल स्वीकृति दी जानी चाहिये।

इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य सभी कालेजों विद्यालयों में मेरठ महानगर में अपेक्षित है।

उपरोक्त व्यवस्था शासन की घोषणा के अनुरूप करने हेतु मेरठ के जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट निर्देश तत्काल शीघ्र दिये जाने चाहिये।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की माँग करता हूं।]

लखीमपुर खीरी में पलिया दुधवा नेशनल पार्क रोड पर हवाई पट्टी तक अधूरे सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक-पलिया के अन्तर्गत हवाई पट्टी बनी हुई है। देश और प्रदेश सरकारों के छोटे वायुयान उतरने की व्यवस्था है और हाल ही में प्रदेश के मुख्य सचिव की फ्लाइट हवाई पट्टी पर उतरा था। लेकिन हवाई पट्टी से पलिया व दुधवा नेशनल पार्क तक पहुंचने के लिये लगभग 2 कि0मी0 सड़क खराब है तथा लेपन कार्य नहीं हो पाया है। जिससे वी0 आई0 पी0 या पर्यटक जो दुधवा नेशनल पार्क जाना चाहते हैं उनको काफी असुविधा होती है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं शासन से पलिया-दुधवा नेशनल पार्क रोड से हवाई पट्टी तक अधूरा सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराये जाने एवं शासन का ध्यान आकृष्ट करने की भी मांग करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 3-8-2004 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को नियमित प्रश्न के रूप में निर्धारित कराने की शासन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और दूसरी सूचना, श्री मुंशी लाल गौतम की जनपद लखनऊ के लालकुर्ती क्षेत्र में लावारिस ट्रक पर 38 जानवरों के बरामद होने के सम्बन्ध में है। नियम-56 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को नियमित प्रश्न के रूप में निर्धारित कराने की बढ़ती प्रवृत्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

उत्तर प्रदेश की कार्य-संचालन नियमावली में विभिन्न प्राविधान हैं। माननीय सदस्यगण अपने प्रश्न देते हैं और विधान सभा सचिवालय प्रक्रिया अपना कर उसको शासन को भेज देता है। इस बार 160 प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा अल्पसूचित के रूप में दिये गये। नियमों के अन्तर्गत विधान सभा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सचिवालय ने मात्र 21 प्रश्नों को अल्पसूचित प्रश्नों के रूप में माना। यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह नियमानुसार है। केवल 21 प्रश्न ही अल्पसूचित प्रश्न के रूप में स्वीकृत हुए और शासन ने, यह ठीक है कि शासन को नियमावली में अधिकार है कि प्रश्नों को अल्पसूचित के स्थान पर नियमित कर सकता है।

मान्यवर, प्रश्नों से जाहिर है कि माननीय सदस्यों की कितनी रुचि है। 21 अल्पसूचित प्रश्नों में से दो तिहाई अर्थात् कुल 14 प्रश्नों को ही शासन के मंत्रियों ने नियमावली के अपने अधिकार का प्रयोग करके 29(4) में नियमित कर लिया अर्थात् 7 प्रश्न रह गये अल्पसूचित के लिये। अल्पसूचित प्रश्नों के लिये कार्य-सूची में प्रश्नों का दिवस है। यह शासन के मंत्रियों को अधिकार है कि 29(4) में प्रश्नों को नियमित कर सकते हैं।

मैं विधान सभा सचिवालय की प्रक्रिया के ऊपर अविश्वास नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, माननीय मंत्रि-गणों से विधान सभा के माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह अल्पसूचित में स्वीकार हो जाता है उनको नियमित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो नियमों का दुरुपयोग बढ़ेगा।

संसदीय कार्य, नगर विकस मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

यह सही है कि नियम 29(4) में बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह भी सही है कि जो जिज्ञासा बाजपेयी जी की है वह सही है इसको अलग से देखेंगे इस सहूलियत का मतलब यह नहीं है कि सदन या सदस्य के अधिकार कम हो जाएं मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

नियम 29(4) को देख लेंगे यह उसमें नहीं आता है इसको निरस्त करता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैंने नियम-311 में दिया है। नियम 29(4) का तो हवाला दिया है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैंने नियम 311 में सूचना दी है और 29(4) के उपयोग की बात कही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं नियमावली के नियम-29(4) के बारे में कह रहा हूं। देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसको निरस्त कर दिया है।

सत्रकाल में प्रातः नौ बजे विभिन्न नियमों के अन्तर्गत ली जाने वाली सूचनाओं की फैक्स के माध्यम से प्राप्त कराने की सुविधा प्रदान किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है व्यवस्था के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कृपा पूर्वक व्यवस्था देने का कष्ट करें श्रीमन् जितनी सूचनायें दी जाती हैं चाहे वह नियम 301 की हो, चाहे नियम 51 की हो, चाहे नियम 56 की हो, सुबह नौ बजे से 10 बजे के बीच में सूचना देनी

होती है जब नियम बनाया गया तो व्यवस्था यह थी कि सारे के सारे विधायक विधान सभा के आस-पास दारुलशफा या रायल होटल में रहते थे और अपनी सूचना देकर चले जाते थे। अब विधायक निवास दूर-दूर हैं। आने-जाने में आधा घंटा लगता है। आज एक सुविधा मिली है मैं कृपापूर्वक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अब समाज प्रगतिशील हुआ है, फैक्स सुविधायें उपलब्ध हैं, इन्टरनेट और ई-मेल की सुविधा उपलब्ध है, तो जो सूचना नियम 56 या नियम 51 की हैं जो एक घंटा पहले देनी पड़ती हैं उसको फैक्स के माध्यम से दे दें उसमें डेट और टाइम दोनों अंकित रहता है। इससे सुविधा हो जायेगी, हमें और आपको दोनों को सुविधा हो जाएगी। हम मुजफ्फरनगर, देवरिया और मेरठ जहां भी हों फैक्स के द्वारा सूचना दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी हर परिस्थिति में माननीय सदस्य को अपने प्रश्न को उपस्थित करने के लिये सदन में उपस्थित होना जरूरी है। आप फैक्स करके भेज देंगे हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका मतलब क्या रहेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अगर हम लखनऊ के डालीगंज में हैं तो फैक्स कर दें यह सुविधा दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष तथा सभी दलीय नेताओं को बुलाकर इसमें विचार-विमर्श कर लूँगा।

प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा सदन के अन्दर और बाहर की गई घोषणा में परस्पर विरोधाभास होने पर औचित्य का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। औचित्य का प्रश्न वही ग्राह्य होता है जो विषय इस सदन के समक्ष उठा हो और इस सदन के समक्ष और पीठ के समक्ष घटित हुआ हो। श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर आया है जिसमें स्पष्ट तौर पर मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर दिया है कि अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के साथ बैठक कर निर्देश दिये गये हैं कि 31 जुलाई तक भुगतान सुनिश्चित करें। राज्य सरकार उस पर कार्यवाही कर रही है। जब स्पष्ट रूप से मुलायम सिंह यादव ने 31 जुलाई तक गन्ना मूल्य भुगतान की बात स्वीकार कर ली और आज मुख्य मंत्री जी ने 31 सितम्बर तक गन्ना मूल्य के भुगतान की बात महेन्द्र सिंह टिकैत के साथ कही। अगर यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता तो बनता क्या है ? 31 जुलाई तक प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान की बात मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में कही थी, अब अगस्त हो गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सितम्बर 31 का नहीं होता है, 30 का होता है।

श्री अध्यक्ष-

आपका छठवें स्थान पर है, अभी स्वीकार्य नहीं है, आप बैठें। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आप स्वीकार करें या न करें, आपके संसदीय ज्ञान से हम प्रभावित हैं लेकिन अगर इस सदन के समक्ष घटित हुआ है ...

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें।

श्री अध्यक्ष-

तीसरी सूचना श्री उदयभान करवरिया की जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत यमुना नदी के जोन 9/22 के बालू खनन का पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में है, यह सूचना निरस्त हुई।

चौथी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री राजेश कुमार और श्री रमेश चन्द्र बिन्द की पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर की गयी बयानबाजी के सम्बन्ध में है। यह नियम-63 का मामला बनता है और बाजपेयी जी ने इसकी नियम-63 में सूचना दे दी है, जब 63 आयेगा, तब सुन लेंगे।

पांचवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र बिन्द की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगवाये जाने की घोषणा का पालन न होने के सम्बन्ध में है। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा सदन के अन्दर और बाहर की गई घोषणा में परस्पर विरोधाभास होने पर औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

जगदम्बिका पाल को भी सुन लिया गया है, यह सूचना निरस्त हुई।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, परम्परा की रक्षा करना भी आपका दायित्व है। मुख्य मंत्री जी यहां खड़े होकर घोषणा करें कि 31 जुलाई तक भुगतान हो जायेगा और उसके बाद बाहर जाकर यह घोषणा करें कि यह सितम्बर तक होगा, क्या यह सदन की अवमानना नहीं है ? अगर इतने हल्के-फुल्के ढंग से लिया जाएगा तो यह उचित नहीं है। [×××] वह कहते हैं कि हम 31 जुलाई तक भुगतान नहीं कर पायेंगे। अगर थोड़ी भी लज्जा बची है तो यहां आकर माफी मांग लें। यह प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, यहां कुछ कहें, बाहर कुछ कहें। जब सदन चल रहा है, अगर कुछ तब्दीली करनी थी तो यह बात सदन में कही जानी चाहिये थी। सदन को इतने हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लेना चाहिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सदन चल रहा है तो सदन में संशोधित वक्तव्य मुख्य मंत्री जी का आना चाहिये था। मान्यवर, जिलाधिकारी कार्यालय के पास लक्ष्मण मेला मैदान में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की तिथि 30 सितम्बर कर देना निश्चित रूप से सदन के विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है और इसको विशेषाधिकार का प्रश्न मानते हुये मान्यवर, मैं अभी इसकी सूचना मौखिक रूप से दे रहा हूं तथा बाद में लिखकर दे दूंगा।

नोट :- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, श्री जगदम्बिका पाल जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है वह महत्वपूर्ण है। इस सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक घोषणा की और अब बाहर जबकि सदन चल रहा है यह घोषणा कर दी कि गन्ना मूल्य का भुगतान 31 जुलाई के बजाय 30 सितम्बर तक होगा। इसमें औचित्य के प्रश्न के लिये इससे बढ़िया औचित्य क्या हो सकता है। उन्होंने सदन की अनदेखी की है। जब उन्होंने पहली घोषणा सदन के अन्दर की थी तो यह घोषणा भी उन्हें सदन के अन्दर करनी चाहिये थी। यह औचित्य का प्रश्न बनता है इसको स्वीकार करना चाहिये।

(डा0 विनोद तिवारी के अपने स्थान पर खड़े होने तथा बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

अब हमें भी व्यवस्था देने दीजिये। इसमें चर्चा लगी है उसमें आप बोल लीजियेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 तिवारी जी को समझायें।

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष-

आप तो कार्य-स्थगन पर सारी बात कह चुके हैं। अब आप बैठें मैं इसकी व्यवस्था देता हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह गम्भीर मसला है और किसानों पर वह लोग राजनीति कर रहे हैं जिनसे किसानों को कभी कोई लेनादेना नहीं रहा।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[× × ×]

श्री अध्यक्ष-

कुछ लिखा नहीं जाएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक बात और कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में कुछ और कहते हैं और जनता के सामने कुछ और कहते हैं। यह औचित्य का प्रश्न बनता है और यह सदन की अवमानना है।

श्री अध्यक्ष-

देखिये मौर्या जी अवमानना की सूचना माननीय बाजपेयी जी ने दे दी।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस वाक्य का प्रयोग किया है उससे हमारे साथियों के दिल को बहुत ठेस पहुंची है कृपया उसमें संशोधन कर लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[× × ×]

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी कुछ लिखा नहीं जाएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, किसानों और किसानों की राजनीति को बड़े हल्के ढंग से लिया और इन्होंने अपने शासनकाल में सिवाय किसानों का अहित करने के कुछ नहीं किया।

अपने शासनकाल में पैसे की अदायगी न करना, उन्हें बिजली न देना, उनको सहूलियत न देना.....

(विपक्ष के सदस्यगण खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय जगदम्बिका पाल जी ने एक प्रश्न उठाया। माननीय हुकुम सिंह जी ने उस पर बल दिया, मौर्या जी ने भी अपनी बात कही, बाजपेई जी ने उसी प्रश्न पर नियम-63 में एक सूचना दी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहने के लिये खड़े हुए। लेकिन जो आपने कहा है कि उसकी अधिकारिक घोषणा हुई कि नहीं पहले उसकी जानकारी कर लेने दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को यहीं छोड़ दीजिये।

(श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं लिखा जायेगा। वह अपना पक्ष रखना चाहते हैं। वह अधिकारिक सूचना हुई कि नहीं इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें सुनना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप कार्यवाही निकालकर दिखवा लें, सरकार के लिये क्या शब्द प्रयोग किये हैं, हुकुम सिंह जी ने। इन्हें पूरा अधिकार है और हमें सफाई देने का भी अधिकार नहीं है। साढ़े ग्यारह सौ करोड़ रुपया इनके कार्यकाल का, इनके हाथों से किया गया अन्याय का, हम दे रहे हैं। माननीय नेता जी ने कोई घोषणा नहीं की, नेता जी ने कोई तिथि नहीं दी है। यह अपने यहां मजे में लगे हुए हैं और महेन्द्र सिंह टिकैत जी यहां पर आकर किसानों के हितों की बात करते हैं तो इनको परेशानी होती है। आपने भी प्रदर्शन किया होता, किसानों के लिये आगे बढ़े होते। सरकार किसी एक वर्ग के हित की बात नहीं करती है। जो किसानों के हितों की बात करेगा उसका साथ सरकार देगी। आज महेन्द्र सिंह टिकैत के साथ क्यों किसान आ गया है ? दरअसल उधर के लोगों की यही परेशानी है और इसे हम भी समझते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं की। इनके कार्यकाल का साढ़े ग्यारह सौ करोड़ रुपया माननीय मुलायम सिंह जी ने दिया। इन लोगों को तो ऐसे प्रश्न पर मुंह खोलते हुए लाज आनी चाहिए। [× × ×] किसानों को इन्होंने बरबाद कर डाला और वह जीने के काबिल नहीं रहा। आज इनका किया हुआ हम दे रहे हैं, लूट के खा गये यह लोग। आज हम इसका भुगतान कर रहे

नोट :-- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हैं। साढ़े ग्यारह सौ करोड़ हमने दे दिया है, बाकी जो बचा है उसका भी हम भुगतान जल्द से जल्द करेंगे।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

आप यहां कुछ कहते हैं बाहर कुछ कहते हैं। हमने एक-एक पैसे का भुगतान किया है। हमने 95 से बढ़ाकर 100/- रुपया किया।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे वर्ष 2002-2003 उत्तर प्रदेश सरकार एवं विनियोग लेखे वर्ष 2002-2003 उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे वर्ष 2002-2003 उत्तर प्रदेश सरकार एवं विनियोग लेखे वर्ष 2002-2003 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2004 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 30 जुलाई, 2004 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 02 अगस्त, 2004 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2004 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 02 अगस्त, 2004 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 जुलाई, 2004 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जुलाई, 2004 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 जुलाई, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2004 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-07 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) का तेरहवां प्रतिवेदन †

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) उक्त समिति का तेरहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित है उत्तर प्रदेश जल निगम तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 2000-2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) का चौदहवां प्रतिवेदन †

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) उक्त समिति का चौदहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1998-99 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2000-2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 (पिकप) एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन †

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) उक्त समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन, जो समिति (1989-90) के प्रथम

नोट :-- † छापे नहीं गये।

प्रतिवेदन में निहित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड) से संबंधित संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का सोलहवां प्रतिवेदन '

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) उक्त समिति का सोलहवां प्रतिवेदन, जो समिति (1999-2000) के 22वें तथा समिति (2000-2001) के 28वें प्रतिवेदन में निहित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से संबंधित संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 02 अगस्त, 2004 को अपराह्न 5.00 बजे हुयी अपनी बैठक में सदन के दिनांक 03 अगस्त, 2004 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखने तथा दिनांक 04, 05 व 06 अगस्त, 2004 के उपवेशनों का कार्यक्रम पूर्ववत् रखे जाने की सिफारिश की है :-

अगस्त, 2004

03 मंगलवार 1-राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण हिस्से को इसकी भौगोलिक स्थिति, धार्मिक व सांस्कृतिक जुड़ाव, आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं एवं हरिद्वार के निवासियों की जन आकांक्षाओं के दृष्टिगत उत्तरांचल राज्य से पृथक करते हुये पुनः उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ववत् सम्मिलित कर दिया जाय।"

2-उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण।

3-1.00 बजे अपराह्न

(1) वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतिकरण।

(2) वित्तीय वर्ष 1983-84 से 1989-90 के अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों का प्रस्तुतिकरण।

4-प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री उमा शंकर कुशवाहा, श्री राजेश कुमार, श्री कालीचरन राजभर, श्री लालजी वर्मा,

---

नोट :- ' छापे नहीं गये।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री इन्द्रजीत सरोज तथा श्री बद्दू प्रसाद, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत एक घण्टे की चर्चा।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से सम्बन्धित जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 †

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं।

नोट :-- † दिनांक 28-4-2004 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004

अल्पसंख्यक, हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (हाजी याकूब कुरैशी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

हाजी याकूब कुरैशी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं।

(मद संख्या 21 पुकारे जाने पर)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक बज गये हैं और एक बजे अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतिकरण है, या तो इसका समय बढ़ा दीजिये।

वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतिकरण

श्री अध्यक्ष-

मैं मद संख्या-25 ले रहा हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बांटी जायं।

(प्रतियां बांटी गयीं)

वित्तीय वर्ष 1983-84 से 1989-90 के अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों का प्रस्तुतिकरण

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 1983-84 से 1989-90 के अतिरिक्त व्यय के संबंध में अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बांटी जांयं।

(प्रतियां बांटी गयीं)

नियम-311 एवं नियम 300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 3 अगस्त, 2004 को नियम 311 में प्राप्त दो सूचनायें एवं नियम-300 में प्राप्त एक सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल

30 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर जिला चिकित्सालय में विश्व बैंक के धन का दुरुपयोग किये जाने एवं शिकायत के बावजूद कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस स्थगन प्रस्ताव को यहां प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी है। यह पूरा सदन जानता है कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों की स्थिति सुधारने के लिये विश्व बैंक की मदद से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्य कराया गया है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैंने आपसे कहा था कि आप किसी नियम में उसे ले लें।

श्री अध्यक्ष-

आपका आ गया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा उत्तर प्रदेश के अरबी फारसी मदरसों के बारे में था, आप उसे पूरा पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे पूरा पढ़ देता हूं आपको सन्तोष हो जायेगा।

दूसरी सूचना श्री लालजी टण्डन, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश के जिलों में अपराधिक व्यक्तियों द्वारा फर्जी पतों से शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल और श्री राम नरेश यादव की प्रदेश के सहायता प्राप्त अरबी मदरसा के मौलाना व शिक्षकों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री भरत सिंह की जनपद बलिया में द्वाबा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दर्जनों गांवों में आर्सेनिक युक्त पानी के कारण दर्जनों लोगों की मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा की तहसील किरावली में मैसर्स कैला देवी आयल कम्पनी आगरा को नई वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत मिट्टी का तेल उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना डा0 सुशील चौधरी की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत सम्मिलित जातियों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में समुचित लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। विशेष उल्लेख के अन्तर्गत पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री इन्द्रजीत सरोज और श्री राजेश कुमार की जनपद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, कौशाम्बी, आजमगढ़ तथा फतेहपुर में बसपा कार्यकर्ताओं के साथ किये जा रहे उत्पीड़न एवं हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है दूसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री मुन्शी लाल गौतम, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की प्रदेश में गाय-बछड़ा के अवैध कारोबार में पुलिस की मिलीभगत एवं गोकशी के लिये भेजे जा रहे पशुओं को ट्रक में दम घुटने से हुई मौत के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री मिथिलेश कुमार की जनपद शाहजहांपुर में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम किशोर की पुलिस द्वारा की गई पिटाई से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री राम प्रकाश त्रिपाठी की जनपद कन्नौज के भाजपा कार्यकर्ता श्री नीरज मिश्र की हत्या से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया, गाजीपुर तथा वाराणसी में फर्जी बी0 एड0 प्रमाण-पत्र के आधार पर विशिष्ट बी0 टी0 सी0 में हुई नियुक्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की, जनपद बरेली के अन्तर्गत रम्पुरा-सिरौली मार्ग का नवीनीकरण व चौड़ीकरण की कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की, जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में शारदा नदी के कटान के कारण हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि नदी में समाहित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री रामहेत भारती की, जनपद सीतापुर की तहसील सदर में चकबन्दी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमान पर की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की, जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में चिकित्सा सुविधा मानक के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने एवं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा की, जनपद लखीमपुर में ग्राम प्रधानों द्वारा प्रस्तावित भूमि का आवंटन न कर तहसीलदार द्वारा अनियमित कार्य किये जाने के सम्बन्ध में है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं उनके नाम इस प्रकार हैं :-- श्री सुखदेव राजभर, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री कपिल देव यादव, श्री जयराम विमल, श्री देव नारायण उर्फ0 जी0 एम0 सिंह, श्री रमेश चन्द बिन्द, श्री मुन्शीलाल गौतम, श्री प्रागीलाल अहिरवार, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय और श्री सुरेश कुमार खन्ना।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर चिकित्सालय जिसके पुनर्निर्माण का कार्य विश्व बैंक के धन के द्वारा कराया जा रहा हैं विगत दिनों मैंने उसका निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान मुझे जो कुछ वहां देखने को मिला है वह विश्वबैंक का पैसा लगभग दो करोड़ उन्तीस लाख रु0 का प्रोजेक्ट था। एजेन्सी के द्वारा निर्माण कराने के दौरान गोरखपुर चिकित्सालय की स्थिति यह हो गयी है कि वह कूड़ाघाट के रूप में बदल गया है। न जाने किस तरह से कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार की योजना बनाई गई थी, पूरे चिकित्सालय के सारे भवनों को एक साथ तोड़ दिया गया है। दो करोड़ 19 लाख रुपये खत्म होने के बाद भी चिकित्सालय में कुछ बन नहीं सका है चाहे वह महिला वार्ड हो, या कोई और। मान्यवर, जो पैथालॉजी वार्ड बना दिया गया है (इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए) वहां पर टोंटी तक नहीं लगाई गई और वह डेढ़ साल तक बन्द रहा, और धीरे-धीरे प्वाइन्ट भी खराब हो गये। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि पानी बाहर निकल कर बह जाए और पानी वापस वार्ड के अन्दर आ जाता है। टिटनेस वार्ड से जो मलमूत्र निकल रहा है उसे नाली से लाकर नगर निगम की नाली में मिलाया गया और उसे खुला छोड़ दिया गया है। मैंने वहां का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के उपरान्त मैंने मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव श्री जावेद उस्मानी, मुख्य सचिव, श्री वी0 के0 मित्तल और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, श्री राकेश कुमार मित्तल को व्यक्तिगत सूचना दी और बात भी की, सारे डाकूमेन्ट्स दिये, सारी जानकारी दी लेकिन आज तक अधिकारियों के द्वारा एक बार भी उसका निरीक्षण नहीं किया गया है और न ही जिम्मेदारी तय की गई है तथा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहां पर आपरेशन थियेटर की स्थिति यह है कि वहां पर जो माइक्रोस्कोप है, जिससे आज तक वहां के डाक्टरों ने कुछ नहीं किया है, जब

उसमें झांकते हैं तो कान के पर्दे तक नहीं दिखाई देते हैं। वहां पर जो कैंचियां हैं उन पर किसी कम्पनी का नाम नहीं है, कैंची के दोनों सिरे आपस में हिलते हैं, न जाने कैसे आपरेशन किया जाता है और कैसे इलाज किया जाता है। जब मैंने डाक्टरों से पूछा कि आप लोग कैसे इलाज करते हैं तब उन्होंने अपने उपकरण दिखाये और कहा कि जिला चिकित्सालय में काम करने के लिये हम इनके उपकरणों पर विश्वास नहीं करते और अपने उपकरण स्वयं ले करके आते हैं। वहां पर जब मैंने एक्स-रे की मशीन देखी तो पता चला कि उसे भाभा एटामिक रिसर्च ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है। सबसे दुखद पक्ष यह है कि सारी चीजें शासन के संज्ञान में आने के बाद भी किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। निर्माण कार्य जल्दी से समाप्त कराया जाए, इसकी जांच कराई जाए और मैं सभी कार्य रोक करके सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय डा0 साहब ने गोरखपुर के जिला अस्पताल के बारे में अपनी बात रखी है, वह गम्भीर है और इसे गम्भीरता से लेते हुए सारे मामले का परीक्षण कराया जायेगा। यह काफी जटिल मामला है, कब का पैसे का एलाटमेन्ट है, कितना समय लगा इस सबको बनाने और मशीने आने में, तथा मशीनें कब आयीं ? जितना मैंने सुना है, वह गम्भीर है इसको देखना होगा। इसमें तेजी लायेंगे और जहां-जहां कमियां हैं, उसे दूर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री लालजी टण्डन व डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है।

*श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति कितनी गम्भीर हो गयी है। मैं इस सूचना के माध्यम से कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मान्यवर, एक अर्से से गोपनीय सूचना गृह विभाग को प्राप्त हुई है जिसमें उल्लेख किया गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी लाइसेंस जारी किये गये हैं जिनमें अपराधी तत्व भी शामिल हैं और दूसरे राज्य के लोगों ने भी यहां से शस्त्र लाइसेंस बनवाये हैं। उन कतिपय जिलों के नाम भी आये है जहां-जहां से जारी हुए हैं। काफी बड़ी संख्या में अधिकारियों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने लाइसेन्स बनवाने में अपना योगदान दिया है। उनके ऊपर कर्रवाई भी रिकमेण्ड की गयी है। लेकिन मान्यवर, इतनी गम्भीर सूचना प्राप्त होने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई शासन की ओर से नहीं की गयी। मान्यवर, इसके ऊपर सदन का कार्य रोककर चर्चा करायें और इसके ऊपर सरकार का वक्तव्य आये। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि वह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए और उसके ऊपर चर्चा हो। सरकार आश्वासन दे कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और भविष्य में उसे रोकने के लिये क्या कार्ययोजना है ? यह गम्भीर विषय है। इस तरह से लाइसेंस मिलते रहे तो जो अपराध बढ़े हैं, हत्यायें हो रही हैं तो यह प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस रिपोर्ट की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। हल्केपन से कोई कह देता है कि यह तो होता ही रहता है। आज हत्यायें हो रही हैं, अपराधियों के पास हथियार पहुंचाने का लाइसेंस एक प्रशासनिक जरिया बन गया है, एक चुनौती बन गया है। आप प्रदेश भर की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूची देखें तो किसके-किसके रिकमेन्डेशन पर लाइसेंस बने हैं। ये लाइसेंस केवल डी0 एम0 के विवेक पर है कि वह किसे दे किसे न दे लेकिन मान्यवर, सिफारिशें होती हैं और सिफारिशों के आधार पर लाइसेंस देना पड़ता है। विधायकों के कोटे तय हैं। कई प्रभावशाली लोग हैं वह सैकड़ों, हजारों की संख्या में लाइसेंस दिलवा रहे हैं। एक जिले में कितने लाइसेंस दिये जायेंगे ? अगर प्रदेश में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है तो लाइसेंस से मुक्त कर दिया जाय। जैसे कि विदेशों में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती कोई भी आर्म्स खरीदना चाहे तो खरीद लेता है वैसे ही यहां कर दीजिए नहीं तो लाइसेंस पद्धति का कठोरता से पालन कराना चाहिए। जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है और अराजक तत्वों को हथियार उपलब्ध कराये हैं उनकी गहन जांच कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि प्रदेश की सुरक्षा से जुड़े कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, गृह विभाग की एक रिपोर्ट, इंटेलिजेन्स विभाग की एक रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है जो 80 पृष्ठ की है। उसमें इस बात का खुलासा किया गया है किस तरह से कानून का उल्लंघन करके लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिये गये हैं मान्यवर, प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड के लोगों को तथा जिस जनपद से लाइसेंस जारी हुआ है उस जनपद में निवास न करने वाले लोगों को भी फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिये गये। उस रिपोर्ट में एक तथ्य का खुलासा किया गया है जिसमें कहा गया है कि गोण्डा जनपद के रिकार्डों का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि सितम्बर, 2003 से 29 फरवरी, 2004 के मध्य नौ हजार केसेज की रिकमण्डेशन की गयी है परन्तु ग्यारह हजार लाइसेंस जारी हो गये हैं। यह दो हजार लाइसेंस बिना पुलिस की संस्तुति के जारी हुए हैं। उस रिपोर्ट में एक पुलिस अधीक्षक, दो उपाधीक्षक, पांच इंसपेक्टर, 15 थानाध्यक्ष तथा राजस्व विभाग के तहसीलदार तथा अन्य कर्मचारियों को लिप्त पाया गया है तथा उनके विरुद्ध 120 बी, 420, 465, 467, 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है। तो मैं मान्यवर, कुछ बिन्दुओं पर सरकार से जानकारी जानना चाहता हूं। पहला, शासन के संज्ञान में तथ्य कब आये, शासन ने कब जांच का आदेश दिया, जांच की रिपोर्ट कब आयी तथा दो हजार फर्जी लोगों को लाइसेंस मिले हैं वह कौन-कौन से लोग हैं। क्या इस सूचना को सदन जानने का अधिकार रखता है यदि हां तो इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर मैं यह भी जानकारी चाहता हूं कि उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके विरुद्ध इंटेलिजेन्स की रिपोर्ट में रिकमेण्डेशन की गयी है और उन पर मुकदमें दर्ज करने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है उनके नाम सदन में बताये जायं। उनके खिलाफ कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी तथा यह जो फर्जी लाइसेंस जारी किये गये हैं इनको कब तक निरस्त कर दिया जायेगा, इन बिन्दुओं पर सदन की कार्यवाही रोककर मैं चर्चा कराने का निवेदन करता हूं।

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, वैसे तो सूचना ही काफी थी, आवश्यकता नहीं थी, खड़े होने के लिये। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, तो लोकतांत्रिक परम्पराओं का आदर करते हुए इस सम्बन्ध में मैं कुछ सफाई और कुछ सूचनाएं रखना चाहूंगा। माननीय नेता विरोधी दल और माननीय बाजपेयी जी ने कहा कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ लोगों को गलत लाइसेंस दिये गये हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि सरकार किसी भी कीमत पर कोई गलत लाइसेंस देने के पक्ष में नहीं है, और न देगी। (मेजों की थपथपाहट) आपने गोण्डा जनपद का नाम लिया, लेकिन मैनपुरी को क्यों भूल गये, मैनपुरी के बारे में बताना चाहिए था। मैनपुरी में भी ऐसे लाइसेंस दिये गये। उपाध्यक्ष महोदय यह नहीं पता है कि लाइसेंस किसका है कहां का रहने वाला है उससे हमें परेशानी हो रही है। इसी का नतीजा है कि आज सही लोगों को भी डी0 एम0 लाइसेंस देने को तैयार नहीं हैं। नेता विरोधी दल को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि लाइसेंस किसका है। ऐसे 262 लोगों की सूची उसी समय हमारे कार्यकर्ताओं ने दी थी। इसी विषय पर आपने देखा कि डी0 एम0 और एस0 पी0 दोनों को मुअत्तल कर दिया गया। गृह विभाग से एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर जांच कराई और आरोप सही पाया गया। इसी तरह से गोण्डा के मामले की आपने चर्चा की हमें तो जानकारी नहीं है लेकिन यह सही है कि वहां पर भी कुछ लोगों के गलत या बेनामी लाइसेंस बने हैं। उसको मैं खुद ही दिखवा रहा हूं यह सिलसिला कब से चल रहा था यह पता होना चाहिए। यह आपके समय से चल रहा है। नेता विरोधी दल ने सवाल रखा उसी से कम से कम प्रदेश की जनता को जानकारी हुई हां 10-5 लाइसेंस हमारे आने के बाद बने होंगे क्योंकि इसकी शुरुआत तो आपने कर दी थी। आपने ही रास्ता दिखा दिया था लेकिन हम सावधान हैं। आपके जमाने में नागालैण्ड और न जाने कहां से लाइसेंस लोग बनवाकर उत्तर प्रदेश लाए जिसके लिये हम लोंगों ने लोक सभा में बात रखी थीं अच्छा रहा कि आपने ईमानदारी दिखा दी कम से कम सच्चाई दिखा दी। इस सरकार में किसी को गलत लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे। आपने जो दिलवा दिये उनको हमें देखना पड़ रहा है। इस सरकार में अधिकारियों ने ऐसा सबक सीखा है कि अब डी0 एम0 लाइसेंस देने को जल्दी तैयार नहीं होते। आपने ऐसी बीमारी पैदा की कि हमारे लोग परेशान हैं लेकिन एक प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा। हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनायेंगे। इसलिये इस लक्ष्य से ध्यान हटाकर हम समय बरबाद नहीं करेंगे। बाजपेई जी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हम आपको फाइल दिखा देंगे। हुकुम सिंह जी जब संसदीय कार्य मंत्री थे तो हम जानते हैं कि कैसे-कैसे जवाब दिए मुझे बड़ा दुख होता था आज ऐसा नहीं है। अभी दो सवाल थे उसमें मैंने खुद अधिकारियों को डांटकर सही जवाब दिलवाया। अगर अधिकारी गलत जवाब देंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। हम अधिकारियों का बचाव नहीं करेंगे। अधिकारी सही जवाब दे इसके लिये कह रखा है। यह सरकार एक आदर्श स्थान रखकर कार्य कर रही है। इसमें किसी प्रकार का भेद भाव नहीं किया जायेगा। न ही गलत काम करने का किसी को साहस होगा और होगा तो दण्डित किया जायेगा। आपने जो सवाल उठाया है उसको हम गम्भीरता से देखेंगे। गोण्डा का नाम लिया है, मैनपुरी भी जोड़ लीजिये कि मैनपुरी में क्या-क्या हुआ है ?

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, किसी भी सरकार के जमाने में हुआ हो। सरकार की कन्टीन्यूटी होती है। आज आप हैं। आपके सामने गलत आ रहा है तो उसको कैन्सिल करेंगे ? और जिन्होंने गलत दिया है उनको दण्डित करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

हमने कहा है कि हम दण्डित करेंगे और लाइसेंस निरस्त करेंगे। लाइसेंस निरस्त भी कर दिये हैं और दण्डित भी करेंगे।

कोई दल इसका विरोध करना चाहता है, अगर कोई संशोधन चाहता है, तो यह उसका अधिकार है लेकिन वह सामने आना चाहिए कि वह उसका विरोध कर रहा है। उपाध्यक्ष जी ने पीठ से निर्देश दिए और हम सिर्फ पीठ के निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि औपचारिक रूप से लिखित प्रस्ताव दीजिए, उसके अनुपालन में औपचारिक प्रस्ताव आपके सम्मुख रख दिया है। इसलिए अब इस प्रस्ताव को पारित करायें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, माननीय नेता सदन प्रस्ताव लाये हैं, इण्डिया शब्द के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। तमाम महापुरुषों ने यहां अंग्रेजी के खिलाफ संघर्ष किया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि महारानी विक्टोरिया का फोटो हटाया गया। अगर यह भावना है कि अंग्रेजों के नाम पर रखे गये नामों को बदलने की तो मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने भी अंग्रेजी नाम हटाने को लेकर आन्दोलन किया था। मेरा कहना है कि एक प्रस्ताव नियम-103 के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए कि अंग्रेजों के नाम पर कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। मान्यवर, लखनऊ का किंग जार्ज मेडिकल कालेज का नाम एक अंग्रेज के नाम पर है जब संविधान में संशोधन हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज का नाम से अंग्रेज का नाम हटा दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि संविधान के भाग-1 के अनुच्छेद-1 (नेम एण्ड टेर्रीटोरी आफ यूनियन) में "इण्डिया दैट इज भारत" के स्थान पर "भारत दैट इज इण्डिया" रखने हेतु संविधान में आवश्यक संशोधन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं।)

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने का प्रयास करने पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों का तेजी से थपथपाना जारी रहा जिससे उनकी बात नहीं सुनी जा सकी।)

श्री अध्यक्ष-

सदस्यगण, कृपया शान्त हो जायें, बहुत हो गया।

(लेकिन माननीय सदस्य मेजें थपथपाते रहे।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[×××]

(मेजों के थपथपाये जाने के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया।)

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं लिखा जाएगा। माननीय सदस्य कृपया शान्ति स्थापित करें।

(इस बीच श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

जब लिखा ही नहीं जा रहा है तो क्यों बोल रहे हैं।

नोट :- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(मेजों की थपथपाहट शान्त होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी सदन में एक मामला आया था और एक नोटिस इसलिए खारिज हो गया क्योंकि उसमें हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए हुए थे।

यह आपके पीठ से व्यवस्था हुई थी, मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो पूर्व मुख्य मंत्री थीं, जो यहां पर बैठती थीं उनके किसी भी पत्रावली में अंग्रेजी भाषा के अलावा दस्तखत नहीं है यह निन्दनीय है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी आप बैठ जायें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। माननीय मौर्या जी जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

(व्यवधान जारी रहा)

नियम-311 एवं नियम-300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं संशोधित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

मैं अगली सूचना जो कि श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की है, को ले रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अति संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय श्री श्याम देव राय चौधरी जी ने भी इस घटना का जिक्र किया है। लखनऊ में कैन्ट थाने में यह घटना घटी। एक ट्रक में 38 मवेशी पकड़े गये थे।

(व्यवधान)

मान्यवर, पहले सदन को तो व्यवस्थित करायें।

श्री अध्यक्ष-

आप दो मिनट में अपनी बात कहें। इस पर पहले ही माननीय नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं। अब आपको और क्या नया कहना है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं एक नयी बात कह रहा हूं। मान्यवर, लखनऊ थाना माल में एक ट्रक पकड़ी गयी और उसमें अनेकों गाय और भैंस मरे हुए पकड़े गये। मान्यवर, मेरा यह आरोप है कि यह जो गो-हत्याएं हो रही हैं यह एक षडयंत्र के तहत हो रही हैं और कानून व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए हो रही है। प्रदेश में दंगा कराने के लिए यह हो रही है। मान्यवर, इटावा क्षेत्र औरैया के पास भी एक ट्रक में कई क्वींटल गौ मांस पकड़ा गया जिसका संज्ञान तत्कालीन गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राधे श्याम गुप्ता ने लिया था इसी बात पर उन्हें हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

जो आपने सूचना दी है उसमें इसका कहीं कोई नाम नहीं है।

था। मैंने उस पत्र को नेता जी को दिखाया था। दो सगी बहनों का खत था जिनके मां-बाप नहीं थे, दो छोटी बहनें थीं। उन्होंने लिखा था कि हम दोनों बहनों को उर्दू टीचर की नौकरी मिल गयी है और खुशी की यह बात लिखते हुए हमारी आंखों से न जाने कितने आंसू टपक रहे हैं। मान्यवर, हजारों लोगों को उर्दू अनुवादक, उर्दू टीचर की नौकरी दी गयी और तीन हजार और नौकरी देने की घोषणा हुई। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 45 साल तक एक ही पार्टी का एकछत्र राज रहा, देश पर और राज्यों पर। कुछ नहीं सोचा गया उर्दू के बारे में। कोई मदरसा नजर नहीं आया न उर्दू का न फारसी का।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इनसे तो कोई उम्मीद भी नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वह तो कभी भी नहीं रही। मान्यवर, पहली बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने अरबी, फारसी को ग्रान्ट पर लिया। इसके लिये मुखालफत भी झेली गयी। हमारे समाज के एक वर्ग ने इसका विरोध किया कि देखिए यह सरकारी खजाने से नहीं चलना चाहिए। इसके बावजूद यह लागू किया गया। मुझे याद है कि मेरे यहां 14 साल के बच्चे का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया। उसके पिता मेरे पास आये और बोले कि मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम न करायें। मेरा दिल पसीज गया और फिर बाद में मेरे मन में विचार आया कि यह गलत है। फिर मैंने उसका पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद अदालत में मुकदमा चला और उसके पिता को 3 लाख का मुआवजा मिला। वह रोता हुआ मेरे पास आया और बोला कि आप सही थे। इसलिये मान्यवर, यह समझते हुए कि अरबी मदारिस को सरकारी खजाने से तनख्वाह मिले और इसलिये कि समाज के उस वर्ग को अहसास होना चाहिए कि उस सरकारी खजाने में उसकी भी हिस्सेदारी है तो वह उसे मिलनी चाहिए। आखिर हम उन्हें देश की इस धारा से क्यों अलग रखें और शायद श्री जगदम्बिका पाल जी को मालूम नहीं है कि अरबी मदारिस को ग्रान्ट पर लिया गया और दूसरी बार सरकार जाने के पहले तो 67 मदारिस को ग्रान्ट पर लेने की फेहरिस्त तैयार हो गयी थी। इन 67 मदारिस के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और स्टाफ के लोग साढ़े आठ साल तक सत्ता के दरवाजे पर धक्के खाते रहे और उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। इस सरकार ने आने के बाद साढ़े आठ घंटे नहीं लिये। लोक सभा के चुनाव के इस गुमान में कि आज आचार संहिता खत्म हो गयी होगी 11.00 बजे 67 मदारिस को ग्रान्ट पर लेने का जी0ओ0 जारी हो गया। यह नहीं बताया कि वे 67 मदरसे जहां हजारों की संख्या में टीचर्स को ग्रान्ट पर लिया है उसके साथ मैनेजमेंट ने क्या नाइंसाफी की। यह अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं हैं। मैं खुलकर कहता हूं [***] कुछ लोगों ने जो वहां पर उस्ताद थे, अध्यापक थे, जिन्होंने यह इमारत खड़ी की थी उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अब उन्हें नहीं रखा गया। अब जो रखे जाने हैं उन्हें सरकारी तनख्वाह मिलेगी। अब पांच सौ में कोई नहीं पढ़ायेगा, अब हजारों की तनख्वाह मिलेगी। तो मैं यह कह रहा था कि उन्हें मैनेजमेंट ने निकाल दिया था लेकिन मैंने उस पर रोक लगा दी है। मैंने यह कहा कि उन लोगों को नहीं निकाला जायेगा जिन्होंने इन इमारतों को खड़ा किया है। इन्होंने तस्करा नहीं किया। मैं माननीय नेता जी की तरफ से एक घोषणा करना चाहता हूं, आपको शायद यह नहीं मालूम है कि अरबी मदरसों में फारसी नहीं पढ़ायी जाती है, फारसी के लिये कोई इन्तजामात नहीं है इसलिये रामपुर

नोट :— [***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

में उर्दू फारसी को पढ़ाने के लिये एक यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गयी। वह क्यों की गयी। वह इसलिये की गयी ताकि दुनिया सिमट कर एक जगह आ जाय और दुनिया के एक चौथाई देश में जो इसको जानता है,वह यह समझ लें कि उसका एक चाहने वाला शख्स उत्तर प्रदेश में रहता है, जिसका नाम मुलायम सिंह यादव है। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं और उन असाजादों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारे नेता जी ने फैसला किया है कि जिस तरह से और लोगों की रिटायरमेंट एज 62 साल है उसी तरह से उन लोगों की भी रिटायरमेंट एज 62 साल होगी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो अभी दस पन्द्रह दिनों में रिटायर हुए हैं उन्हें रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट्स से पुनः सेवा में लिया जायेगा। जहां तक पंचम वेतन आयोग का मामला है तो यह विचारार्धीन हैं हम उनके हितैषी हैं। हमदर्द हैं और उनके नाम पर छल करने वाले नहीं हैं। जिनको मालूमात नहीं है, हमें मालूम है आपकी हमदर्दी है हम उससे उसको जोड़ते हैं और जो भी होगा वह हम करेंगे।

(व्यवधान)

श्री लालजी टण्डन-

इतना लम्बा भाषण हमने संसदीय कार्य मंत्री जी का सुना और बड़े धैर्य के साथ सुना। मैं बार-बार कहता हूं कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी अकेली हमारी नहीं है। यह सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग भी जिम्मेदार हैं और उसी तरह की जिम्मेदारी का व्यवहार करें। माननीय जगदम्बिका पाल जी की भिगो-भिगोकर जो आपने सेवा की उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। वह ऐतिहासिक भी है क्योंकि तुष्टिकरण कम्पनी में कौन आगे जायेगा इसके लिये सब पीड़ित हैं। लेकिन किसी को यह मालूम है कि देश की जड़ जिस भाषा में बसती है और जो भाषा दुनिया में पहचानी जाती है वह संस्कृत विद्यालयों के लिए, उनके निरीह टीचर्स के लिये कुछ करना चाहिए। उसके लिये कहीं कोई हमदर्दी नहीं है, उनके लिये दो शब्द नहीं है। आप कहते जायें और हम इस भाषा को सुनते जायें और कठोर भाषा बोलें क्योंकि लोगों को संदेश भेजना है आप अल्पसंख्यकों के हितैषी है। हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है तो मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो हकीकत है, उसके ऊपर भी कभी तामील हो, दिल से एक आवाज निकले कभी, यह चर्चा तो हो कि जिस भाषा से आज सारी दुनिया ज्ञान और विज्ञान प्राप्त कर रही है, वेद जिस भाषा में लिखे गये हैं वह संस्कृत भाषा जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन यह संस्कृति खत्म हो जाएगी, उसके लिये दिल में कोई दर्द नहीं है। आप इन संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिये भी कुछ सोचें, उन्हें भी जो वाजिब हक है वह मिले और ऐसा करने से जिनको आप लाभ पहुंचा रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन उन्हें भी तो वाजिब हक मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष-

जगदम्बिका पाल जी, आप बैठ जाएं, कुछ चर्चा नहीं हो पा रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, क्योंकि नोटिस ही जगदम्बिका पाल जी की है इसलिये जगदम्बिका पाल जी का नाम लिये बगैर मैं कैसे कुछ कह सकता हूं। किसी और नोटिस पर आप बोले होते, तब बीच में बोलते तो

मेरा जुर्म वाजिब था। नेता प्रतिपक्ष से मैं यह अर्ज करना चाहूंगा मैं उर्दू या फारसी या अरबी का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि प्रश्न यही था, जहां तक संस्कृत की बात है अगर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जबान से तास्सुक करता है।

श्री उपाध्यक्ष-

इसका अर्थ भी बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जिनसे मैंने कहा है वह इसका अर्थ समझ गये हैं। "मेरी तो एक बात का इतना बुरा हुआ, कुछ आपको भी याद है अपना कहा हुआ"।

(सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, संस्कृत भाषा की महानता से उसके इतिहास से किसी भी भाषा प्रेमी को इख्तलाक नहीं है और यह एक सच्चाई है, ऐतिहासिक सच्चाई है और यही कारण है कि नेता जी ने अरबी के लिए विचार किया और इन सारी चीजों को संस्कृत के साथ पहले जोड़ा है जो राहते और सहूलियतें अरबी वालों को दी जा रही है वह संस्कृत को पहले दी जा रही है बाद में इनको दी जा रही है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी अपने उत्तर में अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो कम से कम शालीनता की बात करते, इनकी बातों से लगता है कि बहुत अक्लदार हैं संसदीय कार्य मंत्री जी और मैं बहुत कम अक्ल हूं, यह कौन सी बात है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय जगदम्बिका पाल से कह दूं, कितनी शालीनता से बोला है, कोई भी माननीय सदस्य कह दे शालीनता से एक शब्द हट कर बोला हो तो कहें। जो बहस होती है उससे जानकारियां मिल जाती है, जहां तक कोई समस्या आ रही थी और माननीय सदस्य उत्तर से वंचित रह गये हों तो हम तैयार हैं। जहां तक टण्डन जी का सवाल है, मैं केवल इस लिये खड़ा हो गया हूं कि आपने नहीं समझा, आपके समय में शिक्षा के मामले में और पाठ्यक्रम की इतनी दुर्दशा थी कि आप ज्योतिषी बढ़ाने चले गये, अगर सभी ज्योतिषी हो जाते तो हाथ कौन दिखाता, कितनी बड़ी समस्या पैदा हो गयी, जिसके विचार कहां से कहा तक ले गये। लेकिन, माननीय नेता विरोधी दल ने उस ज्योतिषी को बढ़ावा दे दिया अब उससे कोई सारा रोजगार तो मिलेगा नहीं उससे थोड़ा बहुत तो रोजगार मिल सकता है। यह ठीक है कि ज्योतिषियों का कभी आदर होता है, लोग मदद भी कर देते हैं। आप ज्यादा मदद कर देते हैं, मैं नहीं कर पाता। लेकिन जहां तक संस्कृत का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि कभी संस्कृत की उपेक्षा नहीं हो सकती है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) और न हम करेंगे और न हमारी सरकार करेगी। लेकिन हम ज्योतिषी से बचेंगे। थोड़ा बहुत ज्योतिषी का महत्व बना रहे। ज्योतिष विद्या एक वैज्ञानिक विद्या है लेकिन उससे रोजगार नहीं मिलेगा। लोग बताते हैं जो ज्योतिषी जानते हैं कि उससे थोड़ी बहुत शान्ति मिलती है सन्तोष मिलता है। लेकिन उनसे रोजगार छीन लें यह हमारा काम नहीं है। मान्यवर, सदन में संस्कृत नहीं बोली जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके राज में जितनी अंग्रेजी बोली गयी है उतनी हिन्दुस्तान में कभी नहीं बोली गयी है। (सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें) यह सही है कि संस्कृत बोलने वाले मंत्री हमेशा

सदन में हिन्दी में बोले हैं। पूर्व राज्यपाल जी राज्य सभा में थे हिन्दी में बोले। लेकिन ऐसे-ऐसे लोग जो हिन्दी के अच्छे जानकार हैं हमेशा अंग्रेजी में अपनी बातें कहे हैं।

भारतीय संविधान के भाग-1 के अनुच्छेद-1 (नेम एण्ड टेरीटोरी आफ यूनियन) में "इण्डिया दैट इज भारत" के स्थान पर "भारत दैट इज इण्डिया" करने हेतु संविधान में आवश्यक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मैं कहना चाहता हूं कि जहां लिखा है संविधान में इण्डिया इज भारत वहां भारत इज इण्डिया लिख दिया जाय, लेकिन उसमें भी आज की तारीख में वे तैयार नहीं है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे प्रस्ताव यहां ले आयें। विधान सभा में इसकी बाबत और उसको पास करके संसद में भेजा जाय, इसमें क्या परेशानी है ? भारत इज इण्डिया अभी कर दिया जाय। मैं इसका प्रस्ताव करता हूं माननीय उपाध्यक्ष जी। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) हम प्रस्ताव करें कि संशोधन किया जाय संविधान में। जहां पर लिखा है इण्डिया इज भारत वहां पर भारत इज इण्डिया लिख दिया जाय। अगर अनुमति हो तो यह प्रस्ताव किया जाय। यह यहां से सर्वसम्मति से पास हो जाय ?

श्री हुकुम सिंह-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने मान्यवर, कहा है कि सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली गयी है। मान्यवर, 1978 में पहली बार माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में भाषण दिया था वह पहले भारतीय व्यक्ति थे। (भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से मेजों की थपथपाहट) वे शायद भूल गये हैं। हम तो हिन्दी में ही बोलते हैं हमारी और मुख्य मंत्री जी की तो मजबूरी है यहां हिन्दी में बोलने की। हम दोनों की बैकग्राउन्ड हिन्दी की है उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। मोहम्मद आजम खां साहब अरबी फारसी में बोल सकते हैं लेकिन हम तो हिन्दी में ही बोलेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अटल जी ने हिन्दी में वहां बात कही थी। सारी दुनिया यह भी जानती है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी सदन में भाषण देने वाले थे तो कितना संघर्ष किया था हम समाजवादियों ने और हम लोगों ने मजबूर कर दिया था केवल समाजवादियों ने कि क्लिंटन जी का तो भाषण सुनेंगे लेकिन हम अपने हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जी का भाषण अंग्रेजी में नहीं सुनेंगे। उनका भाषण अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी। उसके बाद उनको पता चला कि समाजवादी पार्टी के लोग केवल शोर ही नहीं करेंगे हो सकता है कि भाषण भी उनसे ले लें। उनके लिए मुश्किल वाली बात हो गयी थी। हम लोगों को बाद में पता चला कि रात्रि में 11 बजे अंग्रेजी भाषण का हिन्दी में अनुवाद हुआ। वह रातों रात हुआ। वहां खबर फैली कि मुलायम सिंह यादव जी ने मजबूर किया इसके लिए। हमने पत्र लिखा था और बयान दिया था। हमने तो यहां तक कहा था कि अगर चाहते हैं तो पहले तमिल में बोल दें उसका हिन्दी में अनुवाद हो जाय तो जो विरोध कर रहे थे सबकी जुबान बन्द हो जाती। हम लोगों को कितना संघर्ष उसके लिए करना पड़ा माननीय हुकुम सिंह जी और जहां तक हिन्दी का सवाल है हम इसीलिए कहते हैं, मामूली विद्वान नहीं थे अंग्रेजी के डा0 राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने एक पंक्ति भी लोक सभा में अंग्रेजी में नहीं बोली, हमारी तो दो चार पंक्तियां आ गयी होंगी, लेकिन डाक्टर लोहिया की कहीं एक पंक्ति अंग्रेजी में नहीं

है और बड़े विद्वान थे अंग्रेजी के इसीलिए मैंने कहा कि बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। आपको पता है हिन्दी में भाषण बोलने के लिए अटल जी जैसे महाकवि और हिन्दी के समर्थक ही नहीं, काम करने वाले की ऐसी संस्कृति हो गयी कि प्रधान मंत्री बनने पर वह अंग्रजी में भाषण देने चले थे। क्लिंटन के भाषण के बारे में मैंने कहा, हम ऐसे नहीं हवा में बोलते हैं, प्रधानमंत्री हिन्दी के सबसे ज्यादा समर्थक हैं। हमारे तो मतभेद हैं, ज्योतिष पढ़ाने वाला कैसे पाठ्यक्रम बदला माननीय मुरली मनोहर जोशी ने जो सच्चाई है वह सच्चाई है। इसलिए हमने कहा कि हिन्दी के लिए हमें लड़ना पड़ा था तब जाकर हिन्दी में भाषण किया गया था तो अगर किसी ने सम्मान बचाया था तो हम लोगों ने दुनिया के अन्दर इसका सम्मान बचाया था।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं इस सूचना का अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री भरत सिंह की है।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, आपने कार्य-स्थगन पर बोलने का अवसर दिया।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने अभी एक प्रस्ताव रखा था कि संविधान में यह संशोधन हो और उसका प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान सभा से यूनानिमस जाना चाहिए और वह यह कि संविधान में भारत इज इंडिया हो न कि इंडिया इज भारत यह प्रस्ताव नेता जी का था। यह एक मत से होकर चला जाय तो एक अच्छा संदेश जायेगा।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं तो प्रशंसा करूंगा उसका नाम भारत ही रहे व्हाई इंडिया, इंडिया शब्द क्यों रहे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, हम भावना में नहीं यह प्रस्ताव कर रहे हैं, मैं आपसे सहमत हो सकता हूं लेकिन ऐसी स्थिति इस वक्त कर दी गयी है कि उस पर हम बहस नहीं करना चाहते, कौन जिम्मेदार है। इसलिए इस देश के सामने हम यह कहें केवल हिन्दी में तो हम विवाद खड़ा करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक प्रस्ताव पास करके भेजें। उनको मनाया जा सकता है हम कोशिश करेंगे उसकी तमिल भाषा, तैलगू भाषा अन्य दक्षिण भाषाएं हैं, हम विकास करेंगे जैसे मैंने 8 भाषा को पढ़ाने का काम शुरू किया था उस तरह से हम उन पर लागू नहीं करेंगे जबरदस्ती। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सहमत हैं आपकी बातों से समय आ जायगा तो इसको कर लेंगे अभी इतना ही रखें।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं प्रश्न करता हूं --

जो प्रस्ताव अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है उसके सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित है वह सहमत हों तो हां कहें और न सहमत हो तो ना कहें ?

हां की संख्या अधिक है अतः यह प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक औपचारिक प्रस्ताव आप सदन में और उसमें विचार रखने का सबको मौका मिले, प्रस्ताव तो प्रस्ताव की तरह।

श्री उपाध्यक्ष-

क्या आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं निश्चित कर रहा हूं। अगर ऐसे मान लिया जाय, तो ठीक है, नहीं तो मैं लिखकर दे दूंगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है, इसे विधिवत पास होना चाहिये, यह प्रस्ताव ऐसे ही नहीं आ जायेगा। इसे नियमों के अन्तर्गत दीजिए, यह संकल्प बनाकर देना होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

उसमें कोई अड़चन नहीं है, सीधे भी आ सकता है।

श्री लालजी टण्डन-

आप इसे नियमों के अन्तर्गत ले आइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, कार्यस्थगन का प्रस्ताव चल रहा है, उस पर चर्चा चल रही है, आप ग्राह्यता पर सुन रहे हैं। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी वास्तव में गम्भीर हैं तो इसका लिखित प्रस्ताव ले आयें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। अलग से जब ले आयेंगे तो उसके अनुसार इसको ले लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

लिखित प्रस्ताव आने पर इसको ले लिया जायेगा।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज का नाम पुनः शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय किये जाने विषयक प्रस्ताव को पुनः लाये जाने की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

किंग जार्ज मेडिकल कालेज का नाम भी तो अंग्रेज के नाम पर है, उसका नाम शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कर दिया गया था, उसका नाम फिर बदल दिया गया, हम इसका भी प्रस्ताव ले आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह ली थी, अब जब प्रस्ताव आयेगा, तब देख लेंगे।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

नियम-311 एवं नियम-300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

* श्री भरत सिंह-

मान्यवर, जनपद बलिया के दोआवा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लगभग 2 दर्जन गांवों में आरसेनिक युक्त पानी हैण्डपम्पों और कुओं से निकल रहा है, इसकी वजह से सैकड़ों लोग मर चुके हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और सैकड़ों लोग बीमार हैं। हम आपके माध्यम से अपने मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जनपद बलिया के दोआवा विधान सभा क्षेत्र में आरसेनिकयुक्त पानी की वजह से लोगों के बच्चों के शरीर में चकत्ते निकल रहे हैं, पेट खराब हो जा रहा है, गैस्टिक नाम की बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं। मैं कुछ गांवों का नाम लेना चाहूंगा गंगापुर, टिकनीछपरा, शाहपुर, तिवारीटोला, बलिहार, केहरपुर, गंगौली, श्रीनगर, पिथरौंटा आदि यह तमाम गांवों सहित दो दर्जन गांव हैं, जहां सालों से आरसेनिकयुक्त पानी निकल रहा है। मान्यवर, कलकत्ता के वैज्ञानिक वहां के दर्जनों हैण्डपम्पों, नलों आदि का परीक्षण किये हैं और उस परीक्षण के उपरान्त जो निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने दिया है, उसके अनुसार वहां का पानी आरसेनिकयुक्त है जो आदमी के स्वास्थ्य के लिये खतरनाक है। इसकी वजह से सैकड़ों लोग मर चुके हैं और सैकड़ों लोग कई बीमारियों से ग्रस्त हैं, उसके बावजूद भी शासन स्तर पर अभी तक कोई उपाय नहीं किये गये हैं। आज सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं, इसलिये आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दोआबा क्षेत्र के इन दर्जनों गांव में वहां के लोग जो गरीब हैं, वह इस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी शासन स्तर पर कोई निर्णय लें, जिससे वहां के दर्जनों गांव के लोगों के पीने के लिए ठीक पानी का इन्तजाम हो ऐसे हैण्डपम्प लगाये जाएं जिनकी गहराई 200-300 मीटर हो तभी पानी शुद्ध मिल पायेगा। शासन स्तर पर उन गांव के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए और जो लोग बीमार हुए हैं उनका उपचार कराया जाए तथा इस पर सदन को स्थगित करके चर्चा कराई जाए।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इस तरह की शिकायतें एक ही जनपद में नहीं हैं, बहुतों में हैं। इसको देखते हुए 72 सैम्पुल लिये गये थे, उनकी जांच हुई थी और 72 में से किसी को भी दूषित नहीं पाया गया था, सभी ठीक पाये गये।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, मैं अखबार की कटिंग दिखा सकता हूं। वैज्ञानिकों ने दो-दो बार परीक्षण किया और पानी को दूषित पाया।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह ली और संसदीय कार्य मंत्री ने उसका उत्तर भी दे दिया अब आप चाहें तो पानी निकाल कर सैम्पुल लगा दीजिए, आपकी बात हो गयी है।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, पुनः उसका परीक्षण कराया जाए और जो लोग दूषित पानी से मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए तथा जो बीमार हैं उनका इलाज कराया जाए।

श्री अध्यक्ष-

पांचवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा की तहसील किरावली में मैसर्स कैलादेवी ऑयल कम्पनी आगरा को नई वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत मिट्टी का तेल उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है, मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। छठी सूचना डा0 सुशील चौधरी की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत सम्मिलित जातियों को सामाजिक,

आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में समुचित लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर भी मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की सूचना है, इस पर आप व्यापक चर्चा कर चुके हैं इसलिए संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यमः से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एक साजिश के तहत उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है। अभी इसी 31 जुलाई को प्रतापगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के श्री मंजय लाल पुत्र श्री शिव कुमार की हत्या कर दी गई, वह मजदूरी करता था, हीरा लाल यादव के यहां से काम करके आ रहा था। रास्ते में कुछ अराजक तत्वों ने उसकी हत्या कर दी। नामजद एफ0आई0आर0 हुई, मौके पर पुलिस अधिकारी भी गये लेकिन घटना के 3-4 दिन बीत जाने के बाद तीन लोगों का नाम एफ0आई0आर0 में होने के बावजूद एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी तरीके से फतेहपुर में राजेन्द्र, अमर सिंह, राम बहादुर सभी मलवां थाने के हैं, इनकी हत्यायें कर दी गयीं लेकिन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न होने से परिवार वालों को धमकाया जा रहा है। इसी तरह से कौशाम्बी में आत्मा राम प्रधान जो बहुजन समाज पार्टी का जुझारू कार्यकर्ता था उसकी अराजक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गयी।

नियम-56 की सूचनाओं की ग्राह्यता पर व्यवस्था का प्रश्न

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, आप तो बड़े कानून के ज्ञाता हैं, पीठ से जो फैसला लेंगे वह सदन को मान्य होगा। आज सुबह आपने एक व्यवस्था दी थी और आपकी व्यवस्था स्वीकार कर ली। श्रीमन्, नियमावली के नियम-56 में देख लें जितनी भी सूचनायें आयेंगी, उसमें आप 5 सूचनाओं को ग्राह्य करेंगे जिस पर यहां ग्राह्यता के आधार पर बोला जायेगा। आप सरकार से कहेंगे तो सरकार उत्तर देगी। सभी सूचनाओं पर चर्चा नहीं होती है। आपने सातवीं सूचना की ग्राह्यता पर बोलने की अनुमति दी। मैं यह जानना चाहता हूं कि नियमावली के किस नियम के तहत अनुमति दी गयी है ? क्या यह केवल पीठ की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत किया गया है। मान्यवर, यह सदन नियमों के अन्तर्गत चले। अगर कोई अज्ञानता हमसे हो तो क्षमा करेंगे लेकिन यदि पीठ से कोई भूल हो रही हो तो उसे सुधारा जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 की जो सूचनायें हैं.....

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आपने पीठ से निर्देश दिया कि विशेष उल्लेख में सुन लेंगे, सदन में आपकी एक व्यवस्था हो गयी, उस व्यवस्था के तहत स्वामी प्रसाद मौर्या जी बोल रहे थे। अग्रवाल साहब कुछ परम्परायें रही हैं, परम्पराओं के तहत भी हम चलते हैं केवल नियमों से ही नहीं बंधे रहते।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है लेकिन उस समय...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, जब उधर बैठा करते थे तो आप भी जरा याद कीजिए कितने अधिकार थे, हमें बोलने के लिए कितने नियम-56 सुने जाते थे। राजभर जी क्या कहेंगे वह तो खुद संसदीय कार्य मंत्री थे और कितना हमारा गला दबाकर रखा था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और अग्रवाल साहब नियम-56 में पूरी व्यवस्था है। नियमावली में कोई संख्या निर्धारित नहीं है। पहली बात यह है कि नियम-56 में यह प्रश्न आता है या नहीं आता है यह ग्राह्यता पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा तो एक परम्परा मुझसे पूर्व पीठासीन अधिकारी ने डाल दी थी कि कुछ सूचनाओं को विशेष उल्लेख के तहत सुना जायेगा। उसी पूर्व पीठासीन अधिकारी की परम्परा के अनुसार 3-4 सूचनायें ले ली गयीं, कुछ पर ध्यान आकृष्ट हो गया तथा विशेष उल्लेख के अन्तर्गत दो-एक सूचनायें सुन ली जाती हैं, इससे सदन की गरिमा बनी रहे तो क्या दिक्कत है

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

अगर पूर्व पीठासीन अधिकारी की व्यवस्था थी तो कुछ संख्या निर्धारित होगी।

श्री अध्यक्ष-

पीठ से परम्परायें बनती हैं और बिगड़ती भी हैं। पुरानी परम्परायें यह रही हैं कि उन्होंने विशेष उल्लेख के तहत भी सुना है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, बिगड़ती नहीं हैं, इस पीठ से तो आदेश होता है।

श्री अध्यक्ष-

आप नियमावली को पढ़िये। नियम-56 में यह कहां लिखा है कि कितनी सूचनायें ली जायेंगी और कितनी सूचनायें नहीं ली जायेंगी। कितनी सूचनायें ली जायेंगी यह पीठासीन अधिकारी के विवेक पर होता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, क्या सब पर ग्राह्यता पर बोला जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

12-14 सूचनाओं को अग्राह्य कर दिया गया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं भी 1989 से सदन का सदस्य हूं। अग्रवाल साहब मुझसे पुराने हो सकते हैं उनका ज्ञान बहुत अधिक होगा। नियमों और परम्पराओं में है कि जब एक मद समाप्त होती है और दूसरी मद प्रारम्भ होती है तब बीच में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। माननीय मौर्य जी अपनी बात कह रहे थे तो बीच में व्यवस्था का प्रश्न कहां से उठ गया ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

अगर परम्परा आप देखें तो व्यवस्था का प्रश्न केवल प्रश्न काल को छोड़कर उठाया जा सकता है। माननीय पीठासीन अधिकारी की अनुमति से प्रश्न उठाया जाता है यह परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, वह हमारी अनुमति से बोल रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, नियमावली से सदन चलता है। सरकार के लिये नियम हो और विपक्ष के लिये नियम न हों तो यह कैसे उचित है। नियम सबके लिये है हम कब कहते हैं कि नियम तोड़े जायं।

श्री अध्यक्ष-

सरकार हो या चाहे विपक्ष हो सभी नियमों से बंधे हैं। सदन नियमों से चलता है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मंत्रि परिषद् के सदस्य व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाते हैं क्योंकि सदन में व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। वह व्यवस्था का प्रश्न उठाने के हकदार नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि कानूनन वर्जित है लेकिन परम्परा यही रही है कि सत्तापक्ष में बैठे हुये लोग जो मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं उनका काम व्यवस्था बनाने का है व्यवस्था का प्रश्न पूछने का नहीं है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी जल्दी खत्म कीजिये।

*श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, मैं भी कहना चाहता हूं मेरी बात सुन लें। मैं जब इस सदन में आया तो नियम 301 की सूचनायें शलाका से नहीं निकाली जाती थीं। यह आपके विवेक पर होता था; जैसे कोई महत्वपूर्ण मामला है, गांव के गांव जल गये हैं वह सूचना 301 में दी गयी और किसी की मुर्गी खो गयी है उसने में भी नियम 301 में सूचना दी। मान लीजिए 301 में मुर्गी खोने की सूचना निकल आयी तो महत्वपूर्ण सूचना रह जायगी। इसलिए इस नियम 301 के नियम को बदलिये। मैं इस सदन में 1977 में मेम्बर बन कर आया था। उस समय शलाका-वलाका नहीं थी। नियम 301 तथा नियम 56 आपके विवेक पर था। मैं भी बहुत पुराना सदस्य हूं। आप इस शलाका के नियम को हटाइये।

नियम-311 एवं नियम-300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी आत्माराम प्रधान की कौशाम्बी में हत्या कर दी गयी और इसी तरीके से कमलेश और उसकी पत्नी की हत्या टिकवा मऊ उन्नाव में कर दी गयी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ में जहानाबाद में बुद्ध जी गौड़ की हत्या 9 जुलाई को कर दी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज यह उत्पीड़न और दमनात्मक कार्यवाही चल रही है। सुल्तानपुर में मुरैनी में 9 परिवार रामनिवास, हरीराम, सनेही, खुशीराम आदि परिवार घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। लोग घर छोड़कर गांव से पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। अभी हमारे सत्तापक्ष के कुछ साथी कह रहे थे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि यह बातें झूठी हैं मैं यह कह देना चाहता हूं कि आपको आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मुख्य मंत्री जी खुद इस बात को कबूल करते हैं कि अपराध बढ़े हैं। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने में गुरेज नहीं होना चाहिए। मैं कह देना चाहता हूं कि आज बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकताओं की हत्याएं की जा रही हैं। उनका उत्पीड़न किया जा रहा है इससे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश है कि राजनीति द्वेषवश इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए जिससे बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। अपराधियों को गिरफ्तार करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो इस प्रकार से उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है उस पर तुरन्त अंकुश लगाया जाय।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

सदन के यह संज्ञान में है कि कानून हाथ में लेने वालों ने ही अपर पुलिस अधीक्षक को मारा है। इस सूचना के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि इसकी जानकारी लेंगे और जो कार्यवाही आवश्यक होगी वह करेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, अगर किसी को किसी ने मारा है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए लेकिन सरकार जिस तरह से [****] होकर जवाब दे रही है वह उचित नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है यह सरकार के इशारों पर किया जा रहा है। सरकार की इस कार्यवाही के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(असन्तुष्ट होकर बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सदन त्यागकर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

श्री लालजी टण्डन और श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में गाय-बछड़ों के अवैध कारोबार में पुलिस की मिली भगत एवं गोकशी के लिए भेजे जा रहे पशुओं की ट्रक में दम घुटने से हुई मौत के सम्बन्ध में सूचना दी है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, आप दो मिनट इस पर मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपके नेता ने अपनी बात रख दी है। अब क्या कहना है। मैंने इस पर ध्यान आकृष्ट करा दिया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, केवल दो मिनट में अपनी बात रखूंगा।

नोट :-[****] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, बहुत सम्वेदनशील मामला है। आपकी अनुमति हो तो मैं कह दूं। कैण्ट एरिया में यू0पी0-53 जी0-6065 एक ट्रक आकर खड़ा हो गया। पुलिस द्वारा उसको रोक लिया गया और मान्यवर, इसलिए रोक लिया गया कि उसमें गोकशी के लिये पशु ले जा रहे थे। मान्यवर, इसमें सौदेबाजी हुई। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने 10 हजार रुपये दे दिये। 30 हजार रुपये की बात हुई बीस हजार रुपये अवशेष बच रहा था। 20 हजार रुपया लेने के लिए ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को गांव भेज दिया गया मान्यवर, दुःखद पहलू यह है कि पुलिस की सत्यनिष्टा बिल्कुल स्पष्ट है। वह पूरी तरह से संदिग्ध रही है। 38 पशु उस ट्रक में लदे थे और वह इस तरह से लदे हुए थे जैसे कोई बोरे वगैरह भर दिया जाता है। मान्यवर, वह ट्रक ढाई तीन दिन खड़ा रहा क्योंकि ड्राईवर पैसा लेने के लिए गांव गया हुआ था। इस बीच उसमें से 20 पशु दम घुटने से मर गए तब पुलिस ने यह तय किया कि मरे हुए पशुओं का डिस्पोजल किया जाय। इसके लिये एक आदमी को तय किया और जब वह आदमी इन मरे हुए पशुओं को ले जाने लगा तब यह लोगों की जानकारी में आया और लोगों में असन्तोष हुआ और लोग इसका विरोध करने लगे। उसमें 17-18 पशु थे जिनका इलाज शुरू हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय सबसे दुःखद पहलू इसमें यह है कि इस तरह से तस्करी जो पशुओं की हो रही है। जो मूक पशु है, बोल नहीं सकते है उनके साथ इस तरह का क्रूर व्यवहार हो रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस तस्करी के कार्य में पुलिस जन और अन्य लोग लिप्त हैं उनको रोका जाय और भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाय कि इस तरह से पशुओं की तस्करी बन्द की जाय।

भारतीय संविधान के भाग-1 के अनुच्छेद-1 (नेम एण्ड टेरीटोरी आफ यूनियन) में "इण्डिया दैट इज भारत" के स्थान पर "भारत दैट इज इण्डिया" करने हेतु संविधान में आवश्यक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जिस प्रस्ताव का जिक्र किया गया था वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि इस विषय में जो बात हो वह नियमानुसार हो। ऐसा न हो कहीं नियमों का उल्लघंन हो। आप नियमावली का नियम-110 देख लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने देख लिया है। आप भी देखें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसका पांचवा पढ़िये। इसमें संशोधन को वापस लेने की बात है। वापस लेने का प्रस्ताव आप बिना सूचना दिये कर सकते हैं। आप पढ़ लें, गौर से पढ़ ले। वैसे आपका विवेक है। मैंने अपनी बात कह दी है। यह प्रस्ताव के वापस लेने में लागू होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर अपनी भावना व्यक्त की है। खुले मन से प्रस्ताव आना चाहिए। भारत केवल भारत है हम संशोधन इस पर लाना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने एक बात कही थी कि देश का माहौल ऐसा नहीं है जहां दूसरों की भवनाओं को भड़काया जाय। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इस देश में जन्म लिया हो वह भारत को भारत न कहे। भारत को इंडिया कहे तो यह अंग्रेजी वाली बात हो गई यह दिक्कत आ सकती है कि उनको अंग्रेजी पढ़ने का मौका न दें। स्कूलों में अंग्रेजी खत्म कर दी जाय। उसको किसी कम्पटीशन में जाकर अंग्रेजी का मौका न दें। इसमें उनको आपत्ति है

लेकिन भारत को भारत करने में क्या आपत्ति है। जो मैंने कहा कि जिस व्यक्ति ने यहां भारत में जन्म लिया है उसको भारत को भारत कहने में आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

नियम-110 में स्पष्ट है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नेता सदन की तरफ से यह प्रस्ताव आ चुका है और खुले मन से, राजनैतिक भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ देश प्रेम की भावना से प्रस्ताव आया था, यही उम्मीद की जा रही थी और यही की जा रही है और जिस प्रेम और आदर और जिस भावना से नेता सदन इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं, सारा सदन उसका आदर करेगा और यह बात वाकई बड़े शर्म की है कि 56 साल की आजादी के बाद भी सात समुन्दर पार के उस नाम को ले रहे हैं लेकिन हम एकदम खत्म भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाषा का भी मामला है। कुछ लोगों ने उर्दू की मुखालिफत की थी, आजादी की लड़ाई हिन्दू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी और वह इन्कलाब जिन्दाबाद का नारा लगा रहे थे। आज भी यह नारा लगाया जाता है। एक बड़ी अच्छी भावना से प्रस्ताव आया है, यदि सर्वसम्मति से होगा तो ज्यादा अच्छी बात है, बहुमत से होगा तो वह मजेदार नहीं होगी और इसे भी न माना जाए कि यह नेता सदन की तरफ से आएगा तो नेता सदन का सम्मान बढ़ जायेगा, नेता सदन का सम्मान किसी के घटाने से नहीं घटेगा। आज टाल कर कल ले आयें, कहीं टांग मार दें, चलने वाले को, यह बात ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

सर्वसम्मति आना है, इस पर विचार करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपसे मुखातिब हूं, माननीय उपाध्यक्ष जी थे, जब यह प्रस्ताव आया था, इसलिए क्योंकि यह प्रस्ताव इस सदन की सम्पत्ति हो चुका है और अब 'हां', 'न' होना बाकी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बिना चर्चा के ऐसे अहम् मुद्दे को हां, न करके पास करा देना उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष-

यह प्रस्ताव सदन में आ चुका है, इस पीठ से उपाध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। अब यह प्रस्ताव सदन में है, अब केवल मतदान होना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ एक अनुरोध मुझे करना है। इस प्रस्ताव की बावत माननीय मुख्य मंत्री जी ने मौखिक तौर पर सदन के सम्मुख रखा और सभी दलों के नेताओं, नेता प्रतिपक्ष और हुकुम सिंह जी और अन्य सम्मानित नेताओं ने उस पर तत्काल यह सहमति दी। हुकुम सिंह जी ने एक बात कही कि यह नया मामला है और प्रस्ताव औपचारिक रूप से लिखकर आना चाहिए। अगर

कोई दल इसका विरोध करना चाहता है, अगर कोई संशोधन चाहता है, तो यह उसका अधिकार है लेकिन वह सामने आना चाहिए कि वह उसका विरोध कर रहा है। उपाध्यक्ष जी ने पीठ से निर्देश दिए और हम सिर्फ पीठ के निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि औपचारिक रूप से लिखित प्रस्ताव दीजिए, उसके अनुपालन में औपचारिक प्रस्ताव आपके सम्मुख रख दिया है। इसलिए अब इस प्रस्ताव को पारित करायें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, माननीय नेता सदन प्रस्ताव लाये हैं, इण्डिया शब्द के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। तमाम महापुरुषों ने यहां अंग्रेजी के खिलाफ संघर्ष किया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि महारानी विक्टोरिया का फोटो हटाया गया। अगर यह भावना है कि अंग्रेजों के नाम पर रखे गये नामों को बदलने की तो मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने भी अंग्रेजी नाम हटाने को लेकर आन्दोलन किया था। मेरा कहना है कि एक प्रस्ताव नियम-103 के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए कि अंग्रेजों के नाम पर कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। मान्यवर, लखनऊ का किंग जार्ज मेडिकल कालेज का नाम एक अंग्रेज के नाम पर है जब संविधान में संशोधन हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज का नाम से अंग्रेज का नाम हटा दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि संविधान के भाग-1 के अनुच्छेद-1 (नेम एण्ड टेर्रीटोरी आफ यूनियन) में "इण्डिया दैट इज भारत" के स्थान पर "भारत दैट इज इण्डिया" रखने हेतु संविधान में आवश्यक संशोधन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं।)

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने का प्रयास करने पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों का तेजी से थपथपाना जारी रहा जिससे उनकी बात नहीं सुनी जा सकी।)

श्री अध्यक्ष-

सदस्यगण, कृपया शान्त हो जायें, बहुत हो गया।

(लेकिन माननीय सदस्य मेजें थपथपाते रहे।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[×××]

(मेजों के थपथपाये जाने के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया।)

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं लिखा जाएगा। माननीय सदस्य कृपया शान्ति स्थापित करें।

(इस बीच श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

जब लिखा ही नहीं जा रहा है तो क्यों बोल रहे हैं।

नोट :- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(मेजों की थपथपाहट शान्त होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी सदन में एक मामला आया था और एक नोटिस इसलिए खारिज हो गया क्योंकि उसमें हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए हुए थे।

यह आपके पीठ से व्यवस्था हुई थी, मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो पूर्व मुख्य मंत्री थीं, जो यहां पर बैठती थीं उनके किसी भी पत्रावली में अंग्रेजी भाषा के अलावा दस्तखत नहीं है यह निन्दनीय है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी आप बैठ जायें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। माननीय मौर्या जी जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

(व्यवधान जारी रहा)

नियम-311 एवं नियम-300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं संशोधित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

मैं अगली सूचना जो कि श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की है, को ले रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अति संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय श्री श्याम देव राय चौधरी जी ने भी इस घटना का जिक्र किया है। लखनऊ में कैन्ट थाने में यह घटना घटी। एक ट्रक में 38 मवेशी पकड़े गये थे।

(व्यवधान)

मान्यवर, पहले सदन को तो व्यवस्थित करायें।

श्री अध्यक्ष-

आप दो मिनट में अपनी बात कहें। इस पर पहले ही माननीय नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं। अब आपको और क्या नया कहना है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं एक नयी बात कह रहा हूं। मान्यवर, लखनऊ थाना माल में एक ट्रक पकड़ी गयी और उसमें अनेकों गाय और भैंस मरे हुए पकड़े गये। मान्यवर, मेरा यह आरोप है कि यह जो गो-हत्याएं हो रही हैं यह एक षडयंत्र के तहत हो रही हैं और कानून व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए हो रही है। प्रदेश में दंगा कराने के लिए यह हो रही है। मान्यवर, इटावा क्षेत्र औरैया के पास भी एक ट्रक में कई क्वींटल गौ मांस पकड़ा गया जिसका संज्ञान तत्कालीन गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राधे श्याम गुप्ता ने लिया था इसी बात पर उन्हें हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

जो आपने सूचना दी है उसमें इसका कहीं कोई नाम नहीं है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मेरा इतना निवेदन है कि यह जो गो-हत्याएं हो रही हैं यह पूरे प्रदेश स्तर पर हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। मैं तीसरी सूचना ले रहा हूं। तीसरी सूचना श्री मिथिलेश कुमार की जनपद शाहजहांपुर में श्री राम किशोर की पुलिस द्वारा की गयी पिटाई से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में है। इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं।

अगली सूचना श्री राम प्रकाश त्रिपाठी की जनपद कन्नौज के भाजपा कार्यकर्ता श्री नीरज मिश्र की हत्या से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

अगली सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया, गाजीपुर तथा वाराणसी में फर्जी बी0 एड0 प्रमाण-पत्र के आधार पर विशिष्ट बी0 टी0 सी0 में हुई नियुक्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं, इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

अगली सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के अन्तर्गत रम्पुरा-सिरौली मार्ग का नवीनीकरण व चौड़ीकरण की कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

अगली सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में शारदा नदी के कटान के कारण हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि नदी में समाहित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

अगली सूचना श्री रामहेत की जनपद सीतापुर की तहसील सदर में चकबन्दी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही अनियमितताओं के संबंध में है, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

अगली सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में चिकित्सा सुविधा मानक के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने एवं पोस्ट ग्रेज्युएट कोर्स शुरू कराये जाने के संबंध में हैं, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

अगली सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा की जनपद लखीमपुर में ग्राम प्रधानों द्वारा प्रस्तावित भूमि का आवंटन न कर तहसीलदार द्वारा अनियमित कार्य किये जाने के संबंध में हैं, इस पर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुईं अतः अस्वीकृत हुईं, उनके नाम निम्न हैं- श्री सुखदेव राजभर, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री कपिलदेव यादव, श्री जयराम विमल, श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री रमेश चन्द्र बिन्द, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री प्रागीलाल अहिरवार, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना।

उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित जनपद हरिद्वार तथा ऊधम सिंह नगर को जन आकांक्षाओं के दृष्टिगत उत्तरांचल राज्य से पृथक करके उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ववत् सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब हम मद संख्या-22 ले रहे हैं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से .....

(विपक्ष के अनेक सदस्य इसका विरोध करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

देखिये तीन बज गये हैं, अभी तमाम काम है, आप लोग बैठ जायें।

(व्यवधान)

जनपद हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर को पुनः उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, मद संख्या-22 अध्यक्ष जी आप देखें, इसमें केन्द्र सरकार से संस्तुति की गई है कि उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण हिस्से को इसकी भौगोलिक स्थिति, धार्मिक व सांस्कृतिक जुड़ाव, आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं एवं हरिद्वार के निवासियों की जन आकांक्षाओं के दृष्टिगत उत्तरांचल राज्य से पृथक करते हुये पुनः उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ववत् सम्मिलित कर दिया जाय। मान्यवर, यह सरकार का प्रस्ताव है मैं इस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोलना चाहता, मैं केवल एक संवैधानिक बिन्दु पर बोलना चाह रहा हूं, यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अगले माह सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई की तिथि लगी हुई है। क्या वह मामला जो पहले से न्यायालय में विचाराधीन हो तो क्या सदन में उस पर वाद-विवाद से हल निकाला जा सकता है ? मैं उदाहरण स्वरूप पूर्व में हुये फैसले का जिक्र करता हूँ, उत्तर प्रदेश विधान सभा के कार्यकाल का स्रोत है, 06 फरवरी, 95 को माननीय प्रमोद कुमार जी एक प्रस्ताव लाये थे उस पर आज के सत्ताधारी दल के एक माननीय सदस्य श्री धनीराम वर्मा जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो उस पर निर्णय में कहा गया था कि "मैं नेता प्रतिपक्ष और अन्य माननीय सदस्यों से अनुरोध अवश्य करना चाहूंगा कि इस सदन की परम्परा के अनुसार जो मामला न्यायालय में विचाराधीन हो उस पर हम कोई ऐसा कमेण्ट न करें, जिससे उसके निर्णय पर कोई असर पड़े" इसी तरह बागपत काण्ड की जब चर्चा हुई थी तो माननीय कांशी राम जी ने कहा था कि बागपत के मामले में न्यायिक जाँच बैठाई जा चुकी है तो आगे यह चर्चा उचित नहीं हे, इसलिये मान्यवर, मेरा निवेदन है कि वह तो मामला जाँच आयोग का था लेकिन यह मामला तो सर्वोच्च न्यायलय में विचाराधीन है। सदन में हम सबको पक्ष-विपक्ष में बोलने का अधिकार है, लेकिन इसके बाद भी जब सदन की परम्परा रही है और सदन की पीठ से पूर्व में ऐसी व्यवस्था है कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, उस पर सदन विचार नहीं कर सकता है, तो ऐसा करना उचित नहीं कहा जा सकता है, जबकि प्रदेश के सामने चर्चा के लिये सूखा, बिजली, कानून-व्यवस्था, भुखमरी और आत्महत्याओं सहित बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। ऐसी क्या जल्दी है जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मान्यवर, अभी हाल में ही पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह को पंजाब-हरियाणा पानी के बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि पहले आप इस पर कृपापूर्ण व्यवस्था दे दें, तब प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली के नियम-105 और नियम 105(7) को आप देखें। इसमें उल्लेख है कि आप ऐसे किसी मामले पर प्रस्ताव नहीं कर पायेंगे जो न्यायालय में विचाराधीन हो। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसे किसी मामले को आप सदन में नहीं ला सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है आज की कार्यसूची का तारांकित प्रश्न संख्या-5 देखने का कष्ट करें। लिखा है माननीय उच्च न्यायलय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त। यह सरकार का ही निर्णय है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न प्रहर कब का खत्म हो चुका है। अब आप बैठें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो सवाल उठाया है, मान्यवर, यह माननीय सदन सर्वोच्च है। यह हरिद्वार और रुद्रपुर दोनों का मामला है। आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। मान्यवर, एक बात आपने मान ली है कि सदन सर्वोच्च है और यह नियमों से भी ऊपर है। इसमें सदन का कोई फैसला नहीं दिया जा रहा है। यह सदन का प्रस्ताव है, सदन अपना मत प्रेषित कर रहा है सर्वसम्मति से पास करके भेजना चाहता है संसद के लिये। क्योंकि यह एक संसदीय प्रक्रिया है विधान सभा के बाद यह लोक सभा में पास होने के लिये जायेगा। लोक सभा सबसे ऊंची संस्था है सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है। अगर यह वहां से पास होकर कानून बन जाता है तो वह सबके लिये बाध्यता है। यह विधान और नियमों के विपरीत नहीं है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही कि हमें टेढ़े-मेढ़े नहीं चलना चाहिये सीधे-सीधे चलना चाहिए। अगर आपको इसका विरोध करना है तो टेढ़े मेढ़े न करके सीधे-सीधे करिये। भारत का नाम इंडिया होना बी0 एस0 पी0 ने नहीं चाहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हमने इंडिया का विरोध नहीं किया लेकिन जो साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किंग जार्ज मेडिकल कालेज कर दिया गया है हमें उस पर आपत्ति है। (व्यवधान)

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मुझे घोर आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष-

आप कार्य-मंत्रणा समिति में सदस्य है, उसमें प्रस्ताव आया था आपने स्वीकार कर लिया था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरी घोर आपत्ति है। इनको खामोश करिये।

श्री अध्यक्ष-

हम देख लेंगे जो भी असंसदीय होगा वह निकाल देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिस अपमानजनक ढंग से डांट कर कहा है उस पर घोर आपत्ति है। माननीय सदस्य को तमीज सिखाइये केवल शब्दों की ही नहीं बोलने की भी तमीज सिखाइये, उच्चारण की भी तमीज सिखाइये।

(श्री दद्दू प्रसाद के कुछ बोलने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, कुछ भी नहीं लिखा जायेगा, दद्दू प्रसाद जी, कुछ भी नहीं लिखा जायेगा, कोई बात नहीं लिखी जायेगी। जो असंसदीय बात होगी वह निकाल दी जायेगी।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

अभी व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने और दूसरे अन्य माननीय सदस्यों ने कोई बात रखी है। आप नियमावली का नियम 314 देखें।

किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

आपने जब कार्यसूची में इसको शामिल किये जाने का प्रस्ताव रखा तो न सिर्फ इस विनिश्चय पर आपकी अनुज्ञा हो गयी बल्कि जब उस प्रस्ताव को पूरे सदन ने स्वीकार किया तो पूरे सदन की अनुज्ञा हो गयी इसीलिये इस प्रश्न पर, जिस पर पूरे सदन की अनुज्ञा हो चुकी है बाद में आपत्ति उठाये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री दद्दू प्रसाद-

आप सुनें, आपत्ति क्या है ? (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण हिस्से को इसकी भौगोलिक स्थिति धार्मिक व संस्कृतिक जुड़ाव ...

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था देने दीजिये।

माननीय बाजपेयी जी यह कार्यसूची में विषय आया कार्यमंत्रणा समिति में इस पर विचार हुआ और जो माननीय सदस्य कार्य-मंत्रणा समिति में होते हैं उनका वहां पूरा अधिकार रहता है और आप खुद कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्य हैं। आपने स्वयं स्वीकार किया कि विधान सभा सर्वोच्च है, अब आप समझ गये होंगे विधान सभा सर्वोच्च है और यह कोई न्यायालय के फैसले के संदर्भ में कोई बात नहीं करने जा रहे हैं, न कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, यह केवल अपनी संस्तुति पार्लियामेन्ट को भेज रहे हैं यह पार्लियामेन्ट पर है कि क्या करें क्या न करें, इस पर न्यायालय से क्या मतलब ?

मैंने व्यवस्था दे दी, अब आप संकल्प रखें।

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, कभी-कभी परम्पराओं को एकदम से नहीं तोड़ देना चाहिये। जब यह परम्परा रही है तो इस पर पुनः विचार किया जा सकता है कमेटी में यह नियमों में प्राविधान है इसको देखें बैठकर विचार कर लें, तब इसको लायें। ऐसे प्रस्ताव पास करने से बाहर मजाक उड़ेगा और लोग समझेंगे कि यहां पर बैठे हुये लोगों को नियमों और परम्पराओं का ज्ञान ही नहीं। मैं नेता सदन से अनुरोध करता हूं कि इसमें कोई जल्दी की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं हैं कि तत्काल हो जाय नहीं तो सारे नियमों को शिथिल करके भी मान लेते। इसको तो आप किसी और दिन भी कर सकते हैं तो इसको आज क्यों नियमों का हनन करके किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह-

अभी तो सदन की अनुज्ञा की स्टेज ही नहीं आई, खाली कार्य-सूची में है। हम आपको नियमों का हवाला दे रहे हैं नियम-314 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, उसके बाद भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो फिर यह नियमावली बेकार हो गयी। नियमावली में सारे प्राविधान हैं। या तो आप नियमों को शिथिल करके प्रस्ताव दीजिये, लेकिन वह प्रस्ताव तो आया नहीं और जबरदस्ती हो रही है। बहुमत में आप बैठे हैं, इसलिये नियमावली को भी नहीं मानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लम्बित है, उसका भी कुछ नहीं है, मैंने आपके सामने प्रस्ताव यह रखा था कि इस प्रकारण पर विचार नहीं हो सकता, उसके बारे में जो भी व्यवस्था आपको देनी थी तो कह देते कि यह लागू नहीं हो सकता।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

हुकुम सिंह जी, आप तो संसदीय कार्य-मंत्री रहे हैं। बड़ा अनर्थ किये हैं, हमारे साथ। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर दिल देखा जा सकता तो मैं दिखाता कि आपने कितने जुल्म किये हैं।

श्री हुकुम सिंह-

वह दिल तो आप कहीं और छोड़ आये हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अगर हमने कहीं गलती की होगी तो हम यहां आ गये हैं, लेकिन आप तो ऐसा न करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

हुकुम सिंह जी की बात सही है, लेकिन यह बात उससे भी ज्यादा सही है। कल कार्य-मंत्रणा समिति में बात हो चुकी है, यह मामला कल भी अदालत में था, 2-4 दिन पहले भी था और 1-2 साल पहले भी था, शायद उस वक्त आपकी हिकमत नहीं रही होगी, उस वक्त याद दिलाने की नहीं रही होगी, आज आप सदन में याद दिला रहे हैं। मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति में इस पर बात हो चुकी है, और आज कार्य-सूची में है, अगर कार्य-सूची की इस मद को इस बिना पर कम कर सकते हैं तो अनुदान की मांगों को भी कम कर दीजिये, अगर यही परिपाटी हो जायेगी तो फिर कैसे होगा ? मान्यवर, आपका निर्देश अब हो चुका है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी, किसी मद को लेने के पहले किसी भी सदस्य को उस पर आपत्ति का अधिकार है। मानना न मानना पीठ का अधिकार है। आपने आपत्ति की है, वह अलग बात है। इस पर मैंने आपको तथा संसदीय कार्य-मंत्री जी को सुना, आपने स्वयं स्वीकार किया कि सदन सर्वोच्च है। हुकुम सिंह जी ने नियम-314 का हवाला दिया। लेकिन चूंकि अब ले लिया गया है, इसलिये अब इसे प्रस्तुत करने दीजिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नियम-105 (7) का क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपने खुद कहा कि सदन सर्वोच्च है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं "कि यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित जनपद हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर के सम्पूर्ण हिस्से को इसकी भौगोलिक स्थिति, धार्मिक व सांस्कृतिक जुड़ाव, आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं एवं हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर के निवासियों की जन आकांक्षाओं के दृष्टिगत उत्तरांचल राज्य से पृथक करते हुये पुनः उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ववत् सम्मिलित कर दिया जाय।"

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, यह कोई सदन चलाने का तरीका नहीं है। नियमों के बारे में बहस हो रही है, उसके ऊपर आपकी व्यवस्था आनी है। व्यवस्था के पहले ही प्रस्ताव पेश हुआ जा रहा है। मैं माननीय नेता सदन से कह रहा हूं कि यह कोई आवश्यक, अर्जेन्ट मसला नहीं है। आप इस पर बैठ कर विचार कर लें लेकिन अभी ही यह प्रस्ताव आ गया भारत के संविधान में संशोधन का, अब यह एक दूसरे संशोधन का, ऐसे मसलों पर सदन की गरिमा के अनुरूप काम होना चाहिये। वर्ना हम लोगों की क्या साख बनेगी ?

अगर आपने फैसला कर दिया है कि प्रतिपक्ष की बात नहीं सुननी है तो हम जाते हैं।

(नेता विरोधी दल श्री लालजी टण्डन अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी-

जब ऐसे सवालों का सामना करने में कठिनाई हो तब राजनीति करने वालों को पलायन नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

नियम-105 का सातवां देखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसे देखने की अब जरूरत नहीं है, मैं अपने विचार रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री जी मेरा अनुरोध है कि आप और नेता प्रतिपक्ष दो मिनट के लिए मेरे कक्ष में आ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष को बुलवा लिया जाए।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं केवल आपका ध्यान एक बिन्दु की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इस मामले पर हरिद्वार की जनता से जनमत ले लिया जाता तो अच्छा होता।

श्री अम्बिका चौधरी-

लोक सभा के चुनाव में जनमत मिल गया है।

(इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अरविन्द गिरि पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004

लोक निर्माण, कृषि, विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा जो विधेयक लाया गया है। मान्यवर, इस प्रदेश में लोक निर्माण विभाग और हमारा सेतु निगम तथा तमाम ऐसे विभाग बड़ी-बड़ी सड़कों और पुलों का निर्माण करते थे.....

उनका अनुरक्षण, उनकी व्यवस्थायें लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती थीं। जो हमारा सेतु निगम है, निर्माण निगम है, ये बड़े-बड़े पुलों का निर्माण करते थे उनकी गुणवत्ता और अनुरक्षण में कभी कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन आज मान्यवर, इस विधेयक के लाने के बाद पूरे प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने आन्दोलन शुरू किया, जगह-जगह धरने-प्रदर्शन शुरू हुए और लोगों ने इसका विरोध किया कि हमारे ऊपर विश्वास न करके आज इस तरह का प्राधिकरण बनाने का कोई औचित्य नहीं है और लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम और निर्माण निगम के कर्मचारियों ने विगत महीनों में लम्बा आन्दोलन किया। आज मंत्री जी साफ तौर पर बता दें कि हम अच्छी सड़कें बनाने के लिए, राजमार्गों या सम्पर्क मार्गों को सुन्दर बनाने के लिए, उनकी गुणवत्ता अच्छी करने के लिए और विकास कार्यों में गति लाने के लिए हम यह प्राधिकरण बना रहे हैं। इससे साबित होता है कि चाहे निर्माण निगम, सेतु निगम या लोक निर्माण विभाग द्वारा जो कार्य किये जाते हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर कहीं न कहीं सन्देह रहा है।*

मैंने इस विधेयक को पूरी तरह से देखा है। इसमें 53 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था का प्राविधान किया जाना बताया गया है। अगर आप देखें तो अनुरक्षण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को बजट आवंटित नहीं किया गया। पूरी सड़कें टूट गयी हैं, अनुरक्षण का काम नहीं हुआ। राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए धन देना चाहिए था वह नहीं दिया गया। मेरा सीधा आरोप है कि लोक निर्माण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग, सेतु निगम और निर्माण निगम को आइसुलेट करने के लिए यह उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 लाया गया है। इस विधेयक में आपने यह भी कहा है कि इसको संस्थागत संस्थाओं को भी दिया जा सकता है। जहां आप आज 53 करोड़ रुपये की व्यवस्था कान्सॉलीडेटेड फण्ड से कर रहे हैं अगर यही धन लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम को दे दिये होते तो निश्चित रूप से गुणवत्ता में कोई कमी न होती। लोक निर्माण विभाग को अनुरक्षण कार्यों के लिए और सड़कों की मरम्मत के लिए कोई धनराशि नहीं दी गयी और विभाग ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसकी अनदेखी की गयी। इससे यह पूरा परिलक्षित हो रहा है कि इन राजमार्गों का निजीकरण कर दिया जायेगा, निजी संस्थाओं को दे दिया जायेगा। राजमार्ग प्राधिकरण को बनाकर एक साजिश चल रही है। एक तरफ अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता और अवर अभियन्ता के तमाम पद हैं दूसरी तरफ नये पदों का सृजन मंत्री जी करने जा रहे हैं इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य पदों का सृजन किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग में जहां वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध हैं तो अलग से पद सृजन का क्या मतलब है ? एक तरफ आप रोना रो रहे हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है, प्रदेश में आर्थिक संकट है और आर्थिक संसाधन जुटाने की जरूरत है, और तमाम कार्य योजनायें ठप्प होती जा रही हैं, वित्तीय संकट से कई घोषणायें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वित्तीय संकट है। क्या वित्तीय संकट को देखते हुए लोक निर्माण विभाग, निर्माण निगम और सेतु निगम जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तब अलग से पद क्यों सृजित किये जा रहे हैं ? आज इन विभागों के कर्मचारी आन्दोलनरत हैं। राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक में निजी और संस्थागत संस्थाओं का उल्लेख किया गया है ताकि जरूरत पड़े तो उन्हें कार्य दिया जा सके। मेरा निवेदन है कि अगर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को बहुत चिन्ता रोडों को बनाने और उनका अनुरक्षण करने की है तो एक बार फिर विचार कर लें। आपके मातहत जो कर्मचारी हैं, अधीक्षण अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियन्ता तक उनकी भावनाओं का आदर करें और अलग से राजमार्ग प्राधिकरण बनाने की क्या जरूरत है ?

मान्यवर, आपके पास अवर अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता हैं तो उन पर आप विश्वास कीजिए और उनको काम दीजिए। प्राधिकरण बनाकर इन महत्वपूर्ण पदों का क्यों सृजन कर रहे हैं ? जो कर्मचारी आन्दोलित हैं जिनका आप पर से विश्वास हट रहा है उनको आप काम दीजिए। आप प्राधिकरण बनाकर 53-54 करोड़ रुपये कन्सालिडेटेड फण्ड से व्यवस्था कर रहे हैं जो उचित नहीं है। जो आपकी कार्यदायी संस्थाएं लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, निर्माण निगम पहले से कार्यरत हैं जिनको कार्यों का अच्छा अनुभव है उनसे सड़कों का अनुरक्षण और सौन्दर्यीकरण करायें।

हमारे प्रान्तीय डिवीजन से प्रस्ताव आया है कि हमें पैसा दीजिए लेकिन आपने उनको पैसा नहीं दिया है। आप प्राधिकरण बना रहे हैं उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए देश-विदेश जायेंगे तो प्राधिकरण न बनाकर पैसा इकट्ठा करके पहले से जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको पैसा दें और उनसे काम लें। क्या लोक निर्माण विभाग पर आपका विश्वास नहीं रह गया है ? क्या उनके कार्यों की गुणवत्ता पर आपको विश्वास नहीं रह गया है ? जिस तरह से आप प्राधिकरण बना रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आपका मकसद निजीकरण का है जिस तरह से गन्ना मिलों के निजीकरण की कोशिश की गयी उसी तरह से सड़कों को भी निजी संस्थाओं को आगे चलकर आप देने जा रहे हैं। आप प्राधिकरण बनाकर 54 करोड़ रुपये उसको आवंटित करके लूट का अड्डा उसे बनाने जा रहे हैं। इस प्राधिकरण के माध्यम से उस पैसे का दुरुपयोग होगा और निजी संस्थाओं और पूंजीपतियों के हाथों में

यह सड़कें चली जायेंगी इसलिए मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं ? इस सदन की एक प्रवर समिति बना दी जाय उसमें सभी दलों के सदस्य होंगे। समिति में सभी बातों पर विचार-विमर्श होगा और उसके बाद महीने दो महीने में आप प्राधिकरण बनायें या कोई और व्यवस्था करें तो ज्यादा अच्छा होगा ? प्रवर समिति में व्यापक रूप से विचार-विमर्श हो जायेगा, परीक्षण हो जायेगा कि इस प्राधिकरण का कोई औचित्य है कि नहीं, इसलिए आप इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दें और जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं उसको पहले से मौजूद कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको दें, और उन पर विश्वास करें। इस प्राधिकरण को बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जनभावनाओं को देखते हुए इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दें, वहां पर परीक्षण हो जाय और उसके बाद इसको पास करें। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर चीज के लिए आप कोई प्राधिकरण गठित न करें।

अभी जो प्राधिकरण चल रहे हैं उनके बारे में रोज शिकायतें आ रही हैं कि लूट पाट हो रही है। चाहे एल0 डी0 ए0 हो या और कोई प्राधिकरण भूमि आवंटन से लेकर अवैध कब्जों की रोज शिकायतें आ रही हैं ? कार्यदायी संस्थाओं के काम पर विश्वास करना पड़ेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए वहां इसका पूरी तरह से परीक्षण हो जाए उसके बाद इसको लाइए। मेरा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अधिष्ठाता महोदय, आज जो राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का जो प्रस्ताव मैंने पास करने के लिए प्रस्तुत किया है और उस पर अभी श्री सुखदेव राजभर जी के विचार आए मैं उनको बताना चाहता हूं, कि अभी उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं हैं कि अनुरक्षण के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया इस वर्ष जितनी भी रोडें हैं स्टेट हाइवे में हैं उनके अनुरक्षण के लिए 326 करोड़ रुपया दिया गया है, और काम तेजी से चालू है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दो महीने के अन्दर घटिया रोडें नहीं मिलेंगी। अभी तक इतनी घटिया रोडें थीं जिन पर आप चल रहे थे। कोई भी पदों का सृजन नहीं किया जा रहा है एक भी पद का सृजन नहीं किया जाएगा। सबको डेपुटेशन पर लिया जाएगा। यह राज्य राजमार्ग प्राधिकरण एक प्रशासनिक संस्था होगी। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्य मंत्री जी होंगे इसके सदस्य वित्त मंत्री और नियोजन मंत्री होंगे और यह ऐसी संस्था होगी जो आपने निजीकरण की चिन्ता प्रकट की है आपको पता होना चाहिए। देश में जितने राज्य मार्गों का विकास इसमें हुआ है किसी का भी अभी तक निजीकरण नहीं हुआ। नेशनल हाईवे जितने भी बने हैं, एक का भी निजीकरण हुआ नहीं है। आपको पता होना चाहिये मद्रास से पाण्डिचेरी विकास प्राधिकरण की ही देन है। इतना बढ़िया स्टेट हाईवे बना है और भी दूसरे प्रदेशों में भी बने हैं। मैं इसलिये बताना चाहता हूं कि हम लोग जो निर्णय कर रहे हैं, या सरकार जो निर्णय ले रही है कि इस प्रदेश में भी ऐसी सड़कें बनेंगी जैसी आपने अभी तक देखी नहीं होगी और न सोची होगी। आपने हमेशा जो काम किये थे, आपकी सरकार में कितना कमीशन लिया जा रहा था। बजट का आधा भी पैसा सड़कों पर नहीं लग रहा था। जिनकी जेब में जा रहा था ? आपके मंत्रियों, मुख्य मंत्री की जेब में जा रहा था और बाकी बचा हुआ ठेकेदारों की जेब में जा रहा था हमने ऐसा निर्णय लिया है कि जितना भी पैसा होगा, जितने भी संसाधन हम जुटायेंगे उनका शत प्रतिशत रोडों पर लगेगा, और रोडें बनेंगी। (मेजें थपथपाई गईं) इसलिये सुखदेव जी और अन्य सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि यह जो प्राधिकरण बनाया है, जिसमें माननीय मुख्य मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। नियोजन मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। इसमें

वित्त सचिव, नियोजन सचिव और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव भी होंगे। इस निधि में जितना भी पैसा होगा और जिसको हम अपने संसाधनों से जुटायेंगे इसमें लगायेंगे।

इस प्राधिकरण का कोई भी भार सरकार के ऊपर नहीं होगा इसलिये हमने यह राज्य प्राधिकरण का आज जो प्रस्ताव रखा है, जो प्राधिकरण हमने बनाया है और जो भी पैसा इस निधि में होगा उसका निरीक्षण महालेखा परीक्षक करेंगे। जितना भी आय-व्यय इसमें होगा वह सब सदन के पटल पर रखा जायेगा। इसलिये मेरा आप सब लोगों से यह अनुरोध है कि आप अपने संशोधन को कृपया प्रदेश के हित में, जनता के हित में सड़कें अच्छी बने इस नाते वापस ले लें।

(इस समय 3 बजकर 32 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस प्राधिकरण के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में जो स्टेट हाईवे बनी है उससे भी अच्छी सड़कें हम प्रदेश में बनायेंगे। (मेजें थपथपाई गईं) मुझे उम्मीद है कि आप इसको वापस ले लेंगे और सर्व सम्मति से इसको पारित कराने में सहयोग देंगे।

श्री अध्यक्ष-

सुखदेव जी क्या आप संशोधन प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004

राज्य राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबन्ध के लिये एक राज्य प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह 21 जून, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2-इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो- परिभाषाएं

(क) "प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण से है ;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है ;

(ग) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से है ;

(घ) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित प्राधिकरण के शासी परिषद् से है ;

(ङ) "समिति" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से है ;

(च) "कर्मचारी" का तात्पर्य प्राधिकरण के पूर्णकालिक या प्राधिकरण द्वारा यथाविनिश्चत अवधि के लिये सेवारत व्यक्ति से है ;

(छ) "राज्य राजमार्ग" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा तत्समय राज्य राजमार्ग जिसके अन्तर्गत उस पर के पुल भी हैं के रूप में घोषित किसी राजमार्ग से है।

अध्याय-2

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

3-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, एक प्राधिकरण की स्थापना की जायगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण कहा जायेगा। प्राधिकरण की स्थापना

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-4

4-शासी परिषद् प्राधिकरण की उच्चतम नीति निर्माता निकाय होगी और उसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा की जायेगी। परिषद् के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :- शासी परिषद्

(क) मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	उपाध्यक्ष
(ख) मंत्री, वित्त, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(ग) मंत्री, नियोजन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(घ) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(ङ) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश	सदस्य

(च) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(छ) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(ज) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(झ) दो विशेषज्ञ जो शासी परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे	विशेषज्ञ-सदस्य
(ञ) प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य संयोजक

श्री अधिष्ठाता-

राजभर जी खण्ड-4 में संशोधन प्रस्तुत कीजिये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि :-

1-खण्ड-4

खण्ड 4 में मद (घ) के स्थान पर निम्नलिखित मद (घ) रख दी जाय एवं वर्तमान मद (घ) से (ञ) को तद्नुसार मद (ङ) से (ट) के रूप में पुनः अंकित कर दिया जाय :-

(घ) विधान सभा के दस एवं विधान परिषद् के पांच सदस्यगण जो दोनों सदनों द्वारा उसके सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में मद (घ) के स्थान पर निम्नलिखित मद (घ) रख दी जाय एवं वर्तमान मद (घ) से (ञ) को तद्नुसार मद (ङ) से (ट) के रूप में पुनः अंकित कर दिया जाय :-

(घ) विधान सभा के दस एवं विधान परिषद् के पांच सदस्यगण जो दोनों सदनों द्वारा उसके सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-5 से खण्ड-13 तक

शासी परिषद् के सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

5-(1) विशेषज्ञ से भिन्न शासी परिषद् के सभी सदस्य पदेन सदस्य होंगे।

(2) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों को, जिनमें से एक अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन या बैंकिंग के क्षेत्र का, और दूसरा सिविल (अधिमानतः, सड़क) निर्माण के क्षेत्र का, होगा, परिषद् द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

6- कोई व्यक्ति शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह- शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता

(क) ऐसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है; या

(ख) अनुमन्मोचित दीवालिया है; या

(ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या

(घ) सरकार की या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है; या

(ङ) राज्य सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है, जिसका शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में उसके द्वारा कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

7-(1) शासी परिषद् के अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होंगे और उन अधिवेशनों में किये जाने वाले कार्य के बारे में, जिसके अन्तर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाएं। शासी परिषद् के अधिवेशन

(2) यदि किसी कारण से अध्यक्ष शासी परिषद् के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो, उपाध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्न जो प्राधिकरण के किसी अधिवेशन के समक्ष आएं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जायेंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का, अथवा उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का, दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

8-शासी परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी, कि- शासी परिषद् में रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

(क) शासी परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) शासी परिषद् द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

9-एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसका प्रधान मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। यह समिति शासी परिषद् को रिपोर्ट देगी और वह ऐसे कृत्यों के प्रति उत्तरदायी होगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो शासी परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायं। कार्यकारिणी समिति

कार्यकारिणी समिति का गठन

10-कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी	अध्यक्ष
(ख) सदस्य (वित्त)	सदस्य
(ग) सदस्य (प्राविधिक)	सदस्य
(घ) सदस्य (प्रशासन)	सदस्य

समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें

11- कार्यकारिणी समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सदस्य (वित्त), सदस्य (प्राविधिक) और सदस्य (प्रशासन) प्राधिकरण के पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे और उनकी नियुक्ति की रीति तथा उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय।

प्राधिकरण के अधिकारियों, परामर्शदाताओं और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

12-(1) अपने कृत्यों का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण उतनी संख्या जैसा वह आवश्यक समझे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों जैसा विनियमों में अधिकथित किया जाय नियुक्त करेगा।

(2) प्राधिकरण समय-समय पर, किसी ऐसे व्यक्ति को सलाहकार या परामर्शदाता रूप में, जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे निबन्धनों और शर्तों जैसा विनियमों में अधिकथित किये जाय, नियुक्त कर सकेगा।

प्राधिकरण का कारबार के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना

13-इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य के निर्वहन में प्राधिकरण, जहां तक हो सके, कारबार के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 से खण्ड-13 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-14

अध्याय-3

सम्पत्ति और संविदा

प्राधिकरण में कोई भी राज्य राजमार्ग निहित करने या उसे सौंपने की राज्य सरकार की शक्ति

14-राज्य सरकार, समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग को, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकरण में निहित कर सकेगी या उसे सौंप सकेगी।

श्री अध्यक्ष-

श्री सुखदेव राजभर जी खण्ड-14 में अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री सुखदेव राजभर-

खण्ड-14 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड मे रख दिया जाय:-

'राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य मार्ग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे ग्रामीण मार्ग जो कई ग्रामों को जोड़ते हों प्रमुख मार्ग से और जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्राधिकरण में निहित कर सकेगी या उसे सौंप सकेगी।'

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-14 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :-

'राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य मार्ग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे ग्रामीण मार्ग जो कई ग्रामों को जोड़ते हों प्रमुख मार्ग से और जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्राधिकरण में निहित कर सकेगी या उसे सौंप सकेगी ?'

श्री अध्यक्ष-

श्री सुखदेव राजभर जी खण्ड-14 में अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री सुखदेव राजभर-

खण्ड-14 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड में रख दिया जाय :-

'राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य मार्ग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे ग्रामीण मार्ग जो कई ग्रामों को जोड़ते हों प्रमुख मार्ग से और जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्राधिकरण में निहित कर सकेगी या उसे सौंप सकेगी।'

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-14 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :-

'राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य मार्ग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे ग्रामीण मार्ग जो कई ग्रामों को जोड़ते हों प्रमुख मार्ग से और जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्राधिकरण में निहित कर सकेगी या उसे सौंप सकेगी ?'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-14 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-15 से खण्ड-38

राज्य सरकार की आस्तियों और दायित्वों का प्राधिकरण को अन्तरण

15-(1) धारा-14 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक को और से-

(क) ऐसे दिन से ठीक पहले, उस धारा के अधीन प्राधिकरण में निहित या उसे सौंपे गए किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए या उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और बातें प्राधिकरण के द्वारा, उसके

साथ या उसके लिए उपगत की गई या किए जाने के वचनबद्ध समझी जाएंगी;

(ख) प्राधिकरण में इस प्रकार निहित या उसे सौंपे गए किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए या उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा या उसके लिए उस दिनांक तक उपगत और पूंजीगत व्यय के रूप में घोषित सभी अनावर्ती व्यय ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध करायी गयी पूंजी मानी जाएंगी;

(ग) प्राधिकरण में इस प्रकार निहित या उसे सौंपे गए किसी राज्य राजमार्ग या उसके भाग के सम्बन्ध में उस दिनांक से ठीक पहले राज्य सरकार को देय सभी राशियां प्राधिकरण को देय समझी जायेंगी;

(घ) ऐसे सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में किसी मामले की बाबत उस दिनांक से ठीक पहले राज्य सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गयी हो, या संस्थित की जा सकती थी, प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी या संस्थित की जा सकें;

(2) यदि कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है कि राज्य सरकार की आस्तियों, अधिकारों या दायित्वों में से कौन से प्राधिकरण को अन्तरित कर दिये गए हैं, तो ऐसे विवाद का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण के लिए भूमि का अर्जन

16-इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित कोई भूमि, लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जायेगी और प्राधिकरण के लिए ऐसी भूमि का अर्जन, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन किया जा सकेगा।

प्राधिकरण द्वारा संविदाएं

17-धारा-18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कोई संविदा करने और उसे सम्पादित करने के लिए सक्षम होगा।

18-(1) प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक संविदा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा या उसके ऐसे अन्य सदस्य द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे प्राधिकरण इस निमित्त साधारण या विशिष्टतया सशक्त करे और ऐसी संविदाएं या ऐसे वर्ग की संविदाएं जैसी विनियमों में निर्दिष्ट की जाएं, प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित की जाएंगी;

परन्तु अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिए कोई संविदा तब तक नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार द्वारा उसका पूर्वानुमोदन न कर दिया गया हो :-

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी संविदा का प्रारूप और रीति ऐसी होगी, जैसी विनियमों द्वारा अधिकथित की जाए।

(3) कोई भी संविदा जो इस अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार नहीं है, प्राधिकरण पर आबद्धकर नहीं होगी।

अध्याय-4

प्राधिकरण के कृत्य

प्राधिकरण के कृत्य

19-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण का यह कृत्य होगा कि वह राज्य राजमार्गों तथा राज्य सरकार द्वारा उसमें निहित किए गए या उसे सौंपे गये अन्य किसी राज्यमार्ग का सम्निर्माण, अनुरक्षण और प्रबन्ध इस रीति से करे जिससे कि प्राधिकरण राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए उसकी स्थापना के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर सरकारी निधिकरण से पूर्णतः अनाश्रित हो जाए।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए-

(क) उसमें निहित या उसे सौंपे गये राजमार्गों का सर्वेक्षण, विकास, अनुरक्षण और प्रबन्ध कर सकेगा और उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ,-

(एक) उसे सौंपे गये राज्य राजमार्गों के अनुरक्षण और उन्नयन के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करेगा;

(दो) अनुरक्षण संक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक वैज्ञानिक खड़ंजा प्रबन्ध प्रणाली का विकास करेगा और राज्य राजमार्गों के रूपांकन और निर्माण के लिए मानक निर्धारित करेगा;

(तीन) निजी और संस्थागत निधिकरण को, जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय निधिकरण भी है, सड़क सेक्टर में लाने के लिए प्रतिरूप विकसित करेगा;

(चार) राज्य राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए उच्च कोटि के निजी संविदाकारों द्वारा निष्पादन पर आधारित अनुरक्षण प्रणाली की पद्धति का विकास करेगा;

(पांच) इन राजमार्गों के अनुरक्षण और उन्नयन के लिए संस्थागत संसाधन जुटाएगा;

(छः) इन प्रयोजनों के लिए निजी भागीदारी और संसाधन का प्रोत्साहन करते समय अनुमोदित योजना के अनुसार राजमार्गों का अनुरक्षण और उन्नयन करेगा।

(ख) उसमें निहित या उसे सौंपे गये राजमार्गों के उचित प्रबन्ध के लिए उस पर यानों के चलाए जाने की विनियमित और नियन्त्रित कर सकेगा;

(ग) राज्य में परामर्शदात्री और निर्माण सेवाओं का विकास और व्यवस्था कर सकेगा और राजमार्गों के विकास अनुरक्षण और प्रबन्ध के सम्बन्ध में या उन पर किन्हीं सुविधाओं के सम्बन्ध में अनुसंधान क्रिया-कलाप चला सकेगा;

(घ) उनमें निहित या उसे सौंपे गए राजमार्गों के उपयोगकर्ताओं के लिए ऐसी सुविधाओं और प्रसुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगा, जो प्राधिकरण की राय में ऐसे राजमार्गों पर यातायात के निर्बाध आवागमन के लिए आवश्यक हों;

(ङ) इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित कृत्यों का अधिक दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-1 सन् 1956) के अधीन एक या अधिक कम्पनियां बना सकेगा;

(च) अपने कृत्यों में से किसी कृत्य को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा विहित किया जाय किसी व्यक्ति को सौंप सकेगा या काम पर लगा सकेगा;

(छ) राज्य राजमार्गों से सम्बन्धित विषयों के बारे में राज्य सरकार को सलाह दे सकेगा;

(ज) राज्य सरकार की ओर से फीस ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी उस राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, एकत्रित कर सकेगा;

(झ) ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकरण की प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग या उस पर अधिरोपित किसी कृत्य के निर्वहन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो या उनके आनुषंगिक हों।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह-

(क) प्राधिकरण द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना को प्राधिकृत करती है; या

(ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कर्तव्य या दायित्व की बाबत, जिसके अधीन प्राधिकरण या उसके अधिकारी या अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम के अधीन अन्यथा न हों, कोई कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अध्याय-5

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान और अतिरिक्त पूंजी

20-(1) राज्य सरकार इस निमित्त विधि द्वारा, राज्य विधान मण्डल द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात्-

(क) ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे, ऐसी पूंजी की व्यवस्था कर सकती है, जो प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए या उससे सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाय;

(ख) प्राधिकरण को ऋण या अनुदान स्वरूप ऐसी धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, का भुगतान ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कर सकती है जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे।

21-(1) एक निधि का गठन किया जाएगा जिसे उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण निधि कहा जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जायगा;- प्राधिकरण की निधि

(क) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई कोई अनुदान या सहायता;

(ख) प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण या उसके द्वारा लिया गया कोई उधार;

(ग) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई कोई अन्य राशि।

(2) उक्त निधि का उपयोग निम्नलिखित को पूरा करने के लिए किया जायगा :-

(क) ऐसे अनुदानों, उधारी या ऋणों के प्रयोजनों को, जिनके लिए वे प्राप्त हुए हैं, ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए प्राधिकरण के लिए व्यय;

(ख) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते, अन्य पारिश्रमिक या सुविधाएं;

(ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर और प्रयोजनों के लिए व्यय।

22-प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे समय पर और ऐसे प्रारूप में, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जायेंगे और इसे वह राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा। बजट

23-प्राधिकरण, अपनी निधियों (जिनके अन्तर्गत कोई आरक्षित निधि है) का विनिधान, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में अथवा ऐसी अन्य रीति से, जैसी विहित की जाएं कर सकेगा। निधियों का विनिधान

24-(1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए, राज्य सरकार की सम्मति से या राज्य सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी साधारण या विशेष प्राधिकार के निबन्धनों के अनुसार बन्ध-पत्रों, डिबेंचरों या ऐसी ही अन्य लिखतों का, जैसी वह ठीक समझे, निर्गमन करके, किसी भी स्रोत से धन उधार ले सकेगा।

(2) प्राधिकरण ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी राज्य सरकार, समय-समय पर अधिकथित करे, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित रकम, ओवर ड्राफ्ट के रूप में या अन्यथा अस्थायी रूप से उधार ले सकेगा।

(3) राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा उपधारा (1) के अधीन लिए गये उधारों की बाबत, मूल धन के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय को ऐसी रीति से, जैसी वह ठीक समझे, प्रत्याभूति कर सकेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

25-प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाय, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रिया-कलाप का पूरा ब्यौरा देगा और ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

26-प्राधिकरण का लेखा, राज्य के महालेखाकार के परामर्श से, ऐसी रीति से रखा जाएगा और उसकी लेखा परीक्षा ऐसे की जाएगी जो विहित की जाय तथा प्राधिकरण ऐसे लेखाओं की एक लेखा-परीक्षित प्रति, तत्संबंधी लेखा परिक्षक की रिपोर्ट के साथ ऐसे दिनांक जैसा कि विहित की जाए, से पूर्व राज्य सरकार को भेजेगा।

वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना

27-राज्य सरकार विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र रखवाएगी।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

शक्तियों का प्रत्यायोजन

28-शासी परिषद् साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष या परिषद् की उप समिति या कार्यकारिणी समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायं, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन, जिन्हें वह आवश्यक समझें, कर सकेगा, इसके सिवाय निम्नलिखित कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग केवल परिषद् द्वारा किया जाएगा ;

(क) बाजार या वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालिक निधियों को उधार लेना। इसमें कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक निधियों और ओवर ड्राफ्ट की व्यवस्था सम्मिलित नहीं होगी ;

(ख) ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्त करना, जिनका मूल वेतन नियमावली में यथाविहित किसी धनराशि से अधिक हो।

(ग) प्राधिकरण के कार्य के लिए विनियमों का बनाया जाना और यदि अपेक्षित हो तो उनमें संशोधन करना।

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

प्राधिकरण के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन

29-प्राधिकरण के सभी आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखतें अध्यक्ष या प्राधिकरण के किसी ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो।

30-प्राधिकरण के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों तब भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ में और राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली या निदेशों के अधीन लोक सेवक समझे जायेंगे। प्राधिकरण के कर्मचारियों का लोक सेवक होना

31-(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों या विनियमों के अधीन में सद्भावपूर्वक की गई या करने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाई के लिए संरक्षण

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या सम्भाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

32-प्राधिकरण, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से किन्हीं संकर्मों या सेवाओं या संकर्मों या सेवाओं के किसी वर्ग को कार्यान्वित करने का भार ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर ग्रहण कर सकेगा जो प्राधिकरण और राज्य सरकार या सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के बीच तय पायी जायं। कतिपय संकर्मों का भार ग्रहण करने की प्राधिकरण की शक्ति

33-इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण द्वारा साधारण या विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, और- प्रवेश करने की शक्ति

(क) निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप मूल्यांकन या जांच कर सकेगा ;

(ख) तलमाप ले सकेगा ;

(ग) खोद कर या अवमृदा के भीतर वेधन कर सकेगा ;

(घ) संकर्म की सीमाएं और आशयित रेखाएं लगा सकेगा ;

(ङ) चिन्ह लगाकर और खाइयां खोदकर ऐसा तल, सीमा रेखाएं और रेखाएं चिन्हित कर सकेगा ; या

(च) ऐसे अन्य कार्य या बात कर सकेगा, जो विहित की जायें :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी सीमा के भीतर या निवास गृह से संलग्न किसी घिरे आंगन या बाग में प्रवेश करने के अपने आशय की कम से कम चौबीस घण्टे की लिखित सूचना ऐसे अधिभोगी को पहले ही दिया बिना (ऐसा करने के लिए उसके अधिभोगी की सहमति के सिवाय) प्रवेश नहीं करेगा।

किसी राज्य राजमार्ग के प्रबन्ध से प्राधिकरण को अस्थायी रूप से वंचित करने की राज्य सरकार की शक्ति

34-(1) यदि किसी समय राज्य सरकार की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा, प्राधिकरण को निदेश दे सकेगी, कि वह किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग का विकास अनुरक्षण या प्रबन्ध ऐसे दिनांक से और ऐसी अवधि के लिए और ऐसे व्यक्ति को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, सौंप दे और प्राधिकरण ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(2) जहां किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग का विकास, अनुरक्षण या प्रबन्ध उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को (जिसे आगे इस धारा में प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), सौंपा जाता है वहां प्राधिकरण ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगा और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन ऐसे अनुदेशों के यदि कोई हो, अनुसार किया जाएगा, जो प्राधिकृत व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जायं :

परन्तु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग या कृत्य का निर्वहन नहीं किया जाएगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) में वर्णित अवधि को जैसा वह आवश्यक समझे घटा या बढ़ा सकेंगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश के प्रवर्तन के दौरान, राज्य सरकार इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह प्राधिकरण को समय-समय पर ऐसे निदेश दे जो उस राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, जिसका प्रबन्ध प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपा गया है, उस प्राधिकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए और विशिष्टतया राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रबन्ध के लिए प्राधिकरण की निधि से कोई धनराशि उस प्राधिकृत व्यक्ति को अन्तरित करने के लिए आवश्यक हो और प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक निदेश का अनुपालन करेगा।

(5) किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के प्रवर्तन की समाप्ति पर, प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगा और प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन जारी रखेगा।

(6) किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के प्रवर्तन की समाप्ति पर, प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति (जिसके अन्तर्गत कोई धनराशि या अन्य आस्ति भी है) जो ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रबन्ध में उसके पास शेष रही हो, प्राधिकरण को सौंप देगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

35-(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे :-

(क) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सदस्य (प्राविधिक), सदस्य (वित्त) और सदस्य (प्रशासन) की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें;

(ख) अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और समिति के अन्य सदस्यों की शक्तियाँ और कर्तव्य;

(ग) ऐसे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए राज्य राजमार्ग के प्रयोजनों के लिए या उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा या उसके लिए उपगत अनावर्ती व्यय धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के लिए उपबन्धित पूंजी के रूप में माना जाएगा ;

(घ) धारा 28 के खण्ड (ख) के अधीन मूल वेतन ;

(ङ) ऐसे निबन्धन और शर्तें, जिनके अध्यधीन रहते हुए धारा 19 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन किसी व्यक्ति को प्राधिकरण के कृत्यों को न्यस्त किया जाय ;

(च) ऐसा प्रारूप जिसमें और समय जिसके भीतर प्राधिकरण धारा 22 के अधीन अपना बजट और धारा 25 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;

(छ) ऐसी रीति जिससे प्राधिकरण धारा 23 के अधीन अपनी निधि को विनिहित कर सकेगा ;

(ज) ऐसी रीति जिससे प्राधिकरण के लेखे धारा 26 के अधीन रखे जायेंगे और उनकी लेखा परीक्षा कराई जाएगी तथा ऐसा दिनांक जिसके पूर्व लेखाओं की सम्परीक्षित प्रति तथा उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, राज्य सरकार को भेजी जाएगी ;

(झ) धारा 33 के अधीन प्रवेश करने की शक्ति के प्रयोग से सम्बन्धित शर्तें और निबन्धन ;

(ञ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकें।

विनियम बनाने की प्राधिकरण की शक्ति

36-(1) प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) परिषद् और समिति के अधिवेशन के लिए समय और स्थान, और ऐसे अधिवेशनों में किए जाने वाले कारवार के संव्यवहार में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

(ख) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें, भर्ती की पद्धति और पारिश्रमिक ;

(ग) ऐसा प्रारूप जिसमें और ऐसी रीति जिससे प्राधिकरण द्वारा कोई संविदा की जा सकेगी और ऐसी संविदाएं या संविदाओं के वे वर्ग, जिन्हें प्राधिकरण की सामान्य मुद्रांकित किया जाना है।

(घ) राज्य राजमार्ग के सामान्य कार्यकरण के लिए उसके ऊपर की बाधाओं को निवारित करने की रीति ;

(ङ) राज्य राजमार्ग पर, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों से भिन्न स्थानों पर किसी यान या गाड़ी के ठहरने या प्रतीक्षा में रखने के प्रतिषेध की रीति ;

(च) राज्य राजमार्ग के किसी भाग तक पहुंच को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की रीति ;

(छ) राज्य राजमार्ग पर और उसके आसपास विज्ञापन के विनियमन या निर्बन्धन करने की रीति ;

(ज) प्राधिकरण के कारबार के जिसके अन्तर्गत शक्तियों का प्रतिनिधान भी है, संव्यवहार की रीति, और

(झ) सामान्यतया राज्य राजमार्गों का दक्ष और उचित प्रबन्ध और अनुरक्षण।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

37-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसा आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2004	38-(1) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	निरसन और अपवाद
	(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।	

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-15 से खण्ड-38 तक खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित जनपद हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर को जन आकांक्षाओं के दृष्टिगत उत्तरांचल राज्य से पृथक करके उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ववत् सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, सदन के सम्मुख यह प्रस्ताव रखते हुए मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं और यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मैं जिस विषय के सम्बन्ध में आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव रख रहा हूं, यह विषय इस सदन के लिए अन्जाना नहीं है। इसके पक्ष और विपक्ष में अनेक बार तर्क हुए हैं और अनेक बार इस पर इस सदन में बात हुई है लेकिन जो बात इसके पूर्व समाजवादी पार्टी ने कही थी, हम सामने की बेन्चों पर बैठा करते थे, आज जब उत्तरांचल का गठन हो गया है और उत्तरांचल में उधम सिंह नगर और हरिद्वार शामिल हो गए हैं तो वहां की जनता की जो भावनाएं हैं, जिसकी तस्वीर देखने का काम हमने बहुत पहले कर लिया था कि इससे वहां की जनता उद्वेलित और आन्दोलित रहेगी।

मान्यवर, अनुभवों से यह सिद्ध हो गया है कि सन् 2000 में जो प्रस्ताव इस सदन में पारित किया गया था उसका हश्र क्या हुआ है ? उसका उत्तर क्या निकला है ? इस सदन का महत्व समाप्त हो जाएगा अगर आप उत्तर प्रदेश की जनभावनाओं को कुचलने के लिए अपनी किसी जिद को मजबूत आधार बनायेंगे। यह मुनासिब नहीं है। किसी भी स्थिति में उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तरांचल में नहीं जाना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार में इसके लिए शक्ति है और हम यहां से प्रस्ताव रखते हुए बल देते हैं और सर्वसम्मति से केन्द्र सरकार से मांग की जाये कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार को तत्काल उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिया जाये। धन्यवाद।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-105 (7) को निलम्बित करते हुए यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित जनपद, हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर के सम्पूर्ण हिस्से को इसकी भौगोलिक स्थिति धार्मिक व सांस्कृतिक जुड़ाव, आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं एवं हरिद्वार के निवासियों की जन आकांक्षाओं के दृष्टिगत उत्तरांचल राज्य से पृथक करते हुए पुनः उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ववत् सम्मिलित कर लिया जाय।"

श्री अध्यक्ष-

अभी मेरी बैठक में, नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन की सहमति हुयी है। प्रश्न यह है कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-105 (7) को निलम्बित करते हुए "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित जनपद हरिद्वार तथा ऊधम सिंह नगर के सम्पूर्ण हिस्से को इसकी भौगोलिक स्थिति, धार्मिक व सांस्कृतिक जुड़ाव, आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं एवं हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर के निवासियों की जन आकांक्षाओं के दृष्टिगत उत्तरांचल राज्य से पृथक करते हुए पुनः उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ववत् सम्मिलित कर लिया जाय।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(इस समय 3 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आज मानसून बरसात न होने के नाते सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में संकट की छाया मंडरा रही है। मान्यवर, जो अवर्षण की स्थिति पैदा हुयी है उससे पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में आ गया है। पूरे प्रदेश के सूखे की चपेट में आ जाने से उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है कि उनकी खरीफ की फसल धान की बुआई नहीं हो पा रही है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में खरीफ में धान ही सबसे महत्वपूर्ण फसल है। आज विधिवत् बरसात न होने के कारण धान की रोपाई बाधित हो रही है। यह सूखे की समस्या एक ऐसी त्रासदी है जो किसी एक व्यक्ति विशेष के अधीन नहीं अपितु एक प्राकृतिक आपदा है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, पहले सदन तो व्यवस्थित हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

हाजी साहब आप अपने स्थान पर जायें। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह जो प्राकृतिक आपदा है जब-जब प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपदा होती है तो सरकार ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए कोई विशेष योजना तैयार करती है लेकिन यह जुलाई माह बीत गया है अगस्त का महीना लग गया अब तक सरकार द्वारा जो कदम उठाये जाने चाहिए थे

वह अभी तक नहीं उठाये गये हैं। इस दैवीय आपदा सूखे की त्रासदी से निपटने के लिए सरकार के द्वारा अभी तक कोई कार्य योजना तैयार न करना इस बात को साबित करता है कि सरकार अभी भी इस त्रासदी के प्रति सचेष्ट और सावधान नहीं है । यदि सरकार सचेष्ट और सावधान होती तो इस दैवीय आपदा से निबटने के लिए...

(हाजी याकूब कुरेशी के दोबारा आगे की सीटों पर बैठे मंत्री जी से बात करने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक निवेदन करूंगा कि मान्यवर, जब भी इस प्रकार की चर्चा चलती है तो इस सरकार के मंत्रीगण कभी संसदीय कार्य-मंत्री तो कभी अन्य मंत्रीगण को घेर लेते हैं या फिर माननीय मुख्य मंत्री जी को घेर लेते हैं। तो मैं इस चर्चा के माध्यम से सरकार को सावधान करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि खरीफ जिसकी उपज धान इस पूरे उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न देता है। यहां तक कि आधे से ज्यादा खाद्यान्न धान के माध्यम से पूरा हो जाता है, आज इसकी रोपाई न होने से उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिए मैं इस दैवी आपदा से निपटने के लिए, यह जो अवर्षण की स्थिति है इससे निपटने के लिए सरकार नहरों में पानी की व्यवस्था करती। आज नहरें सूखी पड़ी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नहरों की संख्या गिनाऊं जिसमें पानी नहीं है, तो घंटों समय लग जायेगा। मैं केवल मिसाल के तौर पर अपनी ही विधान सभा क्षेत्र, जिसका मैं दो दिन पहले मौका मुआयना करके आया हूं, यह कह सकता हूं कि कहीं भी पानी वहां पर नहीं है।

मान्यवर, डलमऊ पम्प कैनाल से निकलने वाली जितनी भी माइनरें हैं-ऊँचाहार, भीख, शंकरपुर, सुपथा, दौलतपुर, धोवहा इत्यादि इन माइनरों में आज पानी नहीं है और पूरा डलमऊ पम्प कैनाल जो हमारे पूरे विधान सभा क्षेत्र को सिंचित करता है वहां पर पानी के अभाव में खरीफ की फसल मरी जा रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा होता कि सूखे से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर नहरों में पानी दिया जाता। अच्छा होता कि जो सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, उनको ठीक कराने, जो अवर्षण की स्थिति से समस्या हो गयी है उससे निपटने के लिए कोई कारगर कदम उठाये जाते। मान्यवर, अभी दो दिन पहले जब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र का दौरा कर रहा था तो मैंने देखा कि जो सरकारी ट्यूबवेल हैं, जिससे किसान लोग अपनी सिंचाई करते हैं या उस पानी के माध्यम से खेतों को भरकर धान की रोपाई करते हैं, वह बेकार पड़े हैं। शहजादपुर प्रथम व द्वितीय, कोटियाटि चित्रा प्रथम, कमोली, मदारीपुर, सनविखन इत्यादि में जो सरकारी ट्यूबवेल, जो विकास खण्ड ऊँचाहार में आते हैं, उनकी मशीनरी खराब होने के नाते वह चालू हालत में नहीं हैं। मान्यवर, जब-जब अवर्षण की स्थिति पैदा होती है किसान सोचता है कि अगर पानी नहीं भरेगा तो किस तरह से वह धान की रोपाई करेगा। आज नहरों में पानी नहीं है, माइनरों में पानी नहीं है और सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो दैवी आपदा और अवर्षण की स्थिति से उत्तर प्रदेश में सूखे के रूप में आयी है इसका भविष्य में बड़ा खतरनाक असर पड़ेगा क्योंकि खरीफ की फसल मर जायेगी तो आने वाले दिनों में खाद्यान्न का संकट पैदा हो जायेगा जिससे हमारे प्रदेश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जायेगी। आज पूरा उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में आ गया है। मान्यवर, फतेहपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया यहां तक कि मुख्य मंत्री का अपना क्षेत्र इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बांदा, जालौन, महोबा, हमीरपुर, झांसी,

ललितपुर मिर्जापुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, देवरिया, ये सभी जिले सीधे प्रभावित हैं। मान्यवर, हमारे कुछ साथी कह रहे हैं बिजनौर, लखीमपुर छूट रहा है। मान्यवर, इस चर्चा में हमारे साथी अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठायेंगे, लेकिन आज मैं सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं बल्कि सरकार को सावधान करने के लिए खड़ा हुआ हूं, यह जो दैवीय आपदा किसानों पर उतरने जा रही है इस पर सरकार को सावधान होना चाहिए, क्योंकि हंसी-हंसी में भयंकर से भयंकर समस्या को टाले जाने से कोई बात बनने वाली नहीं है। सरकार की जवाबदेही केवल अपनी सुख सुविधा से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति होती है और जब उत्तर प्रदेश की जनता पर यह भीषण प्रकोप पड़ रहा है तो स्वाभाविक है कि उसको भी चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए ?

मान्यवर, नहरों में पानी नहीं है, सरकारी ट्यूबवेल बिगड़े हुए हैं, तो जो निजी ट्यूबवेल हैं जो कि किसानों के अपने हैं वह सोचता है कि अपने निजी ट्यूबवेल का प्रयोग करके अपनी फसल की बुवाई करेंगे, धान की रोपाई करेंगे मान्यवर आज उसमें भी संकट आ गया इसलिए कि आज पूरे प्रदेश में बिजली की समस्या भी बड़े पैमाने पर उजागर हुई है, बिजली की समस्या हो जाने से किसानों के निजी ट्यूबवेल संचालित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती की जा रही है और मान्यवर, इस बिजली की कटौती के कारण जो विद्युत सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के ट्यूबवेल के लिए होनी चाहिए वह समुचित तरीके से नहीं दी जा रही है मान्यवर, जिसके फलस्वरूप किसानों के अपने निजी ट्यूबवेल होते हुए भी वह किंकर्तव्यविमूढ़ पड़े हुए हैं वह मनमसोस कर रह जा रहे हैं वह सोचता है कि अगर पानी नहीं बरसा और नहरों में पानी नहीं आया, सरकारी ट्यूबवेल बिगड़े तो हम अपने निजी ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन बिजली के अभाव में वह अपने निजी ट्यूबवेल भी नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए यह अवर्षण की स्थिति से सूखा जैसा महाप्रकोप जो आया है, इससे निपटने के लिए मैं सरकार को अगाह करना चाहता हूं और आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसा भयंकर अकाल जो उत्तर प्रदेश के भविष्य में पड़ने के लिए आगाह कर रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार को उसको देखते हुए सावधान हो जाना चाहिए और उससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर नहरों में पानी देना चाहिए।

किसानों के निजी नलकूपों को चलाने के लिए भरपूर मात्रा में बिजली मुहैय्या कराना चाहिए और बिगड़े हुए ट्यूबवेलों को भी ठीक कराने के लिए तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ आज जब सूखे की मार से पूरा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है तो ऐसी हालत में सरकार को चाहिए कि वह जो हाईस्कूल और इंटर कालेजों की फीस है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी शहरों में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, माफ करने की घोषणा करे। जो छोटे-छोटे किसान हैं जिन पर 10 हजार, 20 हजार और 25 हजार का कर्जा है उसके उस कर्ज की वसूली के लिए उसकी जमीन औने-पौने दाम में नीलाम करके की जाती है और किसान को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाराबंकी में एक घटना घटी है मैं उस घटना को दोहरा कर उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना कह देना चाहता हूं कि वह एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश में यह घटनायें नित्य प्रतिदिन घटती हैं। 5 हजार 10 हजार रु0 की वसूली के लिए किसान को हवालात में ठूंस दिया जाता है हफ्ते-हफ्ते उसको लावारिस सा छोड़ दिया जाता है। तमाम गरीब किसानों के बेटे-बेटियों की शादी के दिन उस कर्ज की वसूली के लिए उसके अभिभावक को हवालात में ठूंस दिया जाता है। सरकार इसको गम्भीरता से ले। इस तरह की जो उत्पीड़नात्मक और दण्डनात्मक कार्यवाही होती है उससे भी किसानों को

निजात दिलाने का काम यह सरकार करे। आज मान्यवर, प्रदेश में अवर्षण की स्थिति से सूखे का संकट पैदा हुआ है यह बहुत ही गम्भीर विषय है और पूरे प्रदेश की जनता की रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप कृपया संक्षेप करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, वह गरीब किसान प्रदेश की 17 करोड़ जनता की रोटी की जो व्यवस्था करता है लेकिन अगर वह खुद आज रोटी के लिए मोहताज हो जायेगा खरीफ की फसल की रोपाई नहीं कर पायेगा तो उसका क्या पुरसाहाल होगा ? प्रदेश पर एक भयंकर अकाल की छाया आने वाली है। इसलिए मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए यह प्रस्ताव आपकी अनुमति से सदन के समक्ष रखता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस पर त्वरित कार्यवाही करने का कार्य करेगी।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस चर्चा का महत्व और उसकी उपयोगिता को समझते हुए हाउस में इस सूखे के विषय पर चर्चा करायी जा रही है। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि आज आपकी सरकारी मशीनरी इस बात को कह रही है कि प्रदेश में सूखे का प्रभाव बढ़ गया है। प्रदेश के 32 जनपदों में आज बारिश न होने से एक संकट का बादल मंडरा रहा है। इसको स्वीकार किया है आपके कृषि निदेशक ने कि प्रदेश में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। कृषि विभाग लक्ष्य निर्धारित करता है कि इस साल खरीफ की कितनी फसल ली जायेगी कितना उत्पादन होगा ? कृषि विभाग ने इस साल 9250 हेक्टेयर का लक्ष्य खरीफ की फसल का निर्धारित किया था। यह उनका लक्ष्य था लेकिन सूखे का असर क्या पड़ा इस साल उनका लक्ष्य आता है 9250 के परिपेक्ष्य में केबल 2246 हेक्टेयर की बुआई की गयी है। इसके साथ-साथ अभी आपके जिन जनपदों को इन्होंने इंगित किया आपके प्रमुख सचिव कृषि ने माना है कि कहीं न कहीं सूखे का असर पड़ रहा है तब आपका पत्र गया है मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को कि एलर्ट हो जायं। इन्होंने अपने पत्र में कहा है कि किसानों को इस बात के लिये संकेत कर दिया जाय कि अपने फसल में बदलाव लायें क्योंकि जो खरीफ में फसल पैदा की जाती है जैसे धान का बीज डाल दिया, बरसात नहीं हुई, रोपाई नहीं हो पाई वह अपनी जगह पर पड़ा है। साथ ही साथ जिन खेतों में पानी की व्यवस्था नहीं है, धान रोप दिया गया, आप पता लगा लें सब धान की फसल सूख रही है। अभी सत्ता पक्ष के लोग कहेंगे कि कहीं सूखे का असर नहीं है। आज गांव में जाकर देख लें लोग चिल्ला रहे हैं कि अगर हम बीज भर का अनाज पैदा कर लें तो बड़ी बात है आज उसके भी लाले पड़ रहे हैं क्योंकि नहरों में पानी नहीं जा रहा है नलकूप बन्द हो गये हैं इनमें 70 फीसदी नलकूप विद्युत दोष से बन्द हो गये हैं और 20-25 फीसदी नलकूप मैकेनिकल दोष से बन्द हैं। मान्यवर, जो विद्युत दोष से बन्द हैं, वह तो अलग है लेकिन जो मैकेनिकल दोष से बन्द हैं तो उनमें थोड़ा बहुत कुछ करके चालू किया जा सकता है। इससे 20-25 प्रतिशत नलकूप संचालित हो जायेंगे। इसके लिये जिलाधिकारियों को निर्देश नहीं है। कुछ जनपदों में जलस्तर नीचे जा रहा है, फसल सूख रही है हमारी फसल बरबाद हो रही है। दूसरी तरफ सूखे का असर पड़ गया। आप स्वयं कह रहे हैं कि इस साल विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं कर पायेंगे यह प्रदेश के मुखिया का बयान है कि इस साल विद्युत व्यवस्था नहीं हल कर पा रहे हैं क्योंकि बरसात बहुत कम हो रही है इसलिये विद्युत संकट

प्रदेश में रहेगा। आप कबूल करते हैं कि विद्युत उत्पादन कम हो गया है। आज पशुओं के चारे के भी लाले पड़ने लगे हैं। इसी तरह से आप देख लें प्रदेश में 22 जुलाई को अगले हफ्ते में यह आदेश हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान जो बना है उसने भी कहा है कि भाई थोड़ा इस पर एलर्ट हो जायं, अन्य प्रदेशों को भी कहा है, लेकिन हमारे प्रदेश के जनपदों को इंगित किया उसमें कहीं न कहीं किसानों की राय थी कि वह अपनी फसलों में बदलाव लायें। अभी आपके जून महीने का डाटा निकला है जून महीने का रेसियों रहा है 99 यह इसलिये कि विद्युत आप दे नहीं पा रहे हैं विद्युत से चलने वाले नलकूप ठप पड़े हैं नहरों की रोस्टरिंग 5 दिन इधर 7 दिन उधर, 7 दिन इधर 10 दिन उधर, आप रोस्टरिंग जो कर रहे हैं उससे दूसरी तरफ की फसल सूख जायेगी। आप रेगुलर पानी चलाने का काम करें। कृषि विभाग ने जो कहा है कि हमारी खरीफ की फसल का उत्पादन कम होगा। कृषि सचिव के निर्देश हुये हैं जिलाधिकारियों को कि तत्कालिक तौर पर कुछ व्यवस्था करें इतना ही नहीं इस तरह के भी संकेत मिले हैं कि एक सप्ताह दो सप्ताह के अन्दर कोई तात्कालिक कार्यवाही नहीं की गयी तो 2002 की स्थिति पैदा हो सकती हैं, जैसी 2002 में स्थिति पैदा हुई थी इसे तो आप स्वीकार करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि राहत का काम शुरू करा दें। एक लाख के जो देय हैं, उनको आपने स्थगित किया, कुछ राहत दी है, अच्छी बात है। किसान जो अनाज पैदा करता है, उसको बेचकर वह कपड़े-लत्ते, बच्चों की कापी-किताब का इन्तजाम करता है। कम से कम आप हीं कर दें कि 2-3 महीने उससे फीस नहीं ली जायेगी। आज पढ़ाई का महीना चल रहा है, जहां एक रुपये का खर्च है, वहां 5 रुपये खर्च हो रहे हैं। ऐसे में वह बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम कहां से करेगा। मान्यवर, इस समय प्रदेश में पूरी सूखे की स्थिति है और जिन जनपदों की तरफ मैंने संकेत किया है, पश्चिम को देख लें, बुन्देलखण्ड को देख लें और चाहे पूर्वांचल को देख लें, सभी जगह सूखे की वजह से संक्रामक रोग हो रहे हैं, अराजकता का माहौल बन रहा है। पशुओं के चारे की समस्या पैदा हो गयी है, किसान के धान के बीज सूख रहे है। माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आप निर्देश दें और विद्युत दोष से जो नलकूप खराब हैं, उनको दुरुस्त करा दें। इसी तरह से मैकेनिकल दोष से थोड़े से नलकूप खराब है। उनको ठीक करा दें और साथ ही साथ तत्काल नहरों पर रोस्टरिंग प्रणाली के हिसाब से रेगुलर पानी की व्यवस्था करें। ताकि किसान अपने खाने भर को तो दूर, कम से कम बीज भर का पैदा कर लें।

मान्यवर, कृषि विभाग के सचिव और तमाम अन्य लोगों ने सूखे की स्थिति को स्वीकार किया है, इनके आंकड़े भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भी एलर्ट किया गया है, इस विषय की ग्राह्यता और महत्व को समझते हुये ही यह विषय चर्चा के लिये स्वीकार हुआ है, इसे गम्भीरता से लेते हुये, तत्काल किसान को राहत देने का काम करें। किसान को तत्काल बिजली देने का काम, तत्काल नहरों में लगातार पानी देने का काम, देयों को रोककर, बच्चों की 2-3 महीने की फीस माफ करवा दें और जो छोटे किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, उसको रोकने का निर्देश दें। इस महत्वपूर्ण विषय सूखे पर तत्काल राहत दिलाने के लिये जितने अच्छे से अच्छा प्रभावशाली कदम आप उठा सके, वह उठावें। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का समय दिया, मैं आभारी हूं।

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, माननीय राजभर जी ने कहा कि प्रदेश में 92 लाख 50 हजार हेक्टेयर को आच्छादित करने का लक्ष्य था, मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष उसके विरुद्ध 68 लाख 52 हजार 180 हेक्टेयर जमीन आच्छादित हुयी है, यह 73,195 प्रतिशत लक्ष्य का होता है। इसी प्रकार वर्ष

पड़ रहा है कि देवकली पम्प नहर पूरी क्षमता के साथ नहीं चलायी गयी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि सूखे की गम्भीर समस्या से निपटने के लिये बिजली की व्यवस्था कराकर नहरों को पूरी क्षमता के साथ चलायी जाये और गाजीपुर सहित प्रदेश के पूरे जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय। अगर यह सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और किसानों की भलाई करना चाहती है तो पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करे तथा सरकार की ओर से किसानों को विशेष पैकेज दिया जाय। सरकार इस महत्वपूर्ण विषय को मजाक में न उड़ाकर गम्भीरता से ले और किसानों की भलाई की ठोस व्यवस्था करने की कोशिश करे। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, आपने मुझे सूखे की चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। हमारे दल के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय सुखदेव राजभर, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री कालीचरन राजभर ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। आज पूरे प्रदेश में खरीफ की फसल पर संकट आ गया है। 50 जनपद ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में हैं। वहां धान की रोपाई हो गयी है लेकिन पानी के अभाव में फसल सूख रही है। सरकार के ट्यूबवेल खराब पड़े हुये हैं। रजबहों और नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। जो निजी ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं उनको विद्युत कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। सरकार घोषणा करती है कि हम विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे लेकिन गांवों में बिजली नहीं मिल रही है। सरकारी अधिकारियों ने स्वीकार किया है और भारत सरकार के अधिकारियों की जो टीम आयी थी उसने स्वीकार किया है कि लगभग 50 जनपद सूखे से प्रभावित हैं। सूखे से निपटने के लिये सरकार के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। मैं अपने जनपद सुल्तानपुर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक दोस्तपुर, कूड़ेभार, जयसिंहपुर में फसलें सूख रही हैं और रजबहों में पानी नहीं आ रहा है जिसकी वजह से किसानों ने जो धान की रोपाई की है वह धान की फसल सूख रही है। नहरों में पानी नहीं है जिससे धान की फसल सूख रही है। इस संवेदनशील प्रश्न पर सरकार एक ठोस कार्य योजना बनाये यह मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। जो जनपद सूखे से प्रभावित हैं उनको तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करने की योजना बनाकर वहां पर समुचित सुविधायें देने का सरकार निर्देश दे और वहां पर किसानों को सुविधा दे। इन शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, सूखे जैसे आवश्यक विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अभी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो हमारे दल के नेता हैं और माननीय सुखदेव राजभर जी ने व अन्य माननीय सदस्यों ने सूखे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर काफी गम्भीर विचार रखे। मान्यवर, आज पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है किसान इस विषम परिस्थिति से पूरी तरह से प्रभावित है। वर्षा नहीं हो रही है जिससे धान की रोपाई किसान नहीं कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पा रहा है और इतना ही नहीं नहरें भी नहीं चल पा रही हैं। जो नहरें चल भी रही हैं वह पूरी क्षमता के साथ नहीं चल पा रही है। ट्यूबवेल की हालत यह है कि 70 प्रतिशत ट्यूबवेल आज खराब हैं जो चाहे वह विद्युत दोष के कारण हों चाहे तकनीकी कारण से हों। जो निजी ट्यूबवेल लगाने के लिए किसानों ने आवेदन भी दिए हैं उनको कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बिजली विभाग वाले रिश्वतखोरी के चक्कर में कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। जिससे किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। एक तरफ किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं वहीं वर्षा न होने के कारण व ट्यूबवेल में कनेक्शन न देने के कारण किसान परेशान हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम इतने घण्टे बिजली किसानों को दे रहे हैं मैं इलाहाबाद में रहता हूं वहां पर 16-16 घण्टे बिजली नहीं आ रही है। वहां के लोक सभा सांसद श्री रेवती रमण सिंह ने इस मामले में इस्तीफे तक की धमकी दे डाली। गांव में बिजली की हालत बहुत खराब है। गांव में बिजली न आने के कारण ट्यूबवेल भी नहीं चल पाते हैं। डीजल के दाम इतने बढ़े हैं कि किसान अपना ट्यूबवेल नहीं चला पाता है। किसान महंगाई के कारण वित्तीय संकट में है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसनपुर पम्प कैनाल है वहां उसे पूरी क्षमता के साथ नहीं चलायी जा रही है। वहां के सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जब बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हमें बिजली समुचित तरीके से नहीं मिल रही है। इसलिए किसनपुर पम्प कैनाल पूरी क्षमता से नहीं चलाई जा रही है। टेल तक पानी नहीं मिल रहा है। जो माइनर है उनका बुरा हाल है। कोहलीपुर, शाहपुर, पुनार, विरौंचा, म्जोहरिया आदि तमाम माइनर सूखी पड़ी हैं। एक तरफ जहां सूखे से बुरी तरह किसान प्रभावित हैं वहीं दूसरी तरफ सरकार ने आवश्यक निर्देश राजस्व विभाग को नहीं दिया है जिसके कारण राजस्व विभाग के अधिकारीगण जिनकी छोटी-छोटी देनदारी बाकी है उनको हवालात में बन्द करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस गम्भीर विषय पर सरकार को सचेत होना चाहिए। राजस्व मंत्री जी अभी अपना बयान देंगे वह यह सुनिश्चित करा दें कि जिन किसानों ने ट्यूबवेल के लिए विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन दे रखा है और उनकी प्रक्रिया पूरी है उनको कनेक्शन दिला देना चाहिए और जो ट्यूबवेल खराब हैं चाहे ट्रांसफार्मर जलने के कारण नहीं चल पा रहे हैं उनको चालू करवाने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

और नहरों को पूरी क्षमता से चलाने का काम सरकार करे जिससे सूखे जैसी विषम स्थिति से निपटा जा सके। इन शब्दों के साथ आपने सूखे जैसी गम्भीर समस्या पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बबलू प्रसाद-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सूखे पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। आजादी के 57 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह हास्यापद है।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य जरा संक्षेप में कहियेगा क्योंकि माननीय मंत्री जी का उत्तर भी आना है और भी माननीय सदस्यों को बोलना है और एक घण्टे का समय इसके लिये है।

श्री दद्दू प्रसाद-

हमारी फसलें आज भी वर्षा के ऊपर निर्भर है। कुदरत ने पानी नहीं बरसाया तो त्राहि-त्राहि होने लगती है। पूरे प्रदेश में लगभग 50 जनपद सूखे की चपेट में हैं। यह तो कुदरत की आपदा हो गयी। इस सूखे से निपटने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ? सरकार की क्या तैयारी है ? यह बात मान्यवर, आ जानी चाहिए कि सरकार सूखे से निपटने के लिये किसानों को राहत देने के लिये क्या करने जा रही है। पूरे बुन्देलखण्ड में छुट-पुट बरसात हो रही है। यह अल्लाह मियां की कृपा होगी कि कल प्रदेश में बरसात हो जाय नहीं तो लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। राजस्व के जो अधिकारी हैं वे बड़ी सख्ती के साथ वसूली कर रहे हैं और सख्ती के साथ वसूली करने का ही परिणाम बाराबंकी में हमको देखने को मिला है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सूखे से निपटने के लिये राहत कार्य चलाये जाने की आवश्यकता है। आज मजदूर पलायन कर रहे हैं। वे दिल्ली-मुम्बई जैसे बड़े-बड़े शहरों को जा रहे हैं। जब बरसात नहीं हुई और खेतों में उनका काम नहीं मिल रहा है तो ऐसी दशा में उनका पलायन करना लाजिमी है। जनपद चित्रकूट में सारी नहरें सूखी पड़ी है। नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करें और वसूली को स्थगित करवाये। छात्रों की फीस माफी की व्यवस्था करे और सूखा राहत कार्य चलाये जायें। मैं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सूखे पर प्रस्तुत चर्चा का समर्थन करता हूं इस पर बल देता हूं और सरकार से पुरजोर मांग करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूखे से जो उत्पन्न गम्भीर स्थिति जो प्रदेश की है, उसकी चर्चा में भाग लेने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सदन में माननीय सदस्यों को मैंने सुना अभी सरकारी पक्ष से माननीय मंत्री जी बोलेंगे। मैं एक ही बात निवेदन करूंगा कि आज समूचे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए। इसमें कोई विवाद का विषय नहीं रह गया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें सत्ता पक्ष में और विपक्ष में कोई विवाद हो। उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। कहा गया कि जून माह में वर्षा हुई। मैं भी स्वयं 8-10 जिलों में गया था और वहां जाकर मैंने देखा। पीलीभीत से लेकर बलिया तक नैपाल की सीमा से लगे जो जिले हैं जहां जून में बरसात हुई थी। लोगों ने उस बरसात होने को समझ लिया कि मानसून आ गया और इस धोखे में उन्होंने बुवाई कर दी, रोपाई कर दी। एक बरसात के पानी के बाद रोपाई कर दी लेकिन आगे उसके लिये सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। उनकी फसलें सूख गई हैं। मैं गांव में पैदा हुआ, खेती करता हूं, मेरी इसमें रुचि है और इसमें अध्ययन करता हूं। मैंने पूरे प्रदेश की रिपोर्ट मंगाई है जो पूरे प्रदेश में 18-20 जिलों में पानी बरसा उसको उन्होंने मानसून समझकर धोखा खा लिया और बोवाई और रोपाई कर दी। अब जून के बाद से बरसात नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा इलाका और जिला ऐसा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं बिजली की जो स्थिति है, वह बड़ी दुखद है। मुख्य मंत्री जी का साहसिक कदम था कि 14 घण्टे बिजली दी जायेगी, गांव के किसान को अब कोई 5-6 घण्टे बिजली मिल रही है। मैं बनारस से आता हूं मैं खुद अपने घर की बता रहा हूं, 4 बजे सुबह बिजली आती है और 8 बजे दिन में चली जाती है, 4 घण्टे बिजली आ रही है। बिजली की हालत संकटग्रस्त है, उसके

बल पर ही ट्यूबवेल और लिफ्ट कैनाल चलती है, इससे सिंचाई के साधन भी सूखे पड़े हैं, कुछ ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। मैंने जिन क्षेत्रों का अध्ययन किया है, 40 से 50 प्रतिशत ट्यूबवेल टेक्निकल खराबी के कारण खराब पड़े हैं, बाकी बिजली के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा। जिन्होंने जून में बो दिया है उनकी फसलें सूख रही हैं, सिंचाई के साधन खराब पड़े हैं। मैंने नदियों का अध्ययन किया है, जब नदियों में पानी ही नहीं है, केवल नैपाल से आने वाली नदियों में पानी है, बाकी में पानी ही नहीं है तो नहरों में कैसे आएगा ? वर्षा हो नहीं रही है तो कैसे पैदावार होगी। कुछ फोरकास्ट किया है मानसून के लोगों ने कि अगस्त के महीने में वर्षा होगी 'का वर्षा जब कृषि सुखानी', अगस्त में जो बुवाई होगी, उसमें फसलें तो खड़ी होंगी, हरी-भरी दिखायी देगी लेकिन उसमें दाना नहीं होगा। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। जब लेखपाल परीक्षण करने के लिए जायेगा तो फसलें हरी-भरी दिखायी देंगी, लेकिन उसमें दाना नहीं होगा। रिपोर्ट आयेगी कि 70 प्रतिशत पैदावार होगी, इसमें संरक्षण सरकार प्रदान करें कि लेखपाल गलत रिपोर्ट न देने पाये। मान्यवर, आप गांव से आते हैं, सदा संघर्ष का जीवन बिताया है, राहत का कार्य युद्ध स्तर पर चला दिया जाए। दो योजनाएं भारत सरकार की हैं, एक अन्त्योदय योजना है, दूसरी अन्नपूर्णा योजना है, दोनों इस समय ठप कर दी गयी है। गरीब कैसे बचेगा, लोग भुखमरी के कारण आत्महत्या करेंगे। इस सारी परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर कदम उठाना होगा। मैं अपील करता हूं हम इसमें आपके साथ हैं, सूखा की समस्या पर मिलकर काम करेंगे। लोगों ने कहा है कि फीस माफ करें बच्चों को किताब दे दी जाए। आपदा राहत हेतु पूरी सूची बनी है, क्या-क्या काम किया जाएगा। मंत्री जी घोषणा कर दें कि इन सबको लागू कर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा आपसे एक अनुरोध है, मैं आपकी अनुज्ञा से बात रखूंगा। श्रीमन्, 3 बजकर 40 मिनट पर यह चर्चा प्रारम्भ हुई थी और 4 बजकर 38 मिनट हो चुका है, श्रीमन्, आप स्वयं तय कर दें, दो मिनट में मेरा उत्तर आ जाए या दो मिनट में अन्य सदस्य बोल लें, आप समय सीमा तय कर दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मंत्री जी समय बढ़ाने का प्रस्ताव कर दें।

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि की नियम-52 की सूचना पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्रीमन्, आपका विवेक है, मैंने केवल ध्यान दिलाया है। 5 बजे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है। अगर सदन सहमत है तो 10 मिनट का समय बढ़ा लें।

श्री अध्यक्ष-

10 मिनट का समय बढ़ाते हैं।

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

श्री मुंशी लाल गौतम-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सूखे पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारा भारत देश ऋषि-मुनियों का देश है। गौतम बुद्ध इस महान देश

में पैदा हुए हैं। मान्यवर, सूखे की त्रासदी चक्रवात के रूप में दैवीय आपदा के रूप में देश पर आती है। मान्यवर, जिस प्रकार का सूखे का संकट इस समय देश पर है, पूरे उत्तर प्रदेश पर है इससे निपटने के लिए सामूहिक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है। हम सभी में कुछ को छोड़कर सभी किसान के परिवार से आये हैं। आज हम विधान सभा में आकर 5 रुपये की चाय 2 रुपये में पीते हैं, 30 रुपये का थाल 15 रुपये में लेते हैं लेकिन आज हमारे देश का किसान बहुत परेशान है। जब सरकार भी यह मान रही है कि 39 जिले सूखाग्रस्त हैं। सूखे की वजह से धान की फसल की बुआई बेकार हो गयी है। नहरों में पानी नहीं है। किसानों के सामने अंधकार है, भुखमरी है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मेरे जिले में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल पैदा होती है। मेरा जिला सबसे अधिक ज्वार पैदा करता है। लेकिन मान्यवर, आज वहां पानी नहीं है। आज हमारे यहां शिकारपुर राजबहे और सरोवा राजबहे में पानी नहीं है। हाजीपुर माइनर, सिकरार माइनर आदि सभी सूखी हैं उनमें पानी नहीं है। बिजली के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे यहां 487 ट्यूबवेल हैं उनमें 47 ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं। नलकूपों की बोरिंग के लिए पैसा नहीं दिया गया है। धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे यहां शिकारपुर में परसों से धरना चल रहा है। एक घण्टा भी बिजली नहीं है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, ऐसे तो नहीं चलेगा, दो मिनट के बजाये 15 मिनट दे दिया गया है। आपसे निवेदन है कि आप इन्हें बन्द करायें।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य आपकी बात आ गयी। दो-दो मिनट में अपनी बात कहें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, आपने जो 10 मिनट का समय बढ़ाया था उसमें 7 मिनट रह गये हैं। आप इसमें मुझे कितना मिनट देंगे ?

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा डा0 सुशील चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह आपका अधिकार है। लेकिन आपके यहां जितनी स्लिपें आयी हों लेकिन उसमें आप समय तय कर दें कि आप मंत्री से कितने समय से उत्तर दिलवायेंगे, वह मुझे बता दें। जिसको आपने 2 मिनट दिया वह 10-10 मिनट लेते हैं।

*डा0 सुशील चौधरी-

मान्यवर, आपने सूखे पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सभी वक्ताओं का समर्थन करते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनपद सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद और बागपत को फीड करने वाली यमुना की नहर में पानी पिछले 4 महीने से बन्द है।

पिछले चार महीने से बन्द है और बरसात भी नहीं हो पा रही है। जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बात उठायी है मैं उस पर बल देते हुए यह बात कहना चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी से कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहारनपुर जनपद में पिछले एक डेढ़ वर्षों से ट्यूबवेल कनेक्शन बन्द है। चाहे सहारनपुर हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर में कोई साधन नहीं है। आप यहां पर बिजली के ट्यूबवेल दिलाने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस सूखे की चर्चा के माध्यम से इस चर्चा पर न तो पक्ष है और न विपक्ष प्रदेश के सामने विपरीत परिस्थिति उत्पन्न है, इस पर सामूहिक विचार-विमर्श करके उचित रास्ता खोजने का प्रयास किया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश में अगर बरसात का प्रतिशत देखा जाय तो पूरे उत्तर प्रदेश में माइनर्स 12 प्रतिशत रहा है। वैस्टर्न यू0 पी0 में माइनर्स 48 प्रतिशत रहा है। अर्थात् पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात इतनी कम हुई है कि अगर धान रोप भी दिया गया है तो वह पैदा नहीं होगा। कहीं पर रोपा नहीं जा सका। मान्यवर, मैंने जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ से फैक्स करके सूचना मंगायी है। मैं यह बता दूं कि इसमें है धान का कुल क्षेत्रफल 18150 हेक्टेयर और बोया गया क्षेत्रफल 12705 हेक्टेयर है बिना बोया गया 5445 हेक्टेयर है इसमें क्षतिग्रस्त हुआ 8170 और प्रभावित क्षेत्रफल 12705 हेक्टेयर है। इस प्रकार फसलों में हुई क्षति का प्रतिशत पैंतालीस प्रतिशत है। इसी प्रकार मक्का का कुल क्षेत्रफल 1960 हेक्टेयर बोया गया। 1960 हेक्टेयर, प्रभावित क्षेत्रफल 1960 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त 670 हेक्टेयर तो इसका क्षति का प्रतिशत 34.18 हुआ। कपास का कुल क्षेत्रफल 400 हेक्टेयर, बोया गया 210 हेक्टेयर बिना बोया गया। 190 हेक्टेयर और इसका क्षतिग्रस्त का क्षेत्रफल 98 हेक्टेयर है। मान्यवर, इसी तरह से अन्य के हैं। मेरा यह कहना है कि पूरे प्रदेश में खरीफ का क्षेत्रफल है-62405 हेक्टेयर है और बोया गया 56520 हेक्टेयर में, 5885 में नहीं बोया गया और पूरा क्षति का प्रतिशत 40.09 है। मान्यवर, दलहन का और कपास का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इसी तरह से अरहर में 37.35 प्रतिशत का नुकसान, चारा में 38.40 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। मान्यवर, यह आंकड़े उनके पास नहीं हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सूखे की स्थिति प्राकृतिक आपदा है। यह सत्तारूढ़ दल और विपक्ष का सवाल नहीं है। इस चर्चा के माध्यम से इस पूरे सदन की एक भावना को निकालकर और इसमें पूरे प्रदेश में वास्तविक आंकलन करके केन्द्रीय दल को बुलाकर इसका सही मायने में आंकलन कराया जाय। जो पूरे उत्तर प्रदेश में क्षति हुई है उसमें आपदा राहत दिलाने की आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पैसा मिलना चाहिए जो मांग करनी चाहिए इस प्रश्न पर सारा सदन सरकार के साथ है। जो हानि हुई है, केन्द्र सरकार से उसकी मांग की जानी चाहिए। सरकार से मेरा निवेदन है कि आपदा राहत का आंकलन और आपदा राहत का वितरण दोनों को करते समय सबसे पहली प्राथमिकता किसानों की उसकी फसल का नुकसान उसकी भरपाई पर ध्यान रखना चाहिए और आंकलन में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा। कि मेरठ महानगर में पांच ट्यूबवेल पिछले दो साल से बन्द पड़े हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आंगणन आ गया है, मान्यवर, 61 लाख रुपये का आंगणन है उनको रिबोर करने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपदा राहत से अगर उस पैसे को दे दिया जाए तो यह

पांचों ट्यूबवेल रिबोर हो जायेंगे और कम वर्षा होने से जो पेयजल स्तर गिरने के कारण पेयजल समस्या का संकट उत्पन्न हो गया है उससे निजात पाने में मदद मिलेगी। माननीय मंत्री जी ने कल सदन में कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है, मैंने भी उसे पढ़ा है लेकिन सामान्यतः अधिकारी इस प्रकार का निर्णय लेने में जरूर सरकार का संरक्षण चाहेंगे, मेरा यह निवेदन है कि कृपा करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह राजस्व को जिसमें आपको सहूलियत हो दे दें अगर इन पांचों ट्यूबवेलों को रिबोर करने का पैसा मिल आएगा तो पेयजल संकट से निजात मिल जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि की नियम-52 की सूचना पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष-

मैं समझता हूं कि इस पर 10 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जैसा आपका निर्देश होगा, औपचारिक प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, आप जो समय तय करेंगे, आपका विवेक है, आपका आदेश है, धन्यवाद।

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि की नियम-52 की सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, सूखे जैसे संवेदनशील और गम्भीर प्रश्न पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी) आदि माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा में भाग लिया और मान्यवर, इस चर्चा में जिन गम्भीर बिन्दुओं की ओर इंगित किया और अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर इन लोगों ने रोशनी डाली है उनको महज वाद-विवाद में पक्ष और विपक्ष के नाते जो बातें उन्होंने कही हैं उनको नकार देने का इरादा सरकार का नहीं है। सचमुच में यह दूसरे प्रकार का प्रश्न है यह राजनीतिक प्रश्न नहीं है, यह ठीक बात है कि इससे निपटने के लिए जो इन्तजाम किए जाने हैं सरकार वह इन्तजाम करने के लिए बाध्य है और हम अपनी इस जिम्मेदारी का भी बखूबी समझते हैं। हम सरसरीतौर पर दो-तीन बातें जरूर आपके माध्यम से माननीय सदस्यगणों को इंगित करना चाहते हैं यह बात सही है कि बारिश आवश्यकता से कम हुई है यह बिल्कुल सत्य बात है उसमें यदि आंकड़ों में जाएं तो हर जिले की अलग-अलग स्थिति है जैसा अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया है लेकिन वस्तुस्थिति इतनी भयावह नहीं है। माननीय इन्द्रजीत सरोज जी और नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी ने इलाहाबाद शहर में बिजली कटौती का जो मुद्दा उठाया है उसे सूखे से जोड़ना उचित नहीं है शहरों में आपका अपना ए0सी0 चलाने के लिए बिजली नहीं मिली सवाल यह नहीं है और यह विषय सूखे की समस्या का अंग भी नहीं है। उत्तरांचल राज्य का गठन होने के बाद हमारे पास हाईड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट नहीं रह गई और इसका प्रभाव हमारा जो ओबरा और

दूसरी जो इकाई है उस पर भी पड़ा है, प्रदेश में बिजली की कमी है उत्पादन की कमी है और इस कमी की पूर्ति हम करना चाहते हैं मान्यवर, जो एन0टी0पी0पी0 को और दूसरी थर्मल ग्रिड्स है उनसे हम बिजली आयात करके बिजली की आपूर्ति पूरी करना चाहते हैं लेकिन 30 करोड़ रुपये प्रतिदिन खर्च करने के बाद भी प्रदेश की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच फासला बना हुआ है।

मान्यवर, और यह सच्चाई है इसको स्वीकार करने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि अनवरत् विद्युत आपूर्ति की आज आवश्यकता है। सिंचाई के मामलों में थोड़ी बहुत कमी आयी है कुछ जगहों पर बारिश ज्यादा कम हुई है। मान्यवर, सूखे से सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वह जल की कमी हो जाती है। पेजयल के लिए चाहे हैण्डपम्प से पानी लेने की बात हो या नलकूपों से पानी लेने की बात हो और उससे सिंचाई की व्यवस्था की बात हो, सूखे में सबसे पहली कमी पानी की हो जाती है। जो आपने बात रखी है मैं उससे अपने को जोड़ना चाहता हूं और जिन समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है उस समस्या से सरकार का सरोकार है और प्रत्येक बिन्दु पर सरकार कार्यवाही करने के प्रति गम्भीर है। सरकार मान्यवर, इस विषय पर कितनी संवेदनशील है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्य मंत्री जी ने इसकी बाबत दो समीक्षा बैठकें की हैं और मुख्य सचिव को उन्होंने निर्देशित किया है कि आप पूरे प्रशासन तंत्र को दुरुस्त करने का काम कीजिए, कहीं से कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास किसी स्तर पर ढिलाई होने की कोई सूचना हो तो आप हमें बतायें ऐसे किसी दोषी अधिकारी को छोड़ने का काम यह सरकार नहीं करेगी। हम सरकारी अफसरों से दरबार लगवाने वाले लोग नहीं है। सरकारी अफसर जनता की सेवा के लिए हैं इस कठिनाई के क्षण में उन्हें जनता की सेवा के लिए आगे आकर खड़ा होना पड़ेगा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने अपनी मण्डलीय समीक्षा बैठकों के दौरान की जो अपनी प्राथमिकताएं रखी हैं, उसके सम्बन्ध में 27 जुलाई, 2004 को मुख्य सचिव की ओर से एक शासनादेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। मैं उसका सारांश बता देता हूं ताकि उसके अनुसार आप अपने क्षेत्र में वस्तुस्थिति को देख सकें।

उसमें बिन्दु हैं-लक्ष्य के अनुसार खरीफ आच्छादन की फसलवार स्थिति बदली हुई कृषि पद्धति के अनुसार वैकल्पिक बीज (पशुचारा हेतु भी) खाद्य एवं कीटनाशक की आवश्यकता एवं उपलब्धता। रोस्टर के अनुसार नहरों के टेल तक चलने की स्थिति, सभी पोखरों में जल की उपलब्धता, यांत्रिक एवं विद्युत दोष से अलग-अलग कुल खराब तथा 15 दिन से अधिक समय से खराब राजकीय नलकूपों की संख्या, कृषि क्षेत्र में पम्प कैनाल तथा नलकूपों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली उपलब्ध कराना। इसी तरह से खाद्यान्न का सदुपयोग, महामारियों को फैलने से रोकना आदि। इसमें उनसे अपने स्तर पर पूरी दृष्टि रखते हुए संबंधित विभागों से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित की गयी है।

मान्यवर, हमने यह नहीं कहा है कि इस शासनादेश के जारी होने के बाद सब हो गया है। इसमें जो बिन्दु हैं इन सभी बिन्दुओं में सरकार की दृष्टि का चिन्तन का समावेश किया गया है। सरकार इस विषम परिस्थिति के निदान के लिए डटी हुई है। यह सही है कि ग्यारह जनपदों में सामान्य से इतनी कम बारिश हुई है कि उन्हें सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है लेकिन यह रिपोर्ट तीन दिन पुरानी है। तीन दिन के अन्दर अन्य जिले भी इसमें बढ़ सकते हैं। मान्यवर, जिन जनपदों में 50 प्रतिशत की फसल का नुकसान है वहां के बारे में निर्देश दिये गये हैं और स्थायी निर्देश भी हैं कि

50 प्रतिशत फसल की नुकसान की खबर होते ही फसलों पर जो वसूली है और जो वसूली में सामान्य देय है, बैंक के बकाया और दूसरे बकाये की बात मैं नहीं करता हूं, आबपासी और लगान की वसूली तत्काल स्थगित कर दी गयी है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, हम लोग यह निर्णय कर के आये हैं। यह सरकार किसानों की समस्याओं से जूझने वाली है और उससे निजात दिलाने वाली सरकार है। कृषि विभाग की बात आपने रखी है मैं आंकड़ों के खेल में जाना नहीं चाहता हूं। पिछले वर्ष खरीफ की फसल के लिए जितनी जमीन आच्छादित की गयी थी उससे तीन प्रतिशत ज्यादा इस बार बोया है बावजूद इसके कि प्रतिकूल स्थिति है। फसलें उतनी अच्छी होंगी हम यह विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं। मान्यवर, आंकड़ों में जाकर यह काम चलने वाला नहीं है। सिंचाई से सम्बन्धित कई बात कही गयीं, आदरणीय हरीश जी ने कहा कि नदियों में पानी नहीं है तो नहरों में पानी कहां से होगा, लिफ्ट इरीगेशन ने पानी उठाना बन्द कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी एक नदी से चलने वाली इरीगेशन लिफ्ट का कोई नहर जहां इतना नीचा पानी चला गया हो कि लिफ्ट करने लायक स्थिति न हो, कहीं भी ऐसा नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

(बैठे हुए) मेरे यहां, दिखवा लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

हम दिखवा लेंगे।

मान्यवर, चर्चा में कहा गया यहां सूखा, वहां सूखा खेत सूखे है हम हरे हैं, इसका क्या मतलब है। इस स्थिति में आने वाले पक्ष और विपक्ष के सदस्य हरे भरे हैं, सारे प्रदेश में सूखा हुआ है इन सामान्य वार्ता को कह देने से काम चलने वाला नहीं है। जितने निर्देश दिये गये हैं उनके उल्लंघन की जब भी कोई सूचना देंगे तो गम्भीरता से कार्रवाई की जायेगी। पेयजल में उसके जो निर्देश दिये गये थे हैण्डपम्प के लिए वह प्राविधान कर दिया गया है उसके विषय में दोहराकर कोई दूसरी बात नहीं करना चाहता हूं।

एक बात और है कि अब तक आप पिछली सरकारों का लेखा जोखा देख लीजिए मैं आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाना चाहता और न ही उन्हें दोहराकर सदन का समय बरबाद करना चाहता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमने प्रबन्ध किया है महामारी न फैले सूखे के असर से चारे की कमी इतनी न हो जाय कि मवेशी मरने लगें राजस्थान में जिस तरह से सैकड़ों हजारों मवेशी मरने लगे थे, यह सारा इन्तजाम किया है। ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत जो दो योजनाएं चलती हैं श्रम आधारित योजना है उनको चलाये जाने की व्यवस्था सरकार ने की है और इसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि यह 785 करोड़ रुपये का परिव्यय और 8 लाख 73 हजार 89 मीट्रिक टन खाद्यान्न इसके लिए आवंटित है, उस पर कोई आयेगी तो नियमानुसार उसकी घोषणा कर देंगे। कृषक मजदूर जो खेत पर निर्भर है कृषक के साथ-साथ उस खेती पर निर्भर मजदूर जो उस पर रोजी कमाता है जब फसल चली जायगी तो उस खाद्यान्न को और इस योजना को चलाये जाने के लिए धन का भी प्रबन्ध किया गया है। ऊर्जा पर अलग से चर्चा होगी कल उसको विस्तार से लिया जायेगा। ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए अपनी संकल्पबद्धता दिखाते हुए जो प्रबन्ध किया गया है उसके ऊपर जानकारी हो जायेगी। हमारे थोड़े से कदम जो सरकार ने उठाये हैं वह आपके सामने रख देना चाहता हूं। मैं अपनी उन बातों को न दोहराते हुए एक बात कहना चाहता हूं। आप सुनिश्चित सूचना लिखकर दे

दीजिए चाहे हम लोगों के कक्षों में दे दीजिए यह सदन चल रहा है इसके पटल पर दे दीजिए, हमको प्राप्त हो जायगी। अगर ट्यूबवेल ज्यादा समय से खराब है चाहे मैकनिकल या इलेक्ट्रिकल किसी भी वजह से (टोका-टाकी होने पर व्यवधान) नहर में अगर टेल तक पानी नहीं जा रहा है तो लिखकर दे दीजिए हम व्यवस्था करेंगे। हेड पर भले न हो लेकिन खेतों में उसका असर है आवश्यकता ज्यादा है। हम चाहे जितने जोर से इस समस्या को उठाये चाहे जितने जोर से इसको झुठलायें लेकिन उससे मामला हल नहीं हो जायगा। आपकी भावना रही है यह पूरे सदन के लिए गम्भीरता का विषय है, सिर्फ प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष के बीच वाद-विवाद का विषय नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या से निजात पाने के लिए जो विषय है उस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, दो तीन बात और आपके सामने रखकर इसको समाप्त करूंगा। सूखाग्रस्त जिले जो सूखाग्रस्त होने की सूची में आ गये हैं, वह कल तक मात्र 13 जिले थे, वैसे 41 की संख्या है। जिनके आंकड़े आ गये हैं सरकारी स्तर पर। इनमें हैं आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा, इलाहाबाद, इटावा, औरैय्या, हमीरपुर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, बागपत, गाजीपुर, इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, यह आंकड़ा अभी अन्तिम नहीं है। मान्यवर, 41 जिलों में औसत से कम वर्षा हुयी है, अभी बुन्देलखण्ड के जिलों का जिक्र मैंने नहीं किया, महोबा, झांसी की भी ऐसी ही स्थिति है। मैं कोई फैक्ट या तथ्य छिपाकर नहीं कहना चाहता। उपायों के सम्बन्ध में हम कहना चाहते हैं, आपने आपदा राहत के नाम पर जिन निधियों का जिक्र किया है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि तत्काल आपदा राहत दिये जाने के प्राविधान हैं और बजटरी प्राविधान जो किया गया है, वह 180 करोड़ के आसपास का है, उसमें धन की कमी नहीं होने पायेगी, क्योंकि इसके नार्म भारत सरकार तय करती है, राज्य सरकार को इसे तय करने का अधिकार नहीं है। इसमें 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार देती है, उसके जो मानक हैं, उन मानकों में राहत देने के लिये सचमुच किसी भी तरह धन का अभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि हमें राष्ट्रीय आपदा कोष से धन लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो जैसा आपने कहा कि समस्त सदन का सहयोग लेकर भारत सरकार से मांग करने का काम करेंगे। हालांकि समस्या अभी इतनी गम्भीर नहीं हुयी है।

माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने कहा कि केन्द्र सरकार से कहें कि उनकी टीम आ जाय। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि जब पिछली बार बाढ़ आई तो जितना नुकसान बाढ़ से नहीं हुआ, उससे ज्यादा जलभराव से हुआ और एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद आदि जिले बुरी तरह प्रभावित हुये। तो मैं बता रहा था कि हमने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया, उन्होंने 4 टीमें भेज दी। चारों टीमों ने जाकर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी और 1958 करोड़ की क्षति अनुमानित की। इसमें इस तरह का नुकसान भी हुआ, कि जैसे आंधी आई और खम्भे उखड़ गये। इसमें बिजली, स्वास्थ्य सुविधा आदि का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन सबसे ज्यादा सड़कें बरबाद हुयीं। इस पर हमने उनसे 2 हजार करोड़ की मांग की। तो यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश की ओर से जितनी मांग की गयी, उससे कहीं ज्यादा की क्षति हुयी है। लेकिन मुझे यह कहते हुये कष्ट होता है कि केन्द्र सरकार ने मात्र 20 करोड़ ही दिये। उपाध्यक्ष महोदय, किसकी सरकार थी, मैं कहूंगा तो अभी राजनैतिक सवाल हो जायेगा। लेकिन इसको महसूस किया जाय सभी दलों के लोग इस सदन में बैठे हैं कि किसकी सरकार थी और क्या स्थिति बनी। माननीय बाजपेयी जी, 2 हजार करोड़ की जगह मात्र 20 करोड़ केन्द्र सरकार ने हमको दिये। सदन अगर सहमत होता तो सदन की राय लेकर मैं तो उसे वापस कर देता और उस राशि को लौटा देता। कहता कि इसको रखो। आप अनुमान करें कि कैसे 20 करोड़ में काम होता। यह आपको अवगत कराना मेरा दायित्व है। यह स्थिति केन्द्र सरकार की थी, राज्य के

प्रति। इसलिए केन्द्र सरकार की टीम जल्दी से आ जाय और हमको राहत मिल जाय, यह हमको उम्मीद नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनसे विनम्रतापूर्वक अवश्य अनुरोध करेंगे। लेकिन अपने संसाधनों से जो करने का काम किया है, उसके विषय में विनम्रतापूर्वक अवगत करा रहा हूं। हमने इसके पहले 12 जुलाई को प्रत्येक जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया है, शासनादेश के माध्यम से कि भुखमरी की स्थिति में अगर कोई भी भूख से मर गया तो इसके लिए कलेक्टर जिम्मेदार होगा, लेखपाल नहीं। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि सरकार प्रदेश के किसानों के साथ है और किसानों की फसल बचाने के लिए हम अधिक से अधिक जितनी कि हमारी सामर्थ्य है, हम प्रयत्न कर रहे हैं और अधिक से अधिक बिजली हम उपलब्ध करायेंगे। नहरों और ट्यूबवेल को चलायेंगे, सभी तालाबों को, जो मई, जून में भर गये थे वह सूख गये हैं उनको भरने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और इसके लिए निर्देश भी दिये जा रहे हैं। किसी को भुखमरी से मरने नहीं देंगे, जल और पशु स्वास्थ्य का ध्यान रखा जायेगा। जिस किसान की 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षतिग्रस्त होगी उसे कृषि निवेश अनुदान के रूप में एक हजार रुपये प्रति हेक्टेयर असिंचित भूमि में ढाई हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और जिसमें बारहों महीने सिंचाई न हुई हो उसे चार हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि निवेश अनुदान उपलब्ध करायेंगे। यदि पेयजल का संकट होगा तो सरकार ने योजना बनाई है कि टैंकरों से पानी भिजवायेंगे और पानी की कमी नहीं होने देंगे। प्रदेश के 33 स्थानों पर जैसे मथुरा, हाथरस आदि जगहों पर टैंकर से पानी देने का काम किया गया है। 13 जिलों में फसलों की क्षति 50 प्रतिशत से अधिक है, उनकी वसूली स्थगित की जाती है, इसकी घोषणा मैं अभी इसी सदन में करता हूं। हमारे बाजपेयी जी ने जो उल्लेख किया है, उसके लिए मैं जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगा लेता हूं और उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, की जाएगी।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

इस समय तिलहन और दलहन की बहुत बड़ी कमी है, इसको भी शामिल कर लीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पानी के लिए निजी नलकूप चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कही, बिगड़े हुए ट्यूबवेल की कोई बात नहीं कही, इससे मालूम होता है कि यह सरकार जो किसानों की दुहाई देती है वह किसानों की हितैषी नहीं है इसलिए मैं इस किसान विरोधी सरकार के विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 03 अगस्त, 2004 को नियम-56 की 4 सूचनाओं को नियम-51 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-51 के अन्तर्गत कुल 53 सूचनाएं प्राप्त हुई।

पहली सूचना, श्री नवाब सिंह नागर की जो जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद थानान्तर्गत राजीव नगर कालोनी में कांवरियों की सेवा के लिए लगाये गये पंडाल में गुण्डों द्वारा की गयी फायरिंग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना, श्री राम नरेश यादव की जो जनपद आजमगढ़ के थाना तहवरपुर की पुलिस द्वारा जनहित विरोधी रवैया अपनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जो प्रदेश के अनेक जिलों में मकानों, दुकानों एवं घनी आबादी के ऊपर से गुजरती विद्युत की हाईटेंशन

लाइनों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना, श्री राजेश कुमार की जो जनपद लखीमपुर खीरी के जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी कार्यालय में व्याप्त घोर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवी सूचना, श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जो आजमगढ़, सदर के मझारी बाजार में एक विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना, श्री विश्राम सिंह यादव की जो जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत बरौलिया से नोनखारा जाने वाली रोड का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना, श्रीमती विद्या चौधरी की जो जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत हरिबांध पोखरे पर बन रहे तहसील के निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि देने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना, श्री विनय शाक्य की जो जनपद औरैया के बिधूना क्षेत्रान्तर्गत रानी अहिल्याबाई होलकर राजकीय विद्यालय की समस्याओं का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। नवीं सूचना, श्री रमेश चन्द्र बिन्द की जो जनपद मिर्जापुर की तहसील सदर के ग्राम धौरूपुर व भरूहनी की भूमि उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना, श्री घूरा राम की जो उत्तर प्रदेश पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), इलाहाबाद द्वारा कांस्टेबिल (एम) के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना, श्री सुखदेव राजभर की जो जनपद आजमगढ़ के थाना बरदह अन्तर्गत ग्राम जिबली में आई बारात से एक बालक का अपहरण हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना, श्री वसीम अहमद की जो मुस्लिम इसाई सम्प्रदाय की कतिपय उप जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तेरहवीं सूचना श्री राम कृपाल की जो जनपद इलाहाबाद के मे0 त्रिवेणी ग्लास वर्क्स प्रा0 लि0, इरादतगंज के प्रबन्धतंत्र द्वारा मजदूरों के निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौदहवीं सूचना, श्री आर0 एस0 कुशवाहा की जो जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत पुरवा मजरा गंगा बेहड़ निवासी अमीन का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पन्द्रहवीं सूचना, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की जो जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पिकौरा का भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सोलहवीं सूचना, श्री अवधेश कुमार वर्मा की जो जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कांठ के ग्राम पडरीलाल के प्राथमिक विद्यालय का भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सत्रहवीं सूचना, श्री अनिल कुमार सिंह यादव की जो उत्तर प्रदेश सचिवालय के गृह विभाग के एक स्थानान्तरित अनु सचिव को गृह विभाग द्वारा कार्य मुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। अठारहवीं सूचना, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जो उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों व नगर निगमों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित नियमावली का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। उन्नीसवीं सूचना, श्री मदन चौहान की जो जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में माइनर में टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। बीसवीं सूचना, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया की जो जनपद गाजियाबाद की गन्ना सहकारी समिति धौलाना में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। इक्कीसवीं सूचना, डा0 पूर्णमासी देहाती की जो पत्राचार बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों का परीक्षाफल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। बाइसवीं सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना की जो शाहजहांपुर नगर की सीवर लाइन को

पूर्ण कराकर चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तेइसवीं सूचना, श्री राम इकबाल सिंह की जो जनपद बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत गांव पूर, तहसील सिकन्दरपुर की चकबन्दी पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। चौबीसवीं सूचना, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की जो गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, झूंसी, इलाहाबाद में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। पच्चीसवीं सूचना, श्री बीजू पटनायक की जो जनपद गाजीपुर में 29 मई को आये चक्रवाती तूफान से हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। छब्बीसवीं सूचना, श्री आर0 के0 सिंह पटेल की जो जनपद चित्रकूट के बुन्देलखण्ड विकास निधि से स्वीकृत कार्यों को धन देकर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सत्ताइसवीं सूचना, श्री मुंशी लाल गौतम की जो उत्तर प्रदेश के असेवित क्षेत्रों में जनसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों को अनुदान प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले पंजीयन पर लिये जाने वाले शुल्क से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। अट्ठाइसवीं सूचना, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) की, जो प्रदेश की स्थानान्तरण नीति के तहत जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। उन्तीसवीं सूचना, श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा की जो जनपद बाराबंकी के सुमली नदी सरसवां घाट पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तीसवीं सूचना, श्री कल्याण सिंह दोहरे की जो कन्नौज के गंगा नदी में कुसुम खोर घाट पर पीपे का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। इक्तीसवीं सूचना, डा0 सुशील चौधरी की जो जनपद लखनऊ की थाना कैण्ट में श्रीमती जुबैदा खातून की तरफ से फर्जी मुकदमा दर्ज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बत्तीसवीं सूचना, श्री रामपाल वर्मा की जो जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला के ग्राम सभा महरोनिया के प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार पूर्वक की जा रही कार्यवाहियों के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई-श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री राम करन आर्य, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह', श्री दिलीप कुमार वर्मा, श्री छोटे लाल यादव, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्रीमती राजरानी रावत, डा0 विनोद तिवारी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री राम हेत भारती, श्री प्रागी लाल अहिरवार, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरि प्रताप सिंह, श्री राजेश कुमार, श्री नवाब सिंह नागर, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल एवं श्री महेन्द्र कुमार सिंह।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में नदियों पर पुलों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री आलमबदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

लोक निर्माण, कृषि, विदेश व्यापार मंत्री (शिवपाल सिंह यादव)-

[प्रश्नगत सूचना के माध्यम से मा0 सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद जनपद-आजमगढ़ अन्तर्गत निम्न सेतुओं का निर्माण कराये जाने का अनुरोध शासन से किया है :-

1-कोटिला मंगरावां के मार्ग पर ग्राम खालिसपुर के पास मंगई नदी पर लकड़ी का पुल।

2-सरायमीर रूपड़ा गांव मार्ग पर बीनपार के समीप कुंवर नदी पर लकड़ी का पाईल सेतु।

3-निजामाबाद फूलपुर मार्ग पर दत्तात्रेय नदी के समीप कठवा का पुल।

2-इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों से सूचना एकत्रित की जा रही है।]

प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्राथमिक अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी थी कि राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय मान्यता प्राप्त असहायतित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गयी है। लेकिन यह सुविधा अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त संलग्न प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों के संबंध में जारी नहीं हुई है जो कि असमानता है और न्यायहित में इन विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ायी जानी चाहिए।

उपरोक्त के संबंध में यह अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-127/15-8-2004-16 नियम-2003 टी0सी0 दिनांक 04 फरवरी, 2004 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अधिवर्षता आयु में वृद्धि किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। इस प्रकार 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष की गयी है साथ ही साथ 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवानिवृत्तिक लाभ 62 वर्ष अधिवर्षता आयु पर अनुमन्य किया गया है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1921 की धारा-2 (ख) में निम्नवत् व्यवस्था है :-

"संस्था का तात्पर्य मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज, हायर सेकेन्ड्री स्कूल या हाई स्कूल से है और जहां सन्दर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, उसके अन्तर्गत संस्था का भाग भी है और संस्था के प्रधान का तात्पर्य ऐसी संस्था के यथास्थिति, प्रिन्सिपल अथवा प्रधान अध्यापक से है,"

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अशासकीय प्राइमरी माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध होने के कारण शासनादेश दिनांक 04 फरवरी, 2004 में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्राविधान सम्बद्ध प्राइमरी के शिक्षकों पर भी लागू है। इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण भी शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।]

जनपद गाजियाबाद के खोडा कालोनी में पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[श्री मदन चौहान, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि जनपद गाजियाबाद में नेशनल हाईवे के साथ सटी खोडा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कालोनी जिसकी आबादी लगभग पांच लाख है। सभी नागरिक पीने के पानी, विद्युत व्यवस्था व सड़क व्यवस्था से परेशान है। जनता पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है। सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त व्यवस्था करने की कृपा करें तथा नगरपालिका बनाने के निर्देश देने की कृपा करें।

2-खोडा कालोनी के विकास और रख-रखाव का दायित्व वर्तमान में संबंधित ग्राम पंचायत का है। उपरोक्त के संबंध में उल्लेख करना है कि जनपद गाजियाबाद में नेशनल हाईवे के साथ सटी खोडा कालोनी निकाय की सीमान्तर्गत नहीं है। परिसीमन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में शासन के निर्वाचन विभाग के आदेश संख्या-645/61-04-61 (20)/61 (20)/2002, दिनांक 22 जून, 2004 द्वारा लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के कारण नई प्रशासनिक इकाईयों का सृजन प्रतिबन्धित किया गया है।

3-उपर्युक्त सूचना के संबंध में जिलाधिकारी, गाजियाबाद से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद गाजियाबाद में नेशनल हाईवे के साथ सटी खोडा कालोनी में 114 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। जिला योजना में इस ग्राम की पेयजल योजना बनाकर कार्य कराने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। जिला योजना में इसके लिए रु0 80 लाख का प्राविधान वर्ष 2004-05 के लिए किया गया। नियोजन विभाग ने रु0 54.29 लाख का परिव्यय प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कर दिया है। इस योजना के विरचन हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। पेयजल योजना की मास्टर प्लानिंग सम्पूर्ण खोडा कालोनी के लिए बनाई जानी है।

4-जनपद गाजियाबाद की खोडा कालोनी में वर्तमान में लगभग 14 घण्टे औसतन विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है। विद्युत व्यवधान का मुख्य कारण इस क्षेत्र की विद्युत लाइनों का कमजोर होना है क्योंकि इस क्षेत्र की लाइनों तथा उप स्थानों का निर्माण उपभोक्ताओं द्वारा समितियां बनाकर स्वयं कराया गया है जो मानकों से कम स्तर का है।

5-ग्राम खोडा में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या पर नोएडा बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त नोएडा प्राधिकरण की ग्रामीण आबादी एवं भूमि प्रबन्ध व्यवस्था विनियम-2000 का अनुमोदन शासन में विचाराधीन है।]

जनपद वाराणसी के अन्तर्गत नगर पालिका रामनगर में स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के संबंध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[जनपद वाराणसी में रामनगर में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण द्वितीय प्रणाली के पारेषण के कार्यक्रम में तकनीकी परीक्षण के उपरान्त वर्ष 2000-2001 में सम्मिलित किया गया है। इस उपकेन्द्र की प्रस्तावित क्षमता 1x5 एम0बी0ए0 है तथा सम्बन्धित 33 के0वी0 लाइन की लम्बाई 7 सि0कि0मी0 है। इसकी अनुमानित लागत रु0 85.88 लाख है। गत वर्षों में इस उपकेन्द्र के निर्माण हेतु किसी भी योजना के अन्तर्गत धन प्राप्त नहीं हुआ था। कारपोरेशन की विषम आर्थिक स्थिति तथा संसाधन के अभाव के कारण धन की व्यवस्था नहीं हो सकी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अब संदर्भित उपकेन्द्र का निर्माण ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। उपकेन्द्र का जनपदीय कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है तथा शीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।]

जनपद कुशीनगर के ब्लाक सुकरौली की ग्राम सभा द्वारा इन्दिरा आवास पात्र व्यक्तियों को न देकर अपात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, कुशीनगर के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर की आख्या प्राप्त की गई है। प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सुकरौली की ग्राम पंचायत देवकली की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 1860 है, जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या 449 है। वर्ष 2001-2002 में प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत श्री लालता पुत्र बल्ली (अनुसूचित जाति) को तथा श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी टुन्नू (अनुसूचित जाति) को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत एक-एक आवास उपलब्ध कराया गया है। यह दोनों ही लाभार्थी अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। श्री लालता पुत्र बल्ली पांच भाई हैं जो अलग-अलग झोपड़ी बनाकर रहते हैं तथा इनके हिस्से में लगभग 15 या 20 डि0 जमीन है। श्री लालता की माता मु0 अतवारी देवी एवं अन्य उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा यह बताया गया है कि उक्त आवास आवंटन में ग्राम प्रधान अथवा बहुउद्देशीय कर्मी को कोई सुविधा शुल्क अथवा रिश्वत नहीं दी गयी है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 व 2003-2004 में ग्राम पंचायत देवकली में कोई आवास आवंटित नहीं हुआ।

वर्ष 2003-2004 में ग्राम पंचायत देवकली को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो धनराशि प्राप्त हुई है, उसके सापेक्ष उक्त वर्ष में खड़न्जा मरम्मत, पंचायत भवन सभा कक्ष निर्माण, 6 कुओं के जगत की मरम्मत, नाली की मरम्मत व ड्रेन की सफाई इत्यादि जैसे बीस निर्माण कार्य कराये गये हैं तथा ग्रामवासी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्णतयः संतुष्ट है।

अतः यह कहना सही नहीं है कि विकास कार्य में ग्राम पंचायत देवकली द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि का प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दुरूपयोग किया गया है।]

जनपद प्रतापगढ़ में सूडा में विकास कार्यों के लिए नामित सदस्यों को गलत तरीके में नामित किये जाने के संबंध में श्री हरि प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा डूडा, प्रतापगढ़ में विकास कार्य के लिये सदस्यों को गलत तरीके से नामित किये जाने के सम्बन्ध में उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गई है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, प्रतापगढ़ द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरण की शासी निकाय की समिति में किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया है बल्कि जिला नगरीय विकास अभिकरण की शासी निकाय की आहूत बैठक दिनांक 14-7-2004 में मात्र प्रशासनिक सहूलियत हेतु यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत शासी निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों को वरीयता क्रम प्रदान करने हेतु निम्नलिखित लोगों की समिति द्वारा संस्तुति की जायेगी जिससे कार्यों में अधिक पारदर्शिता आ सके :-

1-उप जिलाधिकारी, सदर, प्रतापगढ़	अध्यक्ष
2-अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका	सदस्य
3-श्री बन्ने खां, सभासद, भैरोपुर वार्ड	सदस्य
4-अध्यक्ष, सी0डी0एस0, महुली	सदस्य
5-परियोजना अधिकारी, डूडा	सदस्य

3-अतः उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ द्वारा अभिकरण की शासी निकाय में कोई भी सदस्य नामित नहीं किया गया है, अपितु उपर्युक्त समिति केवल चयनित कार्यों के सापेक्ष वरीयता क्रम निर्धारण की संस्तुति हेतु प्रशासनिक सहूलियत प्रदान करने के लिये बनाई गई है।]

श्री हरि प्रताप सिंह-

मान्यवर, जो उत्तर आया है वह गलत है। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने एक उप समिति बना दिया है जो नियमों के विरुद्ध है इस उप समिति को निरस्त करते हुए सदन को अवगत कराया जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, विधेयक में स्पष्ट है कि जनपद प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी ने नगरीय विकास अभिकरण की शासी निकाय की समिति में कोई भी सदस्य नामित नहीं किया है तो यह नियम विरुद्ध कैसे हो गया ? इसके अतिरिक्त कोई अनियमितता है तो उसको लिखकर दे दीजियेगा हम दिखवा लेंगे।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत सूखे क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को स्वीकृत किये जाने की घोषणा के उपरान्त भी पूरा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष-

इस वक्तव्य को आगे के लिए स्थगित किया जाता है।

प्रदेश में तदर्थ रूप से नियुक्त आयुर्वेद/यूनानी चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री में दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, कार्मिक विभाग की अधिसूचना ....

[दिनांक 20-12-2001 द्वारा प्राख्यापित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 में 30 जून, 1998 तक या इससे पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे की गयी ऐसी तदर्थ नियुक्तियां जो नियमावली, 2001 के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत हो और नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हों तथा जिसने 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, को उपलब्ध रिक्ति में संगत सेवा नियमों के अन्तर्गत उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विनियमित किये जाने की व्यवस्था है। उक्त नियमावली में विहित प्राविधानों के अनुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त चिकित्साधिकारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक एवं यूनानी के विनियमितीकरण हेतु सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 2003 द्वारा एक समिति गठित की गयी है। उक्त समिति द्वारा उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) समूह "क" और "ख" सेवा नियमावली, 2003 के संगत नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य (तदर्थ रूप से नियुक्त) के विनियमितीकरण पर विचार किया गया और समिति की संस्तुतियों के अनुसार आदेश दिनांक 27-12-2003 द्वारा 1051 पदों पर विनियमितीकरण किया जा चुका है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्त चिकित्साधिकारियों के विनियमितीकरण हेतु आवश्यक सूचनाएं एवं चरित्र पंजिकाएं निदेशक, आयुर्वेद से मांगी गयी है, जिसके प्राप्त होने तथा उत्तर प्रदेश राज्य एवं उत्तरांचल राज्य के मध्य इस संवर्ग के कार्मिकों के बंटवारे पर अंतिमीकरण हो जाने पर विनियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।]

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। 20 दिसम्बर, 2001 को विनियमितीकरण का आदेश सामुदायिक सेवा चिकित्साधिकारियों के लिए नहीं बल्कि सभी उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों जो तदर्थ आधार पर 1998 तक नियुक्त थे और विभिन्न विभागों में कार्यरत थे उनके विनियमितीकरण के लिए जारी किया गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यूनानी और आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, डिमान्सट्रेटर आदि जो 27-12-03 तक कार्यरत थे उनको विनियमित कर दिया गया है। लेकिन अभी 434 आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्साधिकारी ऐसे हैं जिनको विनियमित नहीं किया गया है। इसके लिए यह कहा जा रहा है उत्तरांचल से लोगों को आना है तो मैं जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को विनियमित करने के लिए डी0पी0सी0 बनाकर इनको विनियमित किया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उत्तरांचल से लोगों को आना है इसके लिए कई लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन भी दे रखे हैं। उनके रिप्रजेन्टेशन पर निर्णय होना शेष है। वरिष्ठता का निर्धारण हो रहा है। श्रीमन् जबकि यह प्रक्रिया में है इसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। इस वक्तव्य में पहले कह रखा है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो बातें कही गई हैं यह सब प्रक्रिया एक वर्ष पहले से पूर्ण हो चुकी है। अब कोई कारण नहीं है जिस कारण उनको रोका जा रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर में सांसद निधि द्वारा स्वीकृत सड़कों के निर्माण में कार्यदायी संस्था तथा डी0 आर0 डी0ए0 की मिली भगत में किये गये घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्री जी के अनुरोध पर इसको स्थगित किया जाता है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। हमें यह बता दें कि किस दिन और कितने दिन में उत्तर आएगा।

(इस समय 5 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अरविन्द गिरि पीठासीन हुए)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस मद पर पीठ से निर्देश आ चुका है। चूंकि यह स्थगित है इसलिए यहां पर सूचना नहीं है। श्री ओ0 पी0 सिंह हमें लिखकर दे दें या बात कर लीजिए इसकी व्यवस्था हो जाएगी।

जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम में विद्युत आपूर्ति हरदोई के किसी भी विद्युत उपकेन्द्र में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम स्थित ...

[33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति जनपद उन्नाव स्थित 132 के0वी0 उपकेन्द्र बांगरमऊ से की जा रही है।

मा0 विधायक जी की मांग है कि बिलग्राम उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र हरदोई से की जाये।

वर्तमान में 132 के0वी0 उपकेन्द्र हरदोई से सुरसा तक 33 के0 वी0 लाइन विद्यमान हैं, जिससे 33/11 सुरसा उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति की जाती है।

132 के0 वी0 उपकेन्द्र हरदोई से 33/11 के0वी0 बिलग्राम उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति करने हेतु सुरसा से बिलग्राम तक नई 20 किमी0 33 के0वी0 लाइन का निर्माण करना होगा जिस पर वर्तमान मूल्यों पर लगभग 58 लाख रुपये लागत आयेगी।

उक्त लाइन का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।]

जनपद आगरा में उफनते नालों एवं सीवर लाइनों की सफाई न होने से फैली गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[श्री जगन प्रसाद गर्ग, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि भारत के ऐतिहासिक नगर आगरा में उफनते हुए

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नाले, बहते (उफनते) सीवर लाइन के कारण गन्दगी व्याप्त हो गयी है। नालों की नियमित सफाई न किये जाने से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। नाला मण्टोला, नाला महाराणा प्रताप नगर, नाला पुनिया पाड़ा आदि की सफाई न होने के कारण उफनाकर बह रहे हैं, इसी तरफ बल्केश्वर, नूरी दरवाजा, कमला नगर आदि क्षेत्र के नालों की सफाई न होने से गन्दगी फैली हुई है जिससे महामारी फैलने तथा गन्दगी के कारण मच्छरों के प्रकोप से भयंकर बीमारी फैलने की आशंका है। उपरोक्त समस्या के कारण जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। मा0 सदस्य द्वारा उपरोक्त समस्या का निराकरण किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निगम, आगरा द्वारा नगर में स्थित सभी नालों की सफाई करा दी गयी है। इन नालों मे मा0 सदस्य द्वारा इंगित नाले यथा-नाला मण्टोला, नाला महाराणा प्रताप नगर, नाला पुनिया पाड़ा इत्यादि नाले भी सम्मिलित है। यह भी उल्लेखनीय है कि राधा नगर, नूरी दरवाजा, कमला नगर आदि नालों की सफाई करा दी गयी है और इस बात का विशेष प्रयास किया गया है कि नालों की सफाई गत वर्षों से अच्छी हो। मा0 सदस्य द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई महामारी की शिकायत की सूचना नहीं है। यथा सम्भव उचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। इन क्षेत्रों में नालों की सफाई की समस्या को लेकर कोई आक्रोश परिलक्षित नहीं हुआ है। फिर भी शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करवाकर सफाई करवाई जा रही है।]

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2003-04 के स्वीकृत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य प्रारम्भ न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मुंशी लाल गौतम की नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[श्री मुंशी लाल गौतम, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 29-7-2004 में प्रमुख रूप से यह सूचना दी गयी है कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर में वर्ष 2003-04 के प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़क का कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा रहा है। सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार के अधिकारी/कर्मचारी किसी भी योजना में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और जनपद में सड़कों की धनराशि इधर-उधर कार्यदायी संस्थाओं में घूम रही है।

मा0 सदस्य द्वारा इंगित बिन्दुओं/तथ्यों के संबंध में कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2003-04 हेतु कुल 04 पैकजों में 33 सड़कों, जिनकी कुल लम्बाई 50.255 कि0मी0 (पचास किलोमीटर दो सौ पचपन मीटर) तथा लागत रु0 999.64 लाख (रु0 नौ करोड़ निन्यानबे लाख चौंसठ हजार मात्र) के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये। प्रशासकीय स्वीकृति भारत सरकार से नवम्बर, 2003 में तथा धनराशि जनवरी, 2004 में (प्रथम किश्त) प्रदेश को प्राप्त हुई। उक्त स्वीकृत पैकेज में से दो पैकेजों में मा0 सदस्य के विधान सभा क्षेत्र के कार्य सम्मिलित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं। मानकीकृत बीडिंग अभिलेख के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत **04 पैकेजों की** निविदा दिनांक 24 फरवरी, 2004 को आमंत्रित की गयी। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी **व वित्तीय बिल** खोलने की तिथि क्रमशः दिनांक 29 मार्च, 2004 व 19 अप्रैल, 2004 निर्धारित की **गयी थी**। माह मार्च, 2004 में लोक सभा के चुनाव के परिपेक्ष्य आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण उक्त प्राप्त निविदाओं पर आगे की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। **लोक सभा** चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात् उक्त निविदाओं की तकनीकी व वित्तीय बिड क्रमशः दिनांक 17 **मई**, 2004 व 08 जून, 2004 को खोली गयी, जिसमें मा0 सदस्य के विधान सभा क्षेत्र से संबंधित दो पैकेज क्रमशः यू0पी0-1705 व यू0पी0-1706 की निविदायें विभागीय दरों से अधिक प्राप्त हुईं। अधिक दरों पर प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति के संबंध में एल0-1 (न्यूनतम निविदादाता) से निगोशिएशन किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 22 जुलाई, 2004 के क्रम में निविदाओं की स्वीकृति दिनांक 28-7-2004 को दी गयी। उक्त निविदाओं की स्वीकृति पत्र अनुबन्ध गठन हेतु निविदादाताओं को दिनांक 31-7-2004 को जारी कर दिये गये हैं। मा0 विधायक के विधान सभा क्षेत्र में आने वाली सड़कों से संबंधित पैकेज संख्या यू0पी0 1705 एवं यू0 पी0-1706 पर कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रगति पर है।]

प्रदेश में मानदेय डिग्री शिक्षकों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना पर अवगत कराना है कि प्रदेश के सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्यापकों के चयन के प्रयोजनार्थ उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग गठित है। उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था प्राविधानित है। आयोग के कार्यकाल में कठिनाई आने, कुछ समय तक आयोग के निष्क्रिय होने आदि कारणों से छात्र हित में अध्यापन की व्यवस्था हेतु शासन द्वारा अध्यपाकों के रिक्त पद पर निश्चित मानदेय के आधार पर स्टाप गैप अरेंजमेंट के तहत अध्यापन की व्यवस्था का निर्णय लिया गया। शासनादेश संख्या-467/सत्तर-2-98-3(19)/93 टी0सी0, दिनांक 07-04-98 द्वारा प्राविधान किया गया है कि मानदेय पर नियुक्त शिक्षक यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हताधारी हों, इनको वर्षानूवर्ष रखा जाये। प्रत्येक अध्यापक मानदेय पर अध्यापन प्रारम्भ करने से पहले प्रबन्धतन्त्र एवं निदेशक, उच्च शिक्षा को इस आशय का शपथ-पत्र उपलब्ध करायेगा कि वह मानदेय पर कार्य करने के एवज में नियमित नियुक्ति की मांग नहीं करेगा।

2-मानदेय अध्यापकों द्वारा विनियमितीकरण की मांग न करने के शपथ-पत्र देने के बावजूद मा0 न्यायालयों में नियमित प्रवक्ता के समान वेतन भुगतान करने आदि के बाद दायर किये गये हैं। रिट याचिका संख्या-37014/99, उच्च शिक्षित युवा कल्याण समिति बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 12-4-2002 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि याचिका संख्या-4812/1998 कु0 रेनू तिवारी बनाम शिक्षा निदेशक में दिनांक 4-10-96 को पारित आदेश की भांति प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय में निश्चित मानदेय के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रवक्ता के वेतनमान में वेतन का भुगतान किया जाये। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका घोषित की गयी है जो सम्प्रति मा0 उच्चतम न्यायालय में विलम्बित है।

3-सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन संख्या-44332/2003 मालविका शेखर बनाम निदेशक, उच्च शिक्षा एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अदेश दिनांक 29-9-2003 में महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अधीन वैध माना है तथा उक्त अधिनियम के प्राविधानों का विचलन करने पर प्रत्येक नियुक्ति को अवैध ठहराया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य को संज्ञान में लिया गया है कि प्रख्यापित अधिनियम में पूर्व में धारा-16 के अन्तर्गत तदर्थ नियुक्तियां करने का प्राविधान था, जिसे दिनांक 22-11-1991 को निरसित किया जा चुका है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निदेशित किया गया है कि सम्बन्धित प्राधिकार में जो सचिव, निदेशक, उच्च शिक्षा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सम्मिलित है, को यह देखना चाहिए कि मानदेय आधार पर नियुक्तियां अब न की जायें और ऐसी नियुक्तियां, जो मानदेय आधार पर की गयी हों, को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया जाये तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के उत्तर प्रदेश में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार चयन/नियुक्तियां की जायें।

4-मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 29-9-2003 के विरुद्ध देवेश टण्डन एवं अन्य तथा अन्य मानदेय शिक्षकों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-सीसी 11221/2003 योजित की गयी जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या-44332/03, दिनांक 29-9-2003 के आदेश के क्रियान्वयन को सुनवाई के समय तक स्थगित रखा जाये।

मानदेय शिक्षकों का प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।]

जनपद बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत शेष गांवों को लेपन सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की गई सूचना दिनांक 29-7-2004 में सूचित किया गया है कि उनके विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में वर्ष 2003-04 में 10 समग्र ग्रामों का चयन किया गया था जिसमें 31 मार्च, 04 तक केवल चार ग्रामों से ही लेपन स्तर तक जोड़ने हेतु धन दिया गया है, शेष 06 ग्राम कब तक लेपन स्तर तक जोड़ दिये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बलिया से प्राप्त आख्या में सूचित किया गया है कि चिलकहर विधान सभा क्षेत्र में मा0 विधायक श्री राम इकबाल सिंह द्वारा 10 ग्रामों, 1-मटिही (गाज), 2-कोडकरा, 3-असनवार, 4-विलोझा (भदोरा), 5-तद्दीपुर, 6-मैउलीकैनासपुर, 7-ईकइल, 8-सरया, 9-उरैनी, 10-खैरानिस्फी का चयन किया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इनमें से 01 ग्राम तद्दीपुर पूर्व से ही सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है।

शेष 09 ग्रामों में से चार ग्राम 1-मटिही (गाज), 2-कोडरा, 3-असनवार, 4-सहदेश (विलोझा भदौरा) खड़न्जा मार्ग से जुड़े थे। उक्त समस्त 09 ग्रामों की कार्ययोजना बनाकर प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण को प्रेषित की गयी है जिनमें से इन 04 ग्रामों क्रमशः 1-मटिही (गाज), 2-कोडरा, 3-असनवार, 4-सहदेश (विलोझा भदौरा) के सम्बन्ध में कार्यवाही करके निविदा प्राप्त कर ली गयी है। शेष 05 ग्रामों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग से जनपद की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।]

श्री राम इकबाल सिंह-

मैंने जो 10 ग्राम चयनित किए थे जिसमें 4 ग्राम में ही लेपन स्तर तक जोड़ने हेतु धन दिया गया है लेकिन पांच गांव कच्चे मार्ग पर थे उनके समग्र विकास के लिए उत्तर आया है कि लोक निर्माण विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष 2004 में इसकी स्वीकृति पहुंच जाएगी।

ऐसे ही 5 गांव छोड़ दिये जायेंगे या इसकी स्वीकृति मिल जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, आज इस प्रश्न पर सदन में विस्तार से चर्चा हुई है। अनेक कारणों से सड़कों का कार्य प्रारम्भ हुआ है और रिपोर्ट में भी विस्तार से कारणों के बारे में बताया गया है। योजना स्वीकृत है तो जरूर बनवाने का काम किया जायेगा।

जनपद संत कबीरनगर में कुआनों नदी के कटान से घिवरा गांव को बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[मा0 सदस्य द्वारा विधान सभा में यह सूचना दी गयी है कि जनपद संत कबीर नगर कुआनों नदी पर बसा घिवरा गांव, 50 घर का गांव है। इस गांव के कुआनों नदी में विलीन हो जाने का खतरा है। यदि कुआनों नदी में गांव के पश्चिम ठोकर लगा दिया जाये तो निश्चित ही 50 घर नदी में विलीन होने से बच जायेंगे।

इस सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार घिवरा गांव नाम का कोई गांव नहीं है। सूचना से सम्बन्धित मा0 सदस्य, विधान सभा से प्राप्त सूचना के अनुसार यह ग्राम घिवरा गांव के स्थान पर खोवसिया ग्राम है, जो कुआनों नदी के दायें तट पर धनघटा-गायघाट के पास सड़क से लगभग 1.00 कि0मी0 की दूरी पर नदी के किनारे स्थित है। इस गांव में लगभग 50 घर हैं, जिसमें 10 पक्के व शेष कच्चे हैं। गांव में लगभग 300 की आबादी है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि नदी द्वारा पिछले कई वर्षों से कटान जारी है और वर्तमान में नदी की दूरी गांव से लगभग 30 मीटर है। विगत वर्षों में अब तक कुल लगभग 20 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि नदी में विलीन हो चुकी है। कटान से अभी तक आबादी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह गांव फ्लड प्लेन जोन में बसा हुआ है। शासन की नीति के अनुसार फ्लड प्लेन जोन में बसी ग्रामीण आबादी की सुरक्षा हेतु बाढ़ से सुरक्षा कार्य नहीं कराये जाने और ऐसी आबादी को बाढ़ से बचाव हेतु जिला प्रशासन द्वारा अन्यत्र बसाये जाने की व्यवस्था है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग उत्तर प्रदेश में दैनिक लिपिकों का समायोजन कराये जाने के सम्बन्ध में ठाकुर मूल चन्द चौहान, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 9 जुलाई, 1998 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर दैनिक वेतन पर नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1998 के नियम-4 में दिनांक 29 जून, 1991 से पूर्व समूह "ग" के पद पर दैनिक वेतन के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये ऐसे दैनिक वेतन भोगी जो नियमावली, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत हों और दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति के समय उस पद पर नियमित नियुक्ति के लिए संगत सेवा नियमावली में विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हों, को उनके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विनियमित किये जाने की व्यवस्था है।

उक्त नियमावली में विहित प्राविधानों के अनुसार आयुर्वेद एवं युनानी विभाग में दिनांक 29 जून, 1991 से पूर्व नियुक्त तथा 9 जुलाई, 1998 तक निरन्तर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी लिपिकों की एक वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है। इस सूची के अन्तर्गत 39 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखे गये हैं। जिसमें से वरिष्ठता एवं आरक्षण नियमों के आधार पर विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर निदेशालय के आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 1999 द्वारा 12 दैनिक वेतन भोगी लिपिकों का विनियमितीकरण/समायोजन कनिष्ठ लिपिक के पद पर किया जा चुका है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से उक्त सूची के 2 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को कनिष्ठ लिपिक का वेतन भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दो दैनिक वेतन भोगी लिपिकों, जो अन्य पिछड़े वर्ग के थे, का विनियमितीकरण/समायोजन बैकलाग की नियुक्तियों के समय ही किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त सूची के 14 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का विनियमितीकरण किया जा चुका है, अवशेष दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के समायोजन/विनियमितीकरण के सम्बन्ध में निदेशक, आयुर्वेद की अध्यक्षता में आदेश संख्या-7623/18ए-82/96/अधि0, दिनांक 22-7-2004 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जो उक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार विनियमितीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। जहां तक अनुसूचित जाति के कोटे के अन्तर्गत फर्जी नियुक्तियां किये जाने का प्रश्न है, विभाग में इस प्रकार की कोई फर्जी नियुक्ति नहीं की गयी है तथा विभिन्न पदों पर पदोन्नतियों के मामलों में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।]

राज्य सम्पत्ति विभाग की टिकैतराय राजकीय कालोनी लखनऊ के अध्यासियों के आवासों में कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[राज्य सम्पत्ति विभाग की टिकैतराय राजकीय कालोनी, लखनऊ में टाइप-1 के 132, टाइप-2 के 318 एवं टाइप-3 के 225 अर्थात कुल 675 आवास हैं। जिनके अनुरक्षण हेतु आवास संख्या-2/232 में विद्युत एवं सिविल अनुरक्षण का कार्यालय स्थापित है जहां प्रातः 9.00 बजे से 2.00

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बजे अपराह्न तक अवर अभियन्ता एवं सप्ताह में दो दिन बुधवार एवं शनिवार को सहायक अभियन्ता बैठ कर शिकायतें सुनते हैं।

आवास संख्या-आर0 एस0 2/250 के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष शिकायत रजिस्टर के अनुसार केवल एक शिकायत टोंटी लगाने की प्राप्त हुई थी जिसे सामान्य मरम्मत मद के अन्तर्गत करा दिया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत आवास के विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत रु0 7,850/-का आगणन शासन को प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष रु0 7,850/-की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में कार्य प्रारम्भ करा दिये गये हैं, पानी की टंकी का बदलाव एवं दरवाजे लगाये जा चुके हैं साथ ही फर्श आदि के कार्य अविलम्ब पूर्ण करा दिये जायेंगे।

इस कालोनी में अनुरक्षण कार्यों को नियमित रूप से अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य करा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में वार्षिक अनुरक्षण कार्य हेतु रु0 2.75 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। जिसके अन्तर्गत दि0 01 अप्रैल, 2004 से अब तक इस कालोनी के टाइप-1 के आवासों की प्राप्त 223 शिकायतों में से 175 का निस्तारण किया जा चुका है, टाइप-2 के आवासों में 844 शिकायतों में से 508 शिकायतों एवं टाईप-3 के आवासों में 359 शिकायतों में से 209 शिकायतों का निस्तारण दि0 31-07-04 तक किया जा चुका है। लम्बित शिकायतों के 22 आगणन जिसकी अनुमानित लागत रु0 9.66 लाख है, शासन को प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष रु0 4.20 लाख की स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी है। साथ ही रु0 3.89 लाख के आगणन स्वीकृत हेतु विचाराधीन हैं।

स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष अब तक उक्त कालोनी के आवासों में 07 वाशवेसिन, 11 डब्लू0 सी0 सीट 09 सिस्टर्न, 27 दरवाजे एवं 12 पानी की टंकियां बदली जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य अनुरक्षण के कार्य तत्परता से कराये जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में टाइप-2 के 21 आवास, टाइप-3 के 14 आवास कुल 35 आवासों में पुताई कार्य कराया जा चुका हैं। टाईप-1 के 04, टाइप-2 के 05 तथा टाईप-3 के 24 कुल 33 आवासों में पेन्टिंग कार्य कराया जा चुका है।

आवासों में अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। उपलब्ध सीमित धनराशि के अन्तर्गत नियमानुसार अनुरक्षण कार्य कराये जा रहे हैं।]

जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का मरम्मत कार्य कराये जाने के संबंध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[विधान सभा क्षेत्र डलमऊ जनपद रायबरेली में स्थित कानपुर वाया ऊंचाहार-इलाहाबाद मार्ग वास्तव में लोक निर्माण विभाग में बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद राज्य मार्ग संख्या-38 के नाम से जाना जाता है, जिसके किलोमीटर 170 मुराईबाग (डलमऊ) से किलोमीटर 199 हजरतगंज तिराहा (ऊंचाहार) तक का लगभग 30 कि0मी0 लम्बा भाग क्षतिग्रस्त है, जिसके बीच-बीच पड़ने वाले आबादी के भाग में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जल निकासी न होने के कारण एवं यातायात का भारी बोझ होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होता रहता है जिसके समय-समय पर उपलब्ध संसाधनों से यातायात हेतु मरम्मत करायी जाती रही है।

प्रश्नगत मार्ग का निरीक्षण दिनांक 11-06-2004 को मुख्य अभियन्ता सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा किया गया और निरीक्षण के अनुपालन में केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत कि0मी0 157 से कि0मी0 199 तक कुल 42 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के आगणन की एक प्रति दिनांक 12-06-2004 को सीधे मुख्य अभियन्ता सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को उपलब्ध करा दिया गया है जिसकी लागत रु0 35.91 करोड़ आंकी गयी है। मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

नगरपालिका परिषद् फैजाबाद के शिव नगर कालोनी के जल निकासी हेतु नाला निर्माण के लिये अवशेष धनराशि को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लल्लू सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अधीन श्री लल्लू सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 29-7-2004 को निम्नानुसार सूचना दी गयी है :-

नगर विकास विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद् फैजाबाद के माध्यम से फैजाबाद नगर के शिव नगर कालोनी के जल निकासी हेतु नाला निर्माण के लिये बनाये गये प्राक्कलन 105.26 लाख रु0 के विरुद्ध कुल 25 लाख रु0 अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण को अवमुक्त किया गया था, अवशेष रु0 80.26 लाख की धनराशि अभी तक प्राधिकरण को अवमुक्त नहीं की गयी जिसके अभाव में उक्त योजना पूर्ण होना संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद द्वारा पत्रांक-53/04, दिनांक 26-5-2004 द्वारा फैजाबाद नगर के शिव नगर कालोनी के जल निकासी हेतु नाला निर्माण हेतु प्राक्कलन रु0 105.26 लाख के सापेक्ष रु0 80.26 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0 प्र0 शासन को लिखा है। परन्तु अभी तक इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी। प्रस्तावित नाले को प्रोजेक्ट के अनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र के जल निस्तारण हेतु टेल प्वाइन्ट तक न पहुंचाये जाने से योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है। इससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फैजाबाद तथा उपाध्यक्ष, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर यह अवगत कराना है कि अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् फैजाबाद के माध्यम से प्राक्कलन रु0 105-26 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-503/नौ-9-03-62 सी0एम/02, दिनांक 06 मार्च, 2003 द्वारा नगरपालिका

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिषद् फैजाबाद को सम्यक् विचारोपरान्त शिवनगर नाला निर्माण हेतु रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण के रूप में रु0 25.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। नगरपालिका, फैजाबाद से आगणन सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपेक्षित धनराशि दिये जाने पर विचार किया जाएगा।]

जनपद आजमगढ़ में नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा रासेपुर घनेहरी में पशु अस्पताल निर्माण हेतु धन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा-रासेपुर, घनेहरी में स्वीकृत पशु अस्पताल के निर्माण न होने से मरीजों को काफी कठिनाई हो रही है। शहर तक मरीजों के पहुंचते-पहुंचते दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। पशु अस्पताल निर्माण कार्य धन के अभाव में रुका हुआ है। निर्माण कार्य होना जनहित में आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि पशु चिकित्सालयों की स्थापना की योजना जिला योजना के अन्तर्गत आती है। विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में रासेपुर बाजार में पशु सेवा केन्द्र कार्यरत है। पशु सेवा केन्द्र को अपग्रेड कर पशु चिकित्सालय की स्थापना करने का प्रस्ताव जिला योजना की वर्ष 2004-05 की बैठक में रखा गया था परन्तु प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हो पाया। उक्त पशु सेवा केन्द्र को अपग्रेड करने हेतु प्रस्ताव पुनः वर्ष 2005-06 की जिला योजना की बैठक में स्वीकृति हेतु रखा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पशु चिकित्सालयों की स्थापना हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं नियोजन समिति प्रस्ताव अनुमोदित कर परिव्यय उपलब्ध कराती है। तत्पश्चात् वित्तीय व्यवस्था हेतु शासन स्तर पर विचार किया जाता है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2004 प्रश्नगत पशु सेवा केन्द्र को अपग्रेड कर पशु चिकित्सालय स्थापित करने हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं नियोजन समिति द्वारा न तो अनुमोदन प्रदान किया गया है और न ही परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त पशु सेवा केन्द्र को अपग्रेड कर पशु चिकित्सालय बनाये जाने हेतु वित्तीय व्यवस्था नहीं की जा सकती है।]

मानदेय डिग्री शिक्षकों का विनियमितीकरण कराये जाने सम्बन्धी मद संख्या-41 के उत्तर वितरण पर व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम-51 के द्वारा जो उत्तर आज हमको प्राप्त हुए हैं उसमें से मद संख्या-41 का उत्तर माननीय मंत्री जी ने अपने पास से पढ़ा है जो हम लोगों को वितरित हुआ है उसमें मद संख्या-41 का उत्तर नहीं है, केवल यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

उत्तर होना चाहिए था। आप जानते हैं किस तरह से उत्तर इसमें संलग्न किये गये। छूट गया होगा।

जनपद मेरठ के सरधना में लगे बूढ़ा मेले में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा की गई मार-काट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[1] जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 18-6-04 को रात्रि में करीब 10.15 बजे सरधना कस्बे में एक 22 वर्षीय युवक श्री बाबी पुत्र धर्मपाल की हत्या मुस्लिम सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वारा कर दी गई। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के भाई द्वारा सरधना थाने में पंजीकृत करायी गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में तीन व्यक्तियों को नामजद किया गया। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि मृतक बूढ़ा बाबू के मेले में आया हुआ था, जहां उसका सामना उन व्यक्तियों से हुआ जिनसे किसी पुरानी रंजिशवश उसकी दुश्मनी इन व्यक्तियों से थी। मौका मिलने पर इन व्यक्तियों द्वारा बॉबी पर जानलेवा हमला किया गया। जिस समय जानलेवा हमले की वारदात हुई उस समय बूढ़ा बाबू के मेले में संगीत संध्या का आयोजन चल रहा था। वारदात के बाद मृतक के परिजनों द्वारा बॉबी को कस्बे के ही ईश्वर नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद प्रशासन द्वारा संगीत संध्या के आयोजन को बन्द कराकर वहां पर उपस्थित जन समुदाय को अपने-अपने घरों पर वापस जाने की अपील की गई, जिसका पालन लोगों द्वारा किया गया। हत्या की खबर मिलते ही हिन्दू समुदाय के लोगों में गहरी प्रतिक्रिया हुई और वे ईश्वर नर्सिंग होम पर भारी मात्रा में एकत्रित होकर लामबन्द होने लगे और नर्सिंग होम के पास ही अवस्थित बस डिपो में घुस कर उनके द्वारा तीन प्राइवेट बसों में आग लगाकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तथा बस स्टैण्ड में स्थित दो-तीन छोटी दुकानों को भी आग लगाकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना एवं घटना के पश्चात् हुए घटनाक्रम के मद्देनजर प्रशासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स सरधना कस्बे में मंगवाया गया एवं कानून-व्यवस्था को बनाए रखने हेतु यथासम्भव प्रयास किए गए।

मृतक के शव का दाह संस्कार कर वापस लौटते समय कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मृतक के मामा श्री बलजीत के गले पर तलवार का वार किया गया, जिससे बलजीत की मृत्यु हो गयी। प्रशासन द्वारा घटनास्थल के आसपास के समस्त मकानों की सघन तलाशी ली गयी। समस्त कस्बे को दो सेक्टर में विभाजित कर कोर्डन एण्ड सर्च औपरेशन "Cordon and Search Operation" विस्तृत पैमाने पर सूर्यास्त होने तक चलाया गया। तलाशी के अभियान में 50 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 4 व्यक्तियों को श्री बलजीत की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया गया एवं शेष 46 व्यक्तियों की गिरफ्तारी एहतियातन की गई। दिनांक 20 एवं 21 जून, 2004 को कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे आटा, चावल, दाल, नमक, कैरोसिन आयल, एल0 पी0 जी0 गैस, दूध, चीनी आदि की आपूर्ति कर्फ्यूग्रस्त सभी मोहल्लों में की गई, जिससे नागरिकगणों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।

नोटः-[1] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री बॉबी पुत्र धर्मपाल की हत्या के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-168/04 धारा-302/34 भा0दं0वि0 थाना सरधना पर पंजीकृत कर नामित तीन अभियुक्तों में से अभियुक्त बाबू पुत्र इकबाल को आला कत्ल चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अभियुक्त खिल्लू पुत्र शफीक न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल गया है। तीसरे अभियुक्त मरगूब के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई तथा दिनांक 14-7-2004 को आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। दिनांक 19-6-2004 को मृतक के मामा बलजीत की हत्या के संबंध में थाना सरधना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-171/04 धारा-147,148,149,302,308,336,352 आई0पी0सी0 एवं धारा-7 क्रि0ला0 एमेण्डमेंट एक्ट में विवेचनोपरान्त 4 की गिरफ्तारी की गई, जिनके विरुद्ध एन0एस0ए0 की कार्यवाही की गई तथा एक व्यक्ति द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया और अन्य दो के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। श्री बॉबी पुत्र धर्मपाल की हत्या के अश्चात आगजनी के संबंध में थाना सरधना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 169/04 धारा-147,148,336,435,427 आई0पी0सी0 एवं 7 क्रि0लाम0 एमेण्डमेंट एक्ट में विवेचनोपरान्त 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई और एक व्यक्ति ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। दिनांक 19-6-2004 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा जुल्हैडा रोड जंगल गांम महरमती गणेशपुर थाना सरधना में अज्ञात पुरूष की हत्या कर दी गई थी, जिसकी शिनाख्त असलम पुत्र नूर मोहम्मद के नाम से होने पर थाना सरधना में मु0अ0सं0 176/04 धारा-302/34 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया, जिसके अनावरण हेतु प्रयास जारी है। असामाजिक तत्वों द्वारा सरधना कस्बे के पास हुई आगजनी के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 179/04 धारा-147,148,149,435,427 आई0पी0सी0 में विवेचनोपरान्त 4 यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है तथा आरोप-पत्र न्यायालय में 5-7-04 को दाखिल किया जा चुका है। रा0सु0का0 अधिनियम के अन्तर्गत 6 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिनमें से अभियुक्त बाबू पुत्र हलीम एवं खिल्लू जो बॉबी पुत्र धर्मपाल की हत्या से संबंधित मु0अ0सं0 168/04 के नामजद अभियुक्त हैं, के विरुद्ध एन0एस0 की कार्यवाही की गई।

जिला प्रशासन द्वारा सरधना कस्बे के दोनों सम्प्रदायों के विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए शान्ति सद्भाव समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा शान्ति बहाल करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई गई। मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने के संबंध में बॉबी उर्फ चन्द्रपाल तथा मृतक बलजीत गूजर व मृतक असलम को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा शासन से अनुरोध किया गया हैं, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद चित्रकूट में दस्यु गिरोहों के बढ़ते आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा श्री दद्दू प्रसाद द्वारा प्रश्नगत सूचना में दिनांक 21-7-04 को मानिकपुर जिला चित्रकूट में एक दस्यु गिरोह द्वारा श्री शिव कुमार पुत्र श्री भुइयादीन की गोली मारकर हत्या करने, श्री सत्य देव मिश्रा निवासी ऐंचवारा को गोली मार कर घायल करने तथा श्री धनराज, मनोज व ज्ञान चनद्र का अपहरण कर ले जाने की घटना का उल्लेख किया गया है। यह भी कहा गया है कि इसी प्रकार पूर्व में दस्यु गिरोहों द्वारा एक महीने के भीतर कम से कम 10 वारदातें की जा

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चुकी है, एक पुलिस कर्मी की हत्या की जा चुकी है व अनेकों अपहरण हो चुके हैं जिनमें फिरौती ली गयी है। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने की शिकायत भी की गयी है।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21-7-04 को जनपद चित्रकूट के कस्बा मानिकपुर में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा 3 युवकों मनोज उर्फ बबलू पुत्र जंगलीराम केसरवानी, ज्ञानचन्द्र पुत्र सुरेश चन्द्र केसरवानी तथा धनराज अग्रहरि पुत्र कैलाश चन्द्र अग्रहरि का अपहरण कर लिया गया एवं शिव कुमार केसरवानी पुत्र भुइयादीन केसरवानी की हत्या कर दी गयी। इसी घटना में ऐचवारा निवासी श्री सत्य देव तिवारी भी घायल हुए थे। घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-45/04 धारा 452/364/307/302 भा0दं0वि0 का अभियोग थाना मानिकपुर में पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी। घटना स्थल का निरीक्षण तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया और बदमाशों की घेराबंदी की गयी। इस घटना में प्रथम दृष्टया शंकर गैंग का हाथ होने की पुष्टि हुई है।

जंगल में सघन कौम्बिंग व नाके बंदी के फलस्वरूप दिनांक 26-7-04 को शंकर केवट, गिरोह के सक्रिय सदस्य नत्थू यादव पुत्र राम खिलावन यादव निवासी ग्राम करका थाना बहिलपुरवा, चित्रकूट को पुलिस मूठभेड़ में अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही इस अपराध में प्रयोग की गयी जीप संख्या-यू0एच0पी0 0737 बरामद की गयी तथा जीप के मालिक सत्य नरायन मिश्रा उर्फ शोखी पुत्र राम खिलावन मिश्रा निवासी रूकमा खुर्द थाना बहिलपुरवा एवं जीप चालक भागवत प्रसाद उर्फ झुन झुन पुत्र शिव गोविन्द द्विवेदी, निवासी सरधुवा, थाना राजापुर, जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। यह दोनों अभियुक्त अपहरण व हत्या के उपरोक्त अपराध में शामिल थे। अभियुक्तों से पूछताछ पर गिरोह के सम्बन्ध में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसके आधार पर थाना बहिलपुरवा, मारकुण्डी, मानिकपुर क्षेत्र के जंगल में पुलिस टीम गठित कर सक्रिय कौम्बिंग कराई जा रही है एवं गिरोह के आवागमन के सभी मार्गों की नाकाबंदी की गयी है। तीनों अपहृतों की सकुशल बरामदगी व शंकर केवट गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

जनपद चित्रकूट में विगत एक माह से दस्यु गिरोहों द्वारा दस वारदात सम्बन्धी बिन्दु के बारे में अवगत कराया गया है कि इस जनपद में विगत कई माह से किसी दस्यु गिरोह द्वारा अन्य कोई अपराधिक वारदात नहीं की गयी है। इस जनपद में किसी अपहृत को फिरौती की रकम लेकर छोड़े जाने का कोई प्रकरण पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है। दस्यु गिरोहों को सरकार का संरक्षण प्राप्त होने की बात सत्य नहीं है।]

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, 21 जुलाई को मानिकपुर में मर्डर और 3 अपहरण से सम्बन्धित सूचना दी थी। 21 जुलाई की घटना है और जिस जगह की घटना है बाजार की है, 8.00 बजे रात की घटना है वहां से थाना मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। टेलीफोन करने के बाद भी पुलिस वहां नहीं पहुंचती है। रिपोर्ट में कुछ पुलिस अधिकारियों का नाम आया है, क्या उनको दण्डित करेंगे। जिसका मर्डर हुआ है वह अनुसूचित जाति का नहीं है। क्या सरकार उसको कुछ अनुदान घोषित करेगी। जिनका अपहरण हुआ वे तीन लोग अभी तक छूटे नहीं हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

अनुसूचित जाति के नाम पर दिन भर रट लगाने वालों को यह आवश्यकता पड़ रही है कि वह अनुसूचित जाति का नहीं था। किसी और जाति का रहा होगा लेकिन यह सरकार सबके प्रति संवेदनशील है। पूरा उत्तर से स्पष्ट है इसमें कोई स्पष्टीकरण की गुन्जाइश नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया एवं निघासन के सरकारी अस्पतालों में वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत भेजे गये डाक्टरों द्वारा ज्वाइन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री आर0 एस0 कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्साधिकारियों की स्थानान्तरण की जो नीति निर्गत की गयी है, उसके अनुसार एक जनपद में 10 वर्ष की कुल सेवा पूर्ण कर लेने वाले चिकित्साधिकारियों को अन्य जनपद में स्थानान्तरित किया गया है। समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, को निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-निदे0 (प्र0)/कैम्प/2004/446, दिनांक 29 जुलाई, 2004 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि स्थानान्तरित चिकित्साधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त करते हुये यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अन्य तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। वर्तमान में जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उससे यह स्पष्ट है कि स्थानान्तरित चिकित्साधिकारियों द्वारा अन्य स्थानों पर तेजी से कार्यभार ग्रहण किया जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश के ज्यादातर सरकारी अस्पताल बिना चिकित्सकों के चल रहे हैं।

स्थानान्तरण करते समय स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती करते समय यह प्रयास किया गया है कि जिन जनपदों में चिकित्साधिकारियों की ज्यादा कमी थी, उस कमी को कुछ सीमा तक दूर किया जाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्साधिकारियों की उपलब्धता में वृद्धि की जाय। इसके फलस्वरूप जहां लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, वाराणसी तथा इलाहाबाद जैसे बड़े जनपदों में स्थानान्तरण से पूर्व भरे हुए पदों का प्रतिशत क्रमशः 107,100,92,97 व 97 था, वह स्थानान्तरण के बाद क्रमशः 82,97,90,73 तथा 83 हो गया है। इसी प्रकार जहां फर्रुखाबाद, बांदा, जालौन, इटावा एवं एटा जैसे सुदूर अंचल के जनपदों में चिकित्साधिकारियों के भरे हुए पदों का प्रतिशत क्रमशः 28,32,33,37 तथा 42 था, स्थानान्तरण के उपरान्त क्रमशः 66, 55, 57, 62 तथा 57 हो गया है।

जनपद लखीमपुर-खीरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलिया में स्वीकृत चिकित्साधिकारी के पद 08 हैं, जिसके सापेक्ष 05 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निघासन, खीरी में स्वीकृत पद 08 के सापेक्ष 03 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं। श्रेणी-"क" व श्रेणी-"ख" की नीति के अन्तर्गत आने वाले चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण अभी विचाराधीन हैं और स्थानान्तरण पूर्ण होने के पश्चात शेष रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जायेगा।

महिला चिकित्साधिकारियों की कमी के कारण सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्साधिकारियों की तैनाती सम्भव नहीं है। 404 महिला चिकित्साधिकारियों के पदों को भरे जाने हेतु वर्ष 2002 में लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया था तथा इसके लिए उन्हें पुनः अनुस्मरण

नोटः-[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कराया गया है। महिला चिकित्साधिकारी उपलब्ध होते ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक-एक महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती की जायेगी।

यह कहना सही नहीं है कि जनपद खीरी में मलेरिया बुखार व अन्य गम्भीर बीमारी से ज्यादातर लोग ग्रसित हैं। सभी चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत चयनित कतिपय समग्र ग्रामों में विकास कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[मा0 विधायक श्री राजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा (विधान सभा क्षेत्र-53-पैला, जनपद खीरी) ने सूचना दी थी कि विधान सभा क्षेत्र पैला, जनपद-खीरी में समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश के तहत वर्ष 2003-04 में 10 ग्रामों का चयन किया गया था परन्तु अभी तक चयनित समग्र ग्रामों में शासनादेश के तहत कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है।

मा0 विधायक द्वारा प्रदत्त उक्त सूचना पर जिलाधिकारी, खीरी से प्राप्त आख्या के आधार पर चयनित 10 समग्र ग्रामों में सम्पादित विकास कार्यक्रमों की स्थिति निम्नानुसार है :--

1-सम्पर्क मार्ग	04 ग्रामों में सम्पर्क मार्ग का निर्माण हो गया है।
2-नाली/खड़ण्जा निर्माण	3.71 कि0मी0 खड़ण्जा तथा 8.73 कि0मी0 नाली का निर्माण कराया गया।
3-स्वच्छ शौचालय	530 शौचालयों का निर्माण कराया गया है।
4-निःशुल्क बोरिंग	समस्त 10 ग्रामों में यह कार्य पूरा हो गया है।
5-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	03 ग्राम संतृप्त किये जा चुके हैं शेष में कार्यवाही गतिमान है।
6-इन्दिरा आवास योजना	02 ग्राम संतृप्त कर दिये गये हैं।
7-स्वच्छ पेयजल	इस कार्यक्रम में सभी ग्राम संतृप्त हैं।
8-प्राइमरी पाठशाला की स्थापना/ भवन निर्माण	06 ग्रामों में भवन निर्माण हो चुका है। 06 भवनों के लिये धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
9-उच्च प्राइमरी पाठशाला की स्थापना भवन निर्माण	06 ग्राम संतृप्त हो चुके हैं। 01 ग्राम के लिये धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है तथा शेष 03 ग्राम सर्वशिक्षा अभियान में स्वीकृत हैं।
10-वृद्धावस्था पेंशन	इसके अन्तर्गत 06 ग्राम संतृप्त कर दिये गये हैं।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

11-विधवा पेंशन	समस्त 10 ग्राम संतृप्त कर दिये गये है।
12-कृषि भूमि आवंटन, आवास स्थल आवंटन, मछली पालन स्थल आवंटन, कुम्हारी कला स्थल आवंटन तथा पट्टे पर दी गयी भूमि के कब्जे का सत्यापन।	इनमें कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
13-विकलांग पेंशन	04 ग्राम संतृप्त किये गये हैं।
14-परिवार कल्याण	10 ग्रामों में 1820 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
15-टीकाकरण	10 ग्रामों में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।]

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 4 ग्रामों में सम्पर्क मार्ग का निर्माण हो गया है। किन-किन गांवों में हुआ है, उसके नाम बतायेंगे। शेष सड़कों का निर्माण कब तक हो जायेगा ? दस गांव हमारे यहां के शेष रह गये हैं इनको कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

वक्तव्य से स्पष्ट है।

श्री राजेश कुमार-

दूसरा है, शुद्ध पेयजल का, आपके उत्तर में आया है कि सभी ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह प्रश्नकाल नहीं है। माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, इनकी सूचना नियम-51 में है, यह तारांकित प्रश्न नहीं है, जिसमें अनुपूरक पूछे जा सकते हैं और एक प्रश्न के बजाय 8-10 पूछ दिये हैं, जिस पर माननीय सदस्य बल देंगे, उसके सम्बन्ध में मैं अवगत करा दूंगा।

प्रदेश में हो रही लूट, अपहरण एवं हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

यह कहना सही नहीं है कि वर्तमान समय में प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गई है.....

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

पढ़ा मान लें।

श्री अध्यक्ष-

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

[——एवं प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गयी है।

प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। शासन के स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक घटित अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि अपराधों का किसी भी दशा में न्यूनीकरण न किया जाय और प्रत्येक प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य दर्ज की जाय। वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराना प्रशासन के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी, परन्तु लोक सभा चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराया गया और चुनाव में कोई बड़ी घटना नहीं घटी।

मौजूदा सरकार के कार्यकाल दिनांक 1-9-2003 से 30-6-2004 तक की अवधि के अपराध के आंकड़े वर्ष 2002 की अवधि के इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार हैं :--

क्र0सं0	अपराध शीर्षक	2003-04	2002-03	2001-02	2001-02 की तुलना में कमी
1	डकैती	259	134	403	-35%
2	लूट	1887	1032	2284	-17%
3	हत्या	5710	4146	5909	-3%
4	बलवा	2797	1379	4543	-62%
5	गृह भेदन	3803	2259	5303	-28%
6	रोड होल्ड अप	13	5	35	-62%
7	फिरौती के लिये अपहरण	180	73	222	-18%
8	दहेज हत्या	1275	996	1580	-19%
9	बलात्कार	958	559	1307	-26%
10	कुल भा0दं0वि0	91957	70752	128694	-28%

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1-9-2003 से 30-6-2004 की तुलना में इसी अवधि के वर्ष 2002 के आंकड़ों की तुलना में डकैती में 35 प्रतिशत, लूट में 17 प्रतिशत, हत्या में 3

नोट :-- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रतिशत, बलवा में 65 प्रतिशत, गृह भेदन में 28 प्रतिशत, रोड होल्ड अप में 62 प्रतिशत, फिरौती के लिये अपहरण में 62 प्रतिशत, दहेज हत्या में 19 प्रतिशत, बलात्कार में 26 प्रतिशत तथा भा0दं0वि0 के कुल अपराधों में 28 प्रतिशत की कमी आयी है।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि यह कहना कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है तथा अपराधों में वृद्धि हुई है, आधारहीन है। शासन की स्पष्ट मंशा है कि प्रत्येक प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अपराध की विवेचना कर प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनको न्यायालय से सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जाय ताकि अपराधियों का मनोबल टूटे और अपराध करने की प्रवृत्ति में कमी आये।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद वाराणसी में दि0 2-7-04 से 23-7-04 तक 9 हत्याएं, 2 अपहरण, 5 लूट, एक डकैती और 2 व्यक्ति गोली के शिकार हुए हैं। सही तथ्य यह है कि जनपद वाराणसी में दिनांक 02-7-2004 से दिनांक 23-7-2004 तक हत्या के 4, अपहरण के 2 तथा लूट का एक अपराध पंजीकृत हुआ है। दिनांक 02-7-2004 से दिनांक 23-7-2004 की अवधि में घटित विभिन्न अपराध शीर्षकों के अन्तर्गत गत तीन वर्ष का विवरण निम्नवत् है :--

क्र0सं0	अपराध शीर्षक	2004	2003	2002
1	हत्या	4	4	6
2	डकैती	-	-	-
3	लूट	1	3	5
4	अपहरण	2	1	3
5	गोली मारना	2	5	6

उपरोक्त से स्पष्ट है कि गत तीन वर्षों में डकैती की कोई घटना घटित नहीं हुई है। वर्ष 2002 के अपराध करीब-करीब वर्ष 2003 की तरह ही हैं जबकि वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में कमी आयी है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हफ्ते भर में लगभग 8 हत्याएं और 10 लूट की घटनाएं घटित हुई हैं। जनपद लखनऊ में दिनांक 21-7-2004 से 30-7-2004 की अवधि के दौरान 8 हत्या के अपराध घटित हुए। इनमें से 4 अभियोगों में नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 2 अभियोगों में नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा 01 अभियोग अनावरण हेतु तथा एक अभियोग में अज्ञात शव की शिनाख्त होना शेष है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। इसी अवधि में लूट के 6 अपराध घटित हुए जिनमें से 2 अभियोगों का सफल अनावरण कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 8 लाख रु0 की सम्पत्ति बरामद की गई तथा घटना में प्रयुक्त किये गये अवैध असलहे व कारतूस भी बरामद किये गये हैं। लूट की शेष अपराधों के भी अनावरण

के प्रयास किये जा रहे हैं। दिनांक 21-7-2004 से 30-7-2004 तक जनपद लखनऊ में घटित विभिन्न अपराधों का तीन वर्षीय विवरण निम्नवत् है :--

क्र0सं0	अपराध शीर्षक	2004	2003	2002
1	हत्या	8	5	6
2	डकैती	-	-	-
3	लूट	6	4	6
4	रोड होल्ड अप	-	-	-
	योग भा0दं0वि0	14	9	12

वांछित अभियुक्तों को अभिरक्षा से छुड़ाने व अपराधियों को सरकार के संरक्षण सम्बन्धी आरोप में कोई सत्यता नहीं है। प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल है और अपराधों पर नियंत्रण हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा हैं यह तथ्यहीन है कि प्रदेश में जंगलराज कायम है तथा जनता अपने जान-माल की सुरक्षा के प्रति भयभीत है व सरकार के प्रति घोर असंतोष व आक्रोश है।]

जनपद बलिया के चिलकहर क्षेत्र के पकड़ी, नगरा और कुरेजी में जल निगम द्वारा पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में तीन पानी की टंकी क्रमशः पकड़ी, नगरा और कुरेजी में लगाये जाने हेतु जल निगम बलिया द्वारा सम्पूर्ण लागत का.....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अधिष्ठाता-

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

[10वां हिस्सा करीब 20 लाख रुपये माह फरवरी, 2003 में दे दिया गया था। उ0 प्र0 जल निगम द्वारा आज तक एक रुपये का भी कार्य नहीं कराया गया है। विभाग का कहना है कि प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शेष धन अवमुक्त नहीं किया गया है। इससे नागरिकों के सामने पेयजल का गम्भीर संकट खड़ा हो गया है, का उल्लेख किया गया है।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार की नीति के अनुसार सभी ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं सामुदायिक सहभागिता के आधार पर कार्यान्वित की जानी हैं जिसके अन्तर्गत योजना की लागत का 10 प्रतिशत अंशदान की धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव माह नवम्बर/दिसम्बर, 2002 में प्राप्त होने के उपरान्त जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के तीन ग्रामों क्रमशः पकड़ी, नगरा तथा कुरेजी की तीन पाइप पेयजल योजनाएं प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 'राज्य स्तरीय सोर्स फाइन्डिंग कमेटी तथा तकनीकी समिति' की दिनांक 26-3-2004 की बैठक में प्रस्तुत की गई थी :--

1-पकड़ी ग्राम पंचायत पे0ज0यो0	अनु0 लागत रु0 68.26 लाख
2-नगरा ग्राम पंचायत पे0ज0यो0	अनु0 लागत रु0 99.92 लाख
3-कुरेजी ग्राम पंचायत पे0ज0यो0	अनु0 लागत रु0 54.88 लाख
	योग रु0 223.06 लाख

उक्त बैठक में उपस्थित "राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन" भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि 55 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से अधिक दर पर जो पाइप पेयजल योजनाएं सहभागिता के आधार पर बनाई जाये, उनमें सहभागिता का अंशदान 15 प्रतिशत लिया जाना है एवं उक्त आधार पर प्रश्नगत तीनों पाइप पेयजल योजनाओं का इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि उक्त योजनाओं हेतु 15 प्रतिशत की धनराशि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त कर तदनुसार योजना संशोधित की जाय।

उपरोक्त के अनुपालन में उक्त योजनाओं हेतु 15 प्रतिशत की सहभागिता अंशदान की धनराशि अपनी क्षेत्र विकास निधि से उपलब्ध कराने हेतु श्री राम इकबाल सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के उपरान्त उक्त योजनाएं संशोधित की जा रही हैं।

श्री राम इकबाल सिंह, मा0 विधायक की क्षेत्र विकास निधि से मार्च, 2003 में उक्त तीनों योजनाओं की कुल अनुमानित लागत रु0 223.06 लाख की 15 प्रतिशत सहभागिता अंशदान की धनराशि रु0 33.459 लाख के सापेक्ष उपलब्ध कराई गई, रु0 15 लाख की धनराशि से तीनों योजनाओं के अन्तर्गत एक-एक नलकूप के छिद्रण का कार्य कराया जा चुका है। इन योजनाओं को पूर्ण किया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

नोटिस में उल्लिखित ग्रामों क्रमशः पकड़ी, नगरा और कुरेजी में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक 250 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प के अनुसार वांछित हैण्डपम्पों की संख्या क्रमशः 35, 53, 25 है जिनके सापेक्ष्य उक्त ग्रामों में क्रमशः 55, 53, 42 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार उक्त तीनों ग्राम मानक के अनुसार पेयजल से संतृप्त हैं। अतः उक्त ग्रामों में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न नहीं है।]

जनपद चन्दौली के चकिया क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड शहाबगंज के विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव तपस्या पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद चन्दौली के विकास खण्ड शहाबगंज में 33/11 के0वी0 क्षमता.....

श्री शिवापाल सिंह यादव-

पढ़ा मान लें।

श्री अधिष्ठाता-

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

[..... 1×5 एम0 वी0 ए0 उपकेन्द्र तथा सम्बन्धित 33 के0वी0 लाईन 28 स0 कि0मी0 का निर्माण द्वितीय प्रणाली के पारेषण कार्यक्रम में तकनीकी परीक्षण के उपरान्त वर्ष 2001-02 में सम्मिलित किया गया। इस उपकेन्द्र तथा सम्बन्धित लाईन के अनुमानित लागत रु0 119.69 लाख है। इस कार्य हेतु धन की व्यवस्था वर्ष 2002-03 में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं प्रणाली सुधार हेतु प्राप्त धनराशि से की गयी है। इस उपकेन्द्र का निर्माण लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण है तथा शीघ्र पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।]

शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 के 16 प्रतिशत पदों एवं पद धारकों के उत्तरांचल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये लोक महत्व के उक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है.....

श्री अधिष्ठाता-

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

[..... कि उत्तरांचल राज्य के गठन के पूर्व अपर निदेशक, उत्तरांचल के साथ श्रेणी-III व IV के कुल 14 पद सृजित किये गये थे। इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा उत्तरांचल राज्य में हस्तान्तरण हेतु अपना विकल्प नहीं दिये जाने के कारण दिनांक 2-2-2001 को अपर निदेशक,

---

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तरांचल के साथ सृजित श्रेणी-3 व 4 के 14 पदों को बिना पदधारकों के उत्तरांचल राज्य को हस्तान्तरित किया गया था। अग्रेतर उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा कर्मचारियों के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर सूचना मांगी गई थीं शासन द्वारा प्रेषित सूचना पर उत्तरांचल सरकार की सहमति प्राप्त हो जाने का उल्लेख करते हुए उ0 प्र0 पूनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा कर्मचारियों के आवंटन के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर सूचना मांगी जा रही है। कर्मचारियों के आवंटन के बिन्दु पर उत्तरांचल एवं उ0प्र0 सरकार के मध्य/हुयी सहमति विषयक तथ्य की जानकारी प्राप्त की जा रही है। पूर्ण तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात विभाग से सूचना प्राप्त कर आवंटन के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।]

शाहजहांपुर नगर में नालों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाए गए हैं कि शाहजहांपुर नगर के 5 बड़े नाले हैं जो ऊपर तक भरे हैं....

श्री अधिष्ठाता-

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

[पानी बरसने से इन नालों का पानी सड़कों पर आ जाता है इनमें सफाई न होने से पूरे नगर के वासियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है सीवर लाइन भी चालू न होने से इन नालों पर बोझ बदला जाता है जनहित में इन पांचों नालों एवं पुलिस चौकी हद्दफ वाला नाला (2) लाल इमली चौराहा वाला नाला (3) रेलवे स्टेशन रोड़ वाला नाला (4) दलेलगंज वाला नाला (5) सदर बाजार वाला नाला इन नालों की सफाई न होने से बीमारी फैलने की भी सम्भावना बनी रहती हैं आए दिन सड़कों पर पानी आ जाता है समस्या का तात्कालिक निदान किसी न किसी तरह भाग दौड़ करके किया जाता है परन्तु सफाई पूरी तरह नहीं होती। जनहित में बीमारी की आशंका समाप्त करने के लिए नगर के पांचों नालों की सफाई आवश्यक है। मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर इस समस्या पर शासन के द्वारा वक्तव्य की मांग की गयी है।

सफाई की व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार सूचना में उल्लिखित नालों की सफाई का कार्य आंशिक रूप से करा दिया गया है ताकि जल निकासी सुचारु रूप से बनी रहे। निकायों में किसी भी पद पर नियुक्तियों की प्रतिबन्धित होने एवं 69 सफाई कर्मचारियों के सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप सफाई का कार्य सुचारु रूप से सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को निर्देशित किया जा रहा है कि वे नियमानुसार सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायें।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में नदी नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय पाडल के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्याम सिंह अहेरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद मथुरा में गोबर्धन विकास खण्ड में ग्राम पंचायत पाडल में....

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अधिष्ठाता-

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

[.... गत वर्ष 2004 में जिला योजना के अन्तर्गत नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय पाडल हेतु शासन द्वारा 4.11 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी। उपरोक्त धनराशि को कार्यदायी संस्था द्वारा घटिया सामग्री में प्रयोग किया गया। घटिया सीमेंट, ईट आदि के प्रयोग होने के कारण भवन मात्र 6 माह में फट गया, छत भी गयी। धांधले बाजी को छिपाने हेतु उस पर लीपापोती की गयी। इस प्रकार 6-6 माह में विद्यालय भवन नष्ट होने से क्या वह भवन 5 वर्ष सुरक्षित रहेगा ? संबंधित कार्यदायी संस्था से धनराशि की रिकवरी की जाये तथा जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।]

2-इस संबंध में अवगत कराना है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा द्वारा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोवर्धन/ब्लाक समन्वय तथा सहायक ब्लाक समन्वय के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 2-8-2004 को स्थानीय निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार पूर्व माध्यमिक विद्यालय पाडल के भवन का पटाव खारा पानी होने के कारण गाडर, पटिया द्वारा किया गया है। सभी दरवाजे तथा खिड़कियां लोहे के फ्रेम में लकड़ियों द्वारा निर्मित हैं। छतों पर सीमेन्ट का प्रयोग हुआ है तथा कुछ जगहों पर पुनः टीप सीमेन्ट की दिखायी दे रही है।

विद्यालय भवन वर्ष 2002-03 में बनकर तैयार हुआ है। रुपया 3,83,000/- भवन निर्माण हेतु रुपया 10,000 शौचालय हेतु तथा रु0 40,000 चहार दीवारी हेतु अवमुक्त किया गया था। कुल अवमुक्त धनराशि से भवन तथा शौचायलय पूर्ण निर्मित है तथा चहारदीवार में एक तरफ की दीवार 100 फुट लम्बी तथा 5 फुट ऊंची सीमेन्टेड बनकर तैयार है। निर्मित भवन में सभी कक्षों, बरामदे आदि का निर्माण संतोषजनक है। एक कक्ष में खिड़की के ऊपर छत तक लगभग 1.25 मीटर प्लास्टर चटका हुआ पाया गया। विद्यालय की रंगाई पुताई आदि हेतु प्राप्त धनराशि से बरसात के तुरन्त बाद पुताई, रंगाई, लिखायी साज-सज्जा हेतु निर्देश दिये गये हैं। पूर्व की रंगाई, पुताई खारे पानी के कारण प्रभावित पायी गयी।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में आसाम-बस्ती मार्ग के तिराहे से ग्राम खमरिया के मार्ग को चौड़ा कराते हुए हाटमिक्स से बनवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

डा0 विनोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 29-7-2004....

श्री अधिष्ठाता-

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

[..... को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस मामले में क्षेत्र से सूचना एकत्र की जा रही है।]

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्र में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री काली चरन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जिला गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद में प्रश्नगत मार्ग परजीपाह चट्टी से....

श्री अधिष्ठाता-

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

[कटायालहेंग, राजापुर, जयरामपुर, भगवल होते हुए बरेसर तक की कुल लम्बाई 9 कि0मी0 है। वर्तमान में यह मार्ग ग्रामीण मार्ग की श्रेणी में है। यह मार्ग कासिमाबाद सिधागरघाट (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 4 से निकलकर बरेसर तक जाता है। इस मार्ग का प्रथम 2.5 कि0मी0 लेपन स्तर तक पूर्ण है, जिसकी दशा ठीक है।

यह अवगत कराना है कि चैनेज कि0मी0 2.5-7.5 एवं 8.5-9.0 (कुल 5.5 कि0मी0) लम्बाई में पत्थर द्वारा सोलिंग स्तर तक पूर्ण है, जो कि क्षतिग्रस्त है। चैनेज कि0मी0 7.5-8.5 (1 कि0मी0) लम्बाई में ओ0बी0बी0 द्वारा सोलिंग कोट की कुटाई की गयी है, जो कि क्षतिग्रस्त है।

2-उल्लेखनीय है कि कि0मी0 2.5 से 9.00 तक का कार्य वर्ष 1986-87 में किया गया था। प्रश्नगत मार्ग के कि0मी0 3 में गोघनी नदी पड़ती है, जिस पर 5×6 मी0 स्पैन (कुल 30 मीटर लम्बाई) पुल के निर्माण की आवश्यकता है। प्रश्नगत मार्ग को लेपन स्तर तक एवं पुल के निर्माण हेतु कुल रु0 131.33 लाख की आवश्यकता होगी जो कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद ललितपुर ने लालेनपुर कस्बे में प्राचीन जलाशय सुरेमा तालाब में सीवर लाइन के पाइप को खोले जाने से हुए जल प्रदूषण के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51...

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

पढ़ा मान लें।

श्री अधिष्ठाता-

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

[के अधीन डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 29-7-2004 को निम्नानुसार सूचना दी है :-

"कस्बा ललितपुर में 450 वर्ष पुराना धार्मिक महत्व रखने वाला सुमेरा तालाब है। इस जलाशय से पूर्व में नगर की जल आपूर्ति भी होती थी, आज जबकि सरकार वर्षा जल संचय हेतु तालाब खोदवा रही है ललितपुर प्रशासन ने अतिक्रमण रोकने की तो कोई कार्यवाही की नहीं बल्कि तालाब में सीवर लाइनों के पाइप सीधे खोलने की प्रक्रिया होने दी जिससे सम्पूर्ण जलाशय प्रदूषित हो गया है तथा आस-पास के क्षेत्र का भू-गर्भीय जल भी प्रदूषित होने से हैण्ड पम्पों से भी बदबूदार पानी आ रहा है।

सम्पूर्ण जल श्रोत के प्रदूषण के प्रति शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन तथा जागरूक नागरिक 55 दिन से क्रमिक धरना दे रहे हैं। 15 जुलाई की विशाल सुमेरा तालाब बचाओ रैली के बाद प्रशासन आन्दोलन कर रहे नागरिकों से टकराव की स्थिति में है। जल प्रदूषण जैसे गम्भीर प्रकरण पर न्यायोचित कार्यवाही न होने से स्थिति गम्भीर है।"

2-उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, ललितपुर तथा महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार यह अवगत कराना है कि सुमेरा तालाब नजूल भूमि पर स्थित है जिसका प्रबन्धन नगर पालिका परिषद्, ललितपुर द्वारा किया जाता है। तालाब के पूर्वी एवं उत्तर अंश भाग पर मन्दिर एवं पक्के घाट बने हुये हैं जिस पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर होता रहता है। शेष अंश भाग पर विगत कई वर्षों से नागरिकों द्वारा अवैध रूप से मकान आदि का निर्माण कर उनके सेप्टिक टैंक आदि का गन्दा पानी का रुख तालाब की ओर कर दिया गया है। वर्तमान में निकाय द्वारा गन्दे पानी की निकासी हेतु कच्ची नाली बना दी गयी है, जिससे होकर गन्दा पानी गन्दे नाले में बह रहा है। पालिका एवं प्रशासन द्वारा अनाधिकृत कब्जेधारकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है, जहां तक इस तालाब से पेयजल आपूर्ति का प्रश्न है इस तालाब से कभी भी पेयजलापूर्ति नहीं की जाती रही है। ललितपुर नगर की पेयजल योजना हेतु जल गोविन्द सागर बांध से लिया गया है। वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 में हैण्डपम्प (एक) से प्रदूषित पानी दिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे बन्द करवा कर दूसरे स्थान पर रिबोर करवा दिया गया है।

वर्तमान समय में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों से गन्दे व बदबूदार पानी की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सूम्मेरा तालाब के धार्मिक महत्व एवं पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुये बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत रु0 110.15 लाख की कार्य योजना आयुक्त, झांसी मण्डल द्वारा अपने पत्र दिनांक 12 जून, 2003 द्वारा प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग को प्रेषित की गयी है, जो नियोजन विभाग के स्तर पर विचाराधीन है।

विगत 55 दिनों से क्रमिक धरना एवं प्रदर्शन नगर की जनता द्वारा तालाब के प्रदूषण को दूर करने एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु किया जा रहा था, मा0 राज्य मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला द्वारा शासन को धन दिलवाने के आश्वासन के उपरान्त धरना समाप्त कर दिया गया है।]

नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर में की जा रही घोर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर में की जा रही घोर वित्तीय अनियमितताओं...

श्री अधिष्ठाता-

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

[की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गई है। उक्त सूचना में यह सूचित किया गया कि नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर ''अध्यक्ष'' के घोर वित्तीय अनियमितताओं की जांच दिसम्बर, 2003 एवं जनवरी, 2004 में कराई गई है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष को दोषी पाये जाने का मामला संज्ञान में आया है। इस सम्बन्ध में सरकार के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद्, सुल्तानपुर के अध्यक्ष, द्वारा अनियमिततायें किये जाने की शिकायत जन प्रतिनिधियों से प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच जिलाधिकारी, सुल्तानपुर से कराई गई। श्री राम कुमार, तत्कालीन जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 2003 के द्वारा 17 बिन्दुओं पर जांच आख्या प्राप्त हुई, जिसमें कोई शिकायत सही नहीं पाई गयी। श्री एम0 पी0 अग्रवाल, तत्कालीन जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ने अपने पत्र दिनांक 27-11-2003 व 24-12-2003 के द्वारा यह सूचित किया गया कि श्री मानू भाई, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर के द्वारा 5 नई नियुक्तियां की गई हैं तथा 9 कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का अवैध समायोजन किया गया था। उक्त अवैध नियुक्तियों/समायोजन को निरस्त करने के आदेश निदेशक, स्थानीय निकाय, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर तथा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर

नोट :- [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पालिका परिषद्, सुल्तानपुर को शासन के पत्र दिनांक 26 जनवरी, 2004 के द्वारा आदेश दिये गये हैं। उक्त अवैध नियुक्तियों एवं समायोजन में सम्बद्ध/संलिप्त पब्लिक हेल्थ क्लर्क, वरिष्ठ लिपिक, अवर अभियन्ता तथा कर निरीक्षक को निलम्बित करते हुये उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश भी निदेशक, स्थानीय निकाय को दिनांक 16 मार्च, 2004 को दे दिये गये हैं।

श्री राम कुमार, तत्कालीन जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र दि0-21-4-2003 के द्वारा प्राप्त जांचाख्या तथा श्री एम0 पी0 अग्रवाल, तत्कालीन जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2004 के द्वारा प्राप्त जांचाख्या की विषयवस्तु एक ही थी तथा दोनों जिलाधिकारियों की जांचाख्या में कुछ विरोधाभाष था। अतः दोनों जिलाधिकारियों की जांचाख्याओं की प्रतियां आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को दि0 16 मार्च, 2004 को प्रेषित करते हुए जांचाख्या स्पष्ट संस्तुति के साथ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। पुनः स्मरण कराया जा रहा है। जांचाख्या प्राप्त होते ही कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

जनपद फर्रुखबाद में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी विभाग में वरिष्ठता के आधार पर शासन की नीति के अनुसार चार्ज न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री राजपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभाग) का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

शासन के आदेश संख्या-2607/71-2-2004, दिनांक 01 जून, 2004 द्वारा....

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

पढ़ा मान ले।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

[डा0 दिनेश कुमार अग्रवाल, चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पहाड़पुर जनपद अलीगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए कार्यवाहक, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फर्रुखाबाद का पदभार सौंपा गया। उक्त आदेश डा0 भाष्कर प्रसाद राय, कार्यवाहक, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फर्रुखाबाद के दिनांक 30-6-2004 को सेवानिवृत्त होने के बाद दिनांक 01-7-2004 से लागू किया गया।

शासनादेश संख्या-2807/71-2-2001-सी0डब्लू-11/98, दिनांक 13 अगस्त, 2001 द्वारा जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार डा0 दिनेश कुमार अग्रवाल, जनपद फर्रुखाबाद के वरिष्ठतम् चिकित्साधिकारी हैं, जिनका वरिष्ठता क्रमांक-212 है। डा0 अग्रवाल वर्ष 1985 के लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित चिकित्साधिकारी हैं। डा0 सुरेश चन्द्र भाष्कर, चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चिकित्सालय, सराय प्रयाग, कन्नौज की सेवायें शासनादेश संख्या-385-सेक-9/पांच-305/90, दिनांक 21-01-1991 द्वारा विनियमित की गयी हैं। इस प्रकार डा0 भास्कर, डा0 अग्रवाल से कनिष्ट हैं।

उक्त के अतिरिक्त जनपद फर्रुखाबाद में तैनात अन्य सभी चिकित्साधिकारी डा0 दिनेश कुमार अग्रवाल से कनिष्ट हैं। अतः डा0 दिनेश कुमार अग्रवाल को निर्धारित नीति के अन्तर्गत ही वरिष्ठता के आधार पर कार्यवाहक, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फर्रुखाबाद का पदभार सौंपा गया, जिसके कारण उक्त पदभार किसी अन्य चिकित्साधिकारी को दिये जाने का औचित्य नहीं है।]

जनपद गौतमबुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में कतिपय गांवों को विद्युत आपूर्ति उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन नोएडा से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मा0 श्री नवाब सिंह नागर, विधायक....

श्री नारद राय-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

[दादरी विधान सभा क्षेत्र जनपद गौतमबुद्ध नगर के जिन 16 गांव कौण्डली, बादौली, गढ़ी, डेरीन, कामबख्शपुर, अटटा, गुलावली, मौहियापुर, नलगढ़ा, याकूदपुर, नयादल्लपुरा, मंगरौली, छपरौली, गढ़ी, शैहदरा को विद्युत आपूर्ति मे0 नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड से हटाकर नोएडा क्षेत्र (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड) से किये जाने हेतु मांग की है।

इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त समस्त ग्रामों की विद्युत आपूर्ति एवं राजस्व वसूली के समस्त कार्य मे0 नोएडा पावर कम्पनी लि0, ग्रेटर नोएडा के सृजन के समय से ही इस कम्पनी द्वारा देखे जा रहे हैं। अतः इन ग्रामों की विद्युत आपूर्ति नोएडा (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड) से किया जाना सम्भव नहीं है।]

बुन्देलखण्ड खेल मण्डल, झांसी प्रधान कार्यालय शिवगंज, मऊ रानीपुर को रिबेट क्लेम भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खादी ग्रामोद्योग मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा....

श्री नारद राय-

इसे पढ़ा मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

[वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्था बुन्देलखण्ड सेवा मण्डल झांसी प्रधान कार्यालय शिवगंज, मऊरानीपुर के खादी वस्त्रों की बिक्री पर रिवेट क्लेम की लम्बित धनराशि रुपये 1,96,644.00 (रुपये एक लाख छियानवे हजार छः सौ चौवालिस मात्र) के भुगतान प्राप्त न होने के कारण नियम-51 के अन्तर्गत विधान सभा में प्रस्तुत सूचना वक्तव्य हेतु ग्रहण करते हुये दिनांक 3 अगस्त, 2004 की तिथि निर्धारित की गयी है।

2-मामले में स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय में वर्ष 1992-93 से 2002-2003 तक उक्त संस्था के रुपये 2,45,035.53 (रुपये दो लाख पैंतालिस हजार पैतीस पैसे तिरपन मात्र) के रिवेट दावे प्राप्त हुये थे। संस्था के रिवेट दावों का भुगतान करने हेतु सम्बन्धित वर्षों में आयोजनागत आय व्ययक में हुयी सीमित बजट व्यवस्था से प्रदेश की समस्त खादी की संस्थाओं को समानुपातिक रूप से रिवेट दावों का भुगतान किया गया, जिसमें प्रश्नगत संस्था को भी बोर्ड में उससे प्राप्त दावों के सापेक्ष रुपये 1,44,822.81 (रुपये एक लाख चौवालिस हजार आठ सौ बाइस, पैसे इक्यासी मात्र) का भुगतान किया गया।

3-वित्तीय वर्ष 2003-04 के रुपये 72,042.15 (रुपये बहत्तर हजार बयालिस पैसे पन्द्रह मात्र) के रिवेट दावे बोर्ड में प्राप्त हुये हैं। इन रिवेट दावों के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आयोजनागत आय-व्ययक में रुपये 600.00 लाख (रुपये छः करोड़ मात्र) की बजट व्यवस्था उपलब्ध है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति हेतु तत्परता पूर्वक कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त संस्था के वित्तीय वर्ष 2003-04 के लम्बित रिवेट दावों का भुगतान नियमानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-2005 में किया जायेगा।

4-जहां तक प्रश्नगत सूचना में उल्लिखित संस्था के रुपये 1,96,644.00 के लम्बित दावों का प्रश्न है, उसका भुगतान करने हेतु शासन द्वारा प्रदेश की खादी संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 1992-93 से 2002-2003 तक के लम्बित रिवेट दावों के भुगतान हेतु रुपये 20.00 करोड़ (रुपये बीस करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2003-2004 में प्रदान की गयी है। इस धनराशि से संस्था के लम्बित रिवेट दावों का, जोकि बोर्ड के अभिलेखों के अनुसार रुपये 1,00,212.72 (रुपये एक लाख दो सौ बारह पैसे बहत्तर मात्र) बनता है, का भुगतान कर दिया जायेगा।

5-जहां तक संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, तिलक मार्ग, लखनऊ स्थित खादी अनुभाग में सुविधा शुल्क की मांग तथा शुल्क देने पर मना करने पर संस्था के मंत्री को भगा देने व परेशान करने की जो सूचना दी गयी है, उस पर विस्तृत रूप से गहन छान-बीन की गयी, जिसमें संस्था द्वारा लगाये गये आरोप निराधार पाये गये हैं।]

प्रदेश में चल रहे निजी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में मरीजों से लिया जाने वाला शुल्क राजकीय चिकित्सालयों के अनुरूप निर्धारित किये जाने विषयक दिनांक 28 जुलाई, 2004 के तारांकित प्रश्न संख्या-12 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में निर्धारित चर्चा का स्थगन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापकों के लिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना किये जाने विषयक दिनांक 27 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या-96 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

नियम-49 की चर्चा को मंगलवार या गुरुवार को ही कार्य सूचीबद्ध किया जाता है वर्तमान सत्र में यदि आज मंगलवार को स्थगित किया जाता है तो यह गुरुवार, 5 अगस्त, 2004 को ही कार्य सूचीबद्ध किया जा सकेगा। नियम-49 के अनुसार उक्त चर्चायें सामान्य कार्य के उपरान्त ही कार्य सूचीबद्ध की जायेगी जिस स्थान पर कार्य सूची में आज 3 अगस्त, 2004 को कार्य सूचीबद्ध है।

माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी के अनुरोध पर यह निर्णय किया जाता है, कि उक्त दोनों नियम-49 की चर्चायें दिनांक 5 अगस्त, 2004 को नियम-51 के बाद सामान्य चर्चा के उपरान्त सुन ली जायेंगी।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 3 अगस्त, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-14 का उत्तर पीछे पृष्ट 24 पर)

विधान सभा क्षेत्र कर्वी जनपद-चित्रकूट में चयनित किये गये समग्र ग्रामों की सूची

(क) श्री आर0 के0 सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा चयनित ग्राम

क्रम संख्या	समग्र ग्राम का नाम
1	बारामाफी
2	दहिना
3	लौढिया खुर्द
4	खम्भरिया
5	विलास बोंगर
6	कन्धानिया
7	बांदी बांगर
8	कनकोटा
9	भारतुर
10	कुइ

(ख) विधान सभा क्षेत्र कर्वी में ही मा0 सदस्य विधान परिषद् द्वारा चयनित ग्राम

क्रम संख्या	समग्र ग्राम का नाम	द्वारा चयनित
1	पहाड़ी	डा0 यज्ञदत्त शर्मा, सदस्य, विधान परिषद्, स्नातक क्षेत्र
2	मुहरवां	श्री युवराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, स्थानीय निकाय
3	सगवारा	श्री लवकुश मिश्र, सदस्य, विधान परिषद्, शिक्षक क्षेत्र

कुल योग--13 ग्राम

विशम्भर प्रसाद निषाद,

मंत्री।

पी0एस0यू0पी0-एल0 247 विधान सभा (460)-12-1-2005-813 (कम्प्यूटर)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा